खण्ड-180, अंक-4
गुरूवार, 3 कार्तिक, शक संवत् 1878
(25 अक्टूबर, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 180 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २५ अक्तूबर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३०१)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर्रासिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसराइल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कृपा शंकर, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री

जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्ला राम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री

महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल, जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त , श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्रामराय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह राजा, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री

शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीविनास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईदजहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगादर, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखपाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २५ अक्तूबर, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

अलीगढ़ में 'गीता' पुस्तक के कथित जलाने पर प्रदेश में हड़तालें

**१—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि अलीगढ़ में 'गीता' पुस्तक के तथाकथित जलाने के विरुद्ध प्रदेश में कहां-कहां हड़तालें हुईं ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मांगी हुई सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३४६ पर)

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल ने पूछा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गीता के अपमान किये जाने का या गीता को जलाये जाने की जो बात थी वह सही है या गलत है ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)---इस सम्बन्ध में तो इस सदन में भी उत्तर दिया जा चुका है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अपना वक्तव्य दिया है । माननीय सूचना मंत्री ने भी वक्तव्य दिया है कि गीता के जलाये जाने की जो खबर थी वह निराधार थी और असत्य थी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन लोगों ने यह झूठी खबर फैला कर प्रदेश में साम्प्रदायिक उत्तेजना पैदा की उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की और वे कौन कौन हैं ?

श्री अध्यक्ष---आखिरी हिस्से की तो मैं इजाजत नहीं दूंगा जिसमें पूछा है "कौन कौन हैं" । बहुत लम्बा सवाल हो जायगा । लेकिन पहले भाग का आप उत्तर दे दें ।

श्री जगनप्रसाद रावत---जिन लोगों ने जहां जहां यह खबरें फैलाईं उन्हें किसी भी ऐसे कार्य को करने से रोका गया जिससे कोई भी अशान्ति भंग होना सम्भव हो ।

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इन हड़तालों को अरेंज करने में किसी पोलिटिकल पार्टी का हाथ था ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इसमें कई राजनैतिक पार्टियों का हाथ था ।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इन वक्तव्यों के प्रकाशित होने के बाद भी जनसंघ द्वारा कई जगहों पर हड़तालें कराई गई और विरोधी सभायें कराई गईं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जी हां, यह सही है ।

श्री वीरेंद्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि लोगों को असलियत की जानकारी कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री जगनप्रसाद रावत---सरकार ने असेम्बली में जवाब दिया, माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य सारे समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ और इसके द्वारा सब लोगों को पता चला कि खबर गलत थी ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---जिन शिक्षण संस्थाओं ने इस आन्दोलन में भाग लिया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जिन शिक्षण संस्थाओं ने इसमें भाग लिया उनके खिलाफ वैभागिक कार्यवाही की गई और उनको जो भी दंड दिया जा सकता था उस पर विचार किया गया ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---जनसंघ द्वारा हड़ताल व आन्दोलन कराये गये उसके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री जगन प्रसाद रावत---उनके समाचारों को खंडन करने की कोशिश की गई जिससे लोग उनके भ्रम में न पड़ें ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी खासतौर से अलीगढ़ के जिन कालेजेज के विद्यार्थियों ने यह लूटमार या साम्प्रदायिक झगड़ा कराने में हिस्सा लिया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत---अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने जो कार्य किया वह भी गलत किया या दूसरे कालेजेज के लड़कों ने किया वह भी गलत किया। उसको रोकना और लड़कों को समझाना यह दोनों कार्य किये गये। बाकी व्यक्तिगत तो जिनके खिलाफ कुछ मुकदमे साबित हों उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है लेकिन आम तौर से कार्यवाही नहीं की जा सकती।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार बतलायेगी कि तथाकथित गीता पुस्तक को जलाने जाने की खबर समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई और बनारस में जो हड़ताल हुई थी उसमें सरकार के किसी मंत्री ने भी भाषण करने के लिये भाग लिया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत---मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

बांदा में प्रजा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं द्वारा पुलिस के विरुद्ध शिकायतें

**२---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)---क्या उपमन्त्री, पुलिस विभाग के दिनांक ८ अक्तूबर, १९५६ को बांदा जाने के अवसर पर वहां के अनेक सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं ने उनके पास स्थानीय पुलिस की जनविरोधी कार्यवाहियों की लिखित शिकायतें पेश की थीं ?

**३---यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वे क्या क्या शिकायतें थीं, व उन पर क्या कार्यवाहियां हुईं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रजा समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्त्ताओं ने कुछ शिकायतें दी थीं। वे जांच तथा उचित कार्यवाही के लिये स्थानीय अधिकारियों को उसी समय दे दी गयीं।

सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिलाधीशों तथा विभागाध्यक्षों के नाम हिन्दी और अंग्रेजी में भेजे गये परिपत्रों की संख्या

**४---श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर) (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से, १ अप्रैल से ३० सितम्बर, १९५६ तक की अवधि में, जिलाधीशों तथा जिलों के अन्य विभागाध्यक्षों के नाम हिन्दी तथा अंग्रेजी लिपि में भेजे गये पत्रों की संख्या पृथक्-पृथक् कितनी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---परिपत्रों (circular letters) की संख्या इस प्रकार है:

देवनागरी लिपि के २७
अंग्रेजी लिपि के १६

साधारण पत्रों की संख्या अल्प सूचना पर देना सम्भव नहीं है।

अक्तूबर, १९५६ में प्रदेश के पश्चिमी जिलों में वर्षा से क्षति

**५---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अक्तूबर, १९५६ में प्रथम व द्वितीय सप्ताह में प्रदेश के पश्चिमीय जिलों में कितने-कितने इंच वर्षा हुई और उससे फसल को कितनी हानि हुई ?

लाल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---अक्तूबर १९५६ के प्रथम व द्वितीय सप्ताहों में हुई वर्षा का औसत संलग्न सूची में दिया गया है। अधिक वर्षा से अनुमानतः ६,४३,४१,३७१ रु० की फसल को हानि हुई। ये आंकड़े प्राथमिक सूचना के आधार पर दिये गये हैं तथा कुछ जिलों की सूचना प्राप्त न होने के कारण शामिल नहीं की जा सके हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३४७ पर)

श्री रामचन्द्र विकल--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि शेष सूचना कब तक सरकार के पास उपलब्ध हो सकेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--शीघ्र ही आ जायगी ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो हानि उन्होंने फसल की लिखी है उस हानि की पूर्ति के लिये सहायतार्थ कोई धन सरकार मंजूर कर चुकी है और वह कब तक पहुंचा दिया जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--फसल की हानि का तो कोई मुआवजा दे नहीं सकते। वैसे मदद की जाती है तकावी के रूप में, ग्रेच्युटस रिलीफ के रूप में और और शक्लों में। वह सब दी जा रही है।

श्री वीरेंद्र वर्मा--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो फ़सल की हानि हुई है और जहां वर्षा के कारण अगली फ़सल भी नहीं बोयी जा सकती है उनकी सहायतार्थ सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष--इसका तो अभी जवाब दिया जा चुका है।

श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)--जो मंत्री जी ने फर्माया कि तकावी के रूप में किसानों को मदद दी जायगी तो अक्सर तकावी किसी आधार पर मिलती है जितना उनका लगान होता है। तो अब जब उनके मकान गिर गये, फसल की हानि हो गई और आगे भी फ़सल होने की कोई गुंजायश नहीं है तो क्या तकावी के रूल्स जो हैं उनको कुछ ढीला करके ज्यादा से ज्यादा तकावी देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--तकावी तो रूल्स के अनुसार दी जाती है। लेकिन जो नान-ऐग्रीकल्चरिस्ट्स हैं उनको भी तकावी दी जाती है और हाउस सब्सिडी वगैरह भी दी जाती है, हाउस एलाउन्स भी दिया जाता है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार बाढ़ के कारण जो खरीफ की फसल बर्बाद हो गई है और रबी की भी कोई आशा नहीं है तो दोनों फसलों का लगान माफ करने का विचार रखती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जो नियम हैं उनके अनुसार नुक्सान को देखते हुए लगान में छूट दी जायगी ।

श्री वीरेंद्र वर्मा--क्या सरकार के पास इस समय ऐसे आंकड़े मौजूद हैं जिनसे मालूम हो सके कि पिछले साल अक्तूबर के पहले और दूसरे सप्ताह में इन जिलों में औसतन कितनी वर्षा हुई थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--आंकड़े तो इस तरह के मौजूद हैं जो औसत वर्षा है अक्तूबर की और इस साल की वर्षा जिलेवार है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी जिलों में से कौन ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा वर्षा हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सबसे ज्यादा वर्षा हुई देहरादून में १५.२९ इंच और दूसरे नम्बर पर है सहारनपुर, मेरठ १२.५४ और १४.०७ इंच ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि ये पश्चिमी जिले वही जिले हैं जिनमें जुलाई, सन् १९५६ में भी वर्षा की अधिकता थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जुलाई में मुजफ्फरनगर में सब से ज्यादा पानी बरसा था।

श्री वीरेंद्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सहारनपुर और मेरठ जिले में जो १२.५४ इंच वर्षा उन्होंने बतायी वह तमाम जिले में थी या किसी खास हिस्से में?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह एवरेज है पूरे जिले का। कहीं ज्यादा हो सकती है, कहीं कम हो सकती है। पूरे जिले का एवरेज यह है।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि बिजनौर में कितने इंच बारिश हुई और कौन-कौन सी तहसीलों में फसल की क्षति हुई?

श्री चतुर्भुज शर्मा---बिजनौर में अक्तूबर के पहले सप्ताह में .२८ इंच बारिश हुई और दूसरे सप्ताह में १०.२८ इंच। लेकिन किस तहसील में कितनी फसल को क्षति हुई है इसके आंकड़े इस समय नहीं हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या समाचारपत्रों में निकलने वाली यह खबर सच है कि पश्चिमी जिलों में विगत अक्तूबर सप्ताह में हुई भयंकर वर्षा तथा उसके पिछले बैकग्राउंड के परिणामस्वरूप सरकार ने एक फ्लड कमिश्नर भी नियुक्त करने का निश्चय किया है और एक करोड़ तक की सहायता देने का निश्चय किया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह तो अखबारों में भी निकल गया था कि एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है, एक बोर्ड बनाया गया है जिसके चेयरमैन माननीय मुख्य मंत्री जी हैं और एक खास आफिसर नियुक्त किया गया है उसमें काम करने के लिए जिसको काफी अधिकार दिए गए हैं।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि पश्चिमी जिलों में जहां वर्षा से अधिक हानि हुई है उनमें सब से अधिक क्षतिग्रस्त कौन जिला है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---मेरठ को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।

तारांकित प्रश्न

कम्युनिस्ट पार्टी, वाराणसी, के सेक्रेटरी श्री सत्यनारायण सिंह पर गौरातिवारीपुर के जमींदारों द्वारा आक्रमण

*१---श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)---क्या सरकार को सूचना मिली है कि जिला कम्यूनिस्ट पार्टी, वाराणसी, के सेक्रेटरी श्री सत्यनारायण सिंह को जुलाई के प्रथम सप्ताह में गौरातिवारीपुर के भूतपूर्व जमींदारों ने हमला करके बुरी तरह घायल कर दिया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस सम्बन्ध में एक लिखित रिपोर्ट डाक द्वारा थाना चौबेपुर में प्राप्त हुई थी।

*२---श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)---यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि हमलावरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---एक अभियोग आई० पी० सी० की धारा १४७/३२३ के अन्तर्गत दर्ज किया गया जिसकी जांच की गई। सबूत न मिलने के कारण मुकदमा नहीं चलाया जा सका।

*३-५--श्री नारायण दत्त तिवारी--[स्थगित किये गये ।]

पांच हार्स पावर से अधिक विद्युत् शक्ति वाले दाल के कारखाने

*६--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में दालों के बनाये जाने के कितने कारखाने ऐसे हैं जिनको ५ Horse Power (हार्स पावर) से अधिक बिजली दी जाती है ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मसिंह)--इस प्रदेश में ऐसे कनेक्शनों की संख्या ५४५ है। इन कनेक्शनों में कुछ ऐसे भी हैं जो केवल दाल मिल के लिये ही नहीं वरन् अन्य धन्धों के लिये भी प्रयोग किये जाते हैं। चूंकि उपभोक्ताओं को, यदि उनका कनेक्शन एक से अधिक धन्धों के लिये स्वीकृत हो, तो कनेक्शन को एक धन्धे से दूसरे धन्धे के लिये प्रयोग करने की स्वतन्त्रता है, अतः उपरोक्त संख्या को निकटतम ही समझा जाय।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार यह बता सकेगी कि दाल मिल के अतिरिक्त किन-किन कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले कितने बिजली के कनेक्शन हैं ?

श्री धर्मसिंह--उसमें बहुत से कारण हैं। जहां जैसी आवश्यकता होती है जो भी उपभोक्ता प्रार्थना-पत्र देते हैं उन पर विचार करके कनेक्शन दिये जाते हैं ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सरकार बतायेगी कि हाथरस क्षेत्र के अन्दर दाल के अतिरिक्त किन-किन चीजों के लिए कनेक्शन हैं ?

श्री धर्मसिंह--हाथरस में लाइट ऐंड फैन्स के कनेक्शन दिये जाते हैं और इंडस्ट्रियल ऐंड ऐग्रीकल्चरल परपजेज के लिए भी कनेक्शन दिये जाते हैं ?

खीरी जिले में पलिया टाउन एरिया के चेयरमैन श्री शारदाप्रसाद को पुलिस चौकी के निकट गोली से घायल करना

*७--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास २ अगस्त, सन् १९५६ का भेजा हुआ या उसके आस-पास पहुंचने वाला पलिया टाउन एरिया, जिला खीरी के चेयरमैन श्री शारदा प्रसाद जी का कोई प्रार्थना-पत्र आया है कि राजनैतिक गुटबन्दी आदि के कारण जिले के अधिकारियों तथा स्थानीय पुलिस तक से मुझे अपनी जान की हिफाजत की आशा नहीं है ? अगर हां, तो सरकार ने उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हां, मामले की जांच की गई और आवश्यक कार्यवाही हो रही है।

*८--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या मुख्य मंत्री जांच करके यह बताने की कृपा करेंगे कि २ अगस्त सन् १९५६ की शाम को ही बीच बाजार में संकटादेवी मन्दिर के पास वे गोली से घायल कर दिये गये और क्या मन्दिर पुलिस चौकी से पचास कदम की दूरी पर है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हां, मन्दिर और पुलिस चौकी के बीच की दूरी ११० कदम है।

*९--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या यह सही है कि श्री शारदाप्रसाद जी ने इस घटना से कुछ दिन पहले एक डेपुटेशन के साथ मुख्य मंत्री तथा आई० जी० पुलिस से मिल कर जिले की राजनीतिक गुटबन्दी और विरोधी गुट और स्थानीय अधिकारियों की सांठ गांठ के कारण उनको मारे जाने की साजिशों और कोशिशों की सब बातें बताकर अपने प्राण रक्षा किये जाने की प्रार्थना की थी ? अगर हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जहां तक मुझे स्मरण है वे मुझसे मिले थे। वे इंस्पेक्टर जनरल से भी मिले थे। मुनासिब कार्यवाही की गयी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस राजनीतिक गुटबन्दी का इसमें जिक्र है वह कांग्रेस पार्टी की आपस की भीतर की गुटबन्दी है और श्री शारदाप्रसाद जी कांग्रेस के असेम्बली के लिये उम्मीदवार हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---पार्टीबन्दी तो वहां स्थानीय मामलों को ले करके है और एम० एल० ए० के उम्मीदवार है या नहीं, मेरे पास तो कोई सूचना नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्होंने उन्हीं शिकायतों में वहां के जिले के अधिकारियों और पुलिस की बाबत जो शिकायत की है उसकी जांच सरकार ने की और उस जांच में क्या नतीजा निकला ?

श्री जगनप्रसाद रावत---उन्होंने वहां के स्थानीय पुलिस के थानेदार के खिलाफ शिकायत की थी और उसकी जांच की गयी और जांच के फलस्वरूप उसको वहां से हटा दिया गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार को यह मालूम है कि विगत अप्रैल में उन्होंने डी० आई० जी० से यह शिकायत की थी कि मेरे ऊपर यह हमला होने वाला है और उस पर पुलिस की भी साजिश है, और उन्होंने थाने में रिपोर्ट भी इस बात की थी कि मेरी जान को खतरा है और मेरे प्रतिद्वंदी मुझे मार डालना चाहते हैं और उसपर कोई कार्यवाही नहीं की गयी और उनकी रिपोर्ट करने के बाद भी मई के महीने में उनके घर पर जाकर गोली वर्षा भी की गई ?

श्री जगन प्रसाद रावत---इस तरह की शिकायतें दोनों दलों की ओर से हुई और उस पर जांच भी हुई। उन पर १०७ से ११७ की कार्यवाहियां भी हुईं और जो भी संभव तरीका झगड़े को रोकने का हो सकता था वह अख्तियार किया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के खिलाफ आई० जी० के पास और थाने में रिपोर्ट की गयी थी श्री शारदा प्रसाद द्वारा, उन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का आरोप भी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह सारी तफसील तो मेरे पास इस समय नहीं है, लेकिन तीन व्यक्तियों के खिलाफ ३०७ के मुकदमें चल रहे हैं।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जब वहां के दरोगा के विरुद्ध शिकायत थी और सरकार ने उस शिकायत की जांच करायी तो जांच कराने के बाद केवल उनका स्थानांतरण होना ही क्यों उचित समझा गया, और दूसरी सजा क्यों नहीं दी गयी ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जांच के फलस्वरूप कोई ऐसी निश्चित बात तो नहीं प्रमाणित हुई जिसमें उनका कोई दोष पाया जाता। कुछ उनकी लापरवाही और स्थिति को और तरीके से न संभालने की शिकायत भी सही पायी गयी, इसलिये उनको वहां से हटा दिया गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस आवश्यक कार्यवाही का जिक्र किया गया, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई है और क्या आगे होने जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---मैंने कहा कि इस सिलसिले में १०७ और ११७ की कार्यवाही हुई और जहां तक उन पर आक्रमण करने का संबंध है उसमें ३०७ के मुकदमे चल रहे हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---उत्तर में कहा गया है कि मंदिर और पुलिस चौकी की दूरी ११० कदम है, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन शख्सों ने गोली चलाई उनमें से किसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया या पुलिस चौकी में उन के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी और वह क्या की गयी।

†श्री जगनप्रसाद रावत---घटनास्थल पर अभियुक्त नहीं पकड़े जा सके। वे बाद में पकड़े गये तथा उन पर मुकदमा चलाया गया ?

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शारदाप्रसाद जी के पिता, भाई और वह खुद हिस्ट्री शीटर रहे हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---इसकी सूचना मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि घटनास्थल से पुलिस चौकी केवल दस कदम की दूरी पर है तो जिस समय दोनों तरफ से गोलियां चलीं तो उस समय पुलिस चौकी के कर्मचारियों ने क्या कार्यवाही की ?

श्री जगनप्रसाद रावत---फासला दस कदम का नहीं बल्कि ११० कदम का था।

हाथरस में बिजली की सप्लाई

*१०---श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस के इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को सरकार अपने हाथ में कब से लेने जा रही है और अब तक क्या रुकावटें रही हैं ?

श्री धर्मसिंह---हाथरस में कोई पावर हाउस नहीं है इसलिये उसको लेने के लिये प्रश्न ही नहीं उठता।

*११---श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या यह सच है कि हाथरस में नया ट्रांस्फारमर बहुत शीघ्र लग जायेगा ? यदि हां, तो कितने दिनों में जनता को स्वीकृत कनेक्शन मिल जायगा ?

श्री धर्मसिंह---हाथरस में ट्रांस्फार्मर आवश्यक शक्ति के हैं और कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लोअर गैंगेज इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी का लिक्वीडेशन कब तक हो जायगा और सरकार इसको कब तक अपने हाथ में ले लेगी ?

श्री धर्मसिंह---यह प्रश्न विचाराधीन है कि जिसका नाम माननीय सदस्य ले रहे हैं उसको ले लिया जाय।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसको लेने में क्या रुकावट रही है जो दो वर्ष से कोशिश हो रही है ?

श्री धर्मसिंह---पहले कम्पनी दस लाख रुपये मांगती थी और सरकार पांच लाख रुपये देना चाहती थी। उसी सिलसिले में लिखा-पढ़ी हुई और इसी कारण से देरी हो गई है ?

---†३१ अक्तूबर, १९५६ को पुलिस उपमंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार शोधित।

उन्नाव नगर को कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन से बिजली देने का आदेश

*१२—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या विद्युत् मंत्री उन्नाव नगर की बिजली की वर्तमान व्यवस्था को बदल कर उसे "केसा" (K. E. S. A.) से बिजली दिलाने की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—उन्नाव नगर को कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन से बिजली दिये जाने के बारे में आदेश जारी किये जा चुके हैं।

*१३—श्री देवदत्त मिश्र (अनुपस्थित)—क्या उन्नाव म्युनिसिपल बोर्ड ने इस सम्बन्ध में कोई सुझाव सरकार की सेवा में प्रस्तुत किया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—म्युनिसिपल बोर्ड, उन्नाव ने भी कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन से बिजली दिए जाने के लिये लिखा था।

*१४-१५—श्री कल्याण चन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[स्थगित किये गये।]

*१६-१७—श्री ब्रजभूषण मिश्र—[वापस लिये गये।]

बुलन्दशहर जिले के दादरी टाउन एरिया में विद्युत्करण की योजना

*१८—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि टाउन एरिया, दादरी, जिला बुलन्दशहर में बिजली लगाये जाने की मांग सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो सरकार कब तक दादरी टाउन एरिया में बिजली लगाने जा रही है?

श्री धर्मसिंह—दादरी का विद्युत्करण ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत्करण परियोजना में शामिल कर लिया गया है। इसका विद्युत्करण इस योजना के समय के अन्दर हो जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दादरी में विद्युत्करण कब तक कर दिया जायगा?

श्री धर्म सिंह—द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कर दिया जायगा।

कड़वा तेल को बिक्री-कर से मुक्त करने की प्रार्थना

*१९—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या वित्त मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि साधारणवर्ग की जनता की दैनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मूंगफली तेल की भांति कड़ुवा तेल को बिक्री-कर से मुक्त करने की आवश्यकता पर वे विचार कर रहे हैं?

श्री धर्मसिंह—सरकार इस समय कड़ुआ तेल को बिक्री-कर से मुक्त करने के प्रश्न पर विचार नहीं कर रही है। लेकिन मनुष्य अथवा पशु-श्रम से घानी पर निकाले गये खाने के सब प्रकार के तेल बिक्रीकर से मुक्त हैं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मूगफली के तेल पर सेल्स टैक्स क्यों नहीं लगाया गया है?

श्री धर्म सिंह---इसके बहुत से कारण थे। पहला तो यह कि यह रा-मंटीरियल में शामिल है, दूसरे कम्पीटीशन के मामले में हानि होती थी, तीसरे बहुत से साहबान इस सम्बन्ध में मिले थे और इसके इम्पार्टेन्ट फैक्टर होने के कारण इसको माफ किया गया।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कड़ुवे तेल पर बिक्री-कर की वृद्धि से वह इतना महंगा हो गया है कि उसमें और जो डालडा घी मिलता है उसकी कीमत में कोई फर्क नहीं रह गया है इसलिये कड़ुवा तेल न खरीद कर लोग डालडा खरीद रहे हैं जिससे अन्ततोगत्वा बिक्री-कर का नुकसान सरकार को होता है ?

श्री धर्मसिंह---ऐसी बात नहीं है। कड़ुवे तेल पर तो एक्जेम्प्शन है, लेकिन कड़ुवा तेल दो तरह का होता है, एक कच्ची घानी का और दूसरा मिल का। तो कच्ची घानी के तेल पर सेल्स टैक्स माफ है। इसलिये जो माननीय सदस्य बात कह रहे हैं ऐसा नहीं है।

कानपुर में बिक्री-कर से आय तथा वसूली पर व्यय

*२०---श्री रामदुलारे मिश्र---क्या मन्त्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि सन् १९५५ और जून सन् १९५६ तक कानपुर में सेल्स टैक्स से कितनी आमदनी हुई और इसके वसूल करने में कितना खर्च हुआ ?

श्री धर्मसिंह---१९५५ में कानपुर से २,०१,२५,६८४ रु० बिक्री-कर वसूल हुआ। जनवरी से जून, सन् १९५६ तक ८६,४४,८८१ रु० की धनराशि वसूल की गई। बिक्री कर वसूल करने में क्रमानुसार २,२२,२१३ रु० और १,०३,०४७ रु० व्यय हुआ।

*२१---श्री रामदुलारे मिश्र---क्या यह सही है कि सन् १९५५ और जून १९५६ के बीच कानपुर के कई धनी मानियों पर सेल्सटैक्स का रुपया वसूल नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों और किन लोगों पर कितना ?

श्री धर्मसिंह---कानपुर के बड़े व्यापारी आमतौर पर बिक्री कर देय होने पर जमा कर देते हैं या उसके कुछ दिनों बाद। उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम के आदेशानुसार कर-निर्धारण अथवा कर-वसूली सम्बन्धी कार्यवाहियों के समस्त ब्योरे गोपनीय रखे जाने चाहिए। इसलिए व्यापारियों के नाम तथा उनके जिम्मे कितनी धनराशि बकाया है यह बताना जनहित में नहीं है।

श्री रामदुलारे मिश्र---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी १९५५ से जून १९५६ तक बिक्री कर के संबंध में कितने मामले बड़े व्यापारियों पर चले ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है, यह बताना कठिन है कि कितने मामले चले।

श्री वीरेंद्र वर्मा---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दो करोड़ से ऊपर की वसूलयाबी बतलाई गई है तो कितना असेसमेंट सरकार का था ?

श्री धर्मसिंह---यह भी मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

गोंडा जिले में बलरामपुर के महाराजा पटेश्वरीदत्त सिंह द्वारा इंजीनियरिंग कालेज के लिये महल का कथित दान

*२२---श्री गंगा प्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किस स्थान पर इंजीनियरिंग कालेज खोलने जा रही है ?

श्री धर्म सिंह--- जी नहीं।

*२३—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में "बलरामपुर राज्य" के महाराजा पटेश्वरीदत्त सिंह जी ने अपना महल जिसका नाम गेस्टन हाल है "इंजीनियरिंग" कालेज को देने को सरकार को लिखा है? अगर जवाब हां में है, तो कब तक वहां इंजीनियरिंग कालेज खुल जायेगा?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

श्री गंगा प्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस दूसरे जिले में इंजीनियरिंग कालेज खुलने जा रहा है?

श्री अध्यक्ष—यह तो प्रश्न संख्या २२ के उत्तर में बताया जा चुका है कि कहीं नहीं खोल रहे हैं।

श्री गंगाप्रसाद—क्या जब माननीय नियोजन मंत्री जी गोंडा पधारे थे तो बलरामपुर के महाराजा पटेश्वरी दत्त सिंह जी ने अपना महल, जिसकी कीमत ५० लाख रुपये से भी ऊंची होगी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वहां इंजीनियरिंग कालेज खोलने के लिए सरकार को देने को कहा था?

श्री धर्मसिंह—अब माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर दे दिया गया कि इस तरह का कोई पत्र सरकार के पास नहीं आया है जिसमें भवन इत्यादि देने की बात की गयी हो।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार के पास जिला नियोजन समिति का भी कोई प्रस्ताव आया है कि वहां पर इंजीनियरिंग कालेज खोल दिया जाय?

श्री धर्मसिंह— जी नहीं।

*२४-२५—**श्री रामेश्वरलाल**—[स्थगित किये गये।]

सुल्तानपुर जिले में राज कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

*२६—**श्री रणंजय सिंह** (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि १-१-१९५४ से ३० जून, १९५६ तक सुल्तानपुर जिला में कितने राज-कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें हुईं तथा उनमें से कितने निरपराध सिद्ध हुये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सुल्तानपुर जिले में १-१-१९५४ से ३०-६-१९५६ तक २५५ सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें हुईं। इनमें से १२० व्यक्ति निर्दोष सिद्ध हुये।

श्री रणंजयसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन २५५ और १२० में किस विभाग के कितने कर्मचारी थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह ढाई सौ सवा सौ की बहुत लम्बी चौड़ी लिस्ट है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष बात को जानना चाहें तो दफ्तर में देख सकते हैं।

श्री वीरेंद्र वर्मा—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन २५५ कर्मचारियों में कितने गजटेड आफिसर्स थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मेरा ख्याल है शायद दो थे।

१९५१ से १९५६ तक पुलिस द्वारा जनता पर गोली चलाने की घटनायें

*२७—**श्री राजनारायण**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सन् ५० के बाद से अब तक उत्तर प्रदेश में सरकार की पुलिस की ओर से कहां-कहां कितनी बार ग्राम जनता पर गोली चलाई गई है?

श्री जगनप्रसाद रावत---मांगी हुई सूचना संलग्न नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३४८ पर)

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैंने सन् ५० से पूछा था कि तब से अब तक कितनी बार पुलिस ने गोली चलाई और जवाब सन् ५१ से दिया गया है।

श्री अध्यक्ष---आपने पूछा था कि सन् ५० के बाद से, तो ५० के बाद तो ५१ ही होता है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ३१ मार्च जो प्रदेश में निहत्थी जनता पर गोली चली है उसमें जानें कितनी गयी हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह तो सही नहीं है कि निहत्थी जनता पर हमेशा गोली चली है। जो आदमी जान से मारे गये उनकी संख्या इस प्रकार है :---

सन्	संख्या
१९५१ में	१२
१९५२ में	४
१९५३ में	८
१९५४ में	४
१९५५ में	३

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इसमें ऐसी गोली कब और किस स्थान पर चली जहां जनता निहत्थी नहीं थी?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह तो बहुत तफसील की बात है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इन गोलीकांडों में से कितनों की वैभागिक जांच हुई और कितनों की जुडीशियल जांच हुई?

श्री जगनप्रसाद रावत---इन इकतीसों में मैजीस्टीरियल एन्क्वायरी हुई।

श्री नारायण दत्त तिवारी---इन मैजीस्टीरियल एन्क्वायरी के परिणामस्वरूप कितने में पुलिस द्वारा गोली चलाना गलत साबित हुआ और कितनों में सही?

श्री जगनप्रसाद रावत---२७ में सही साबित हुआ और ४ में अनजस्टीफाइड माना गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जिन ४ गोलीकांडों में गोली चलाना अनजस्टीफाइड माना गया उनसे सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री जगन प्रसाद रावत---उन चारों घटनाओं के सम्बन्ध में अलग-अलग कार्यवाही हुई। यदि अध्यक्ष महोदय मुझे आज्ञा देंगे तो मैं सुना दूंगा।

श्री अध्यक्ष---बहुत लम्बी होगी तो मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---उसका संक्षेप ही बता दें यदि लम्बी हो तो।

श्री जगनप्रसाद रावत---वह तफसील से बहुत लम्बी है।

श्री अध्यक्ष---(श्री नारायणदत्त तिवारी से) आप फिर से अपना प्रश्न करें?

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी संक्षेप में बतलाने की कृपा करेंगे कि उन ४ गोलीकांडों से सम्बन्धित मुख्याधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—चार में एक तो प्रतापगढ़ था। वहां तीन कांस्टेबिलों के खिलाफ दफा ३०२, ३२५ और १०९ का मुकदमा चलाया गया, लेकिन वे सेशंस से छूट गये। हमीरपुर में एक घटना हुई जिसके सिलसिले में वैधानिक कार्यवाही की गयी जिसके फल स्वरुप एक सब इंस्पेक्टर नौकरी से डिसमिस कर दिये गये। खीरी में एक घटना हुई। इससे सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाहं की गई जिसके फल स्वरूप उनकी तनख्वाह घटा दी गई। पीलीभीत में जांच हुई तथा दफा ३०७ के अन्तर्गत उन पर मुकदमा चलाया गया। उसमें एक हेड कांस्टेबिल और एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ अब भी कार्यवाही जारी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि खीरी और हमीरपुर के गोलीकांड में ३०२ धारा के अनुसार मुख्याधिकारी के विरुद्ध मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जहां कहीं मुकदमा चलाने की जरूरत होती है वहीं चलाया जाता है। जहां नहीं होती वहां नहीं चलाया जाता।

श्री राजनारायण—क्या सरकार जहां-जहां मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हुई उसमें कृपा करके जुडीशियल इन्क्वायरी भी कराने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—५१ से अब तक ?

श्री राजनारायण—जी हां।

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं।

आजमगढ़ जिले से राजनीतिक पीड़ितों के पेंशन के लिये आवेदन-पत्र

*२८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेषाधिकारी राजनीतिक पीड़ित विभाग की नियुक्ति होने के बाद से आजमगढ़ जिले के प्रत्येक तहसील के कितनी-कितनी तथा कब-कब सजा पाये हुये व्यक्तियों के आवेदन-पत्र मासिक पेन्शन प्राप्त करने के लिये प्राप्त हुये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कुल ५५८ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, प्रश्न में उल्लिखित अन्य ब्योरा उपलब्ध नहीं है। यदि माननीय सदस्य किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानना चाहें तो आवश्यक सूचना मंगाई जा सकती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अन्य ब्यौरा प्राप्त न होने का क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—तहसीलवाइज हमारे पास प्रार्थना-पत्र नहीं आते। प्रार्थना पत्र तो व्यक्ति अपने-अपने नाम से देते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही नहीं है कि राजनीतिक पीड़ित विभाग कार्यालय में सभी प्रार्थनायें हैं और उन्हीं के द्वारा यह सूचना प्राप्त की गई है ? यदि हां, तो यह विवरण देने में माननीय मंत्री जी को क्या दिक्कत है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इसलिये कि जिस विवरण की आवश्यकता नहीं होती उसके लिये उनसे विवरण नहीं मांगा जाता।

अलीगढ़ जिले के कस्बा खैर में मंदिर का लिण्टल गिरने से दुर्घटना

*२९--श्री नेत्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तारीख २६-८-५६ की रात को जिला अलीगढ़ कस्बा खैर में मन्दिर का लिन्टल गिर जाने से कितने और कौन-कौन आदमी मरे और घायल हुये हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--५ व्यक्ति मरे और १२ घायल हुये । नामों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३४९ पर)

श्री नेत्रपाल सिंह--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जो व्यक्ति मरे हैं उनके संबंधियों को सरकार सहायता देने का विचार कर रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी नहीं ।

श्री नेत्रपाल सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे सार्वजनिक स्थान धर्मशाला, मंदिर इत्यादि, जहां पर मेले के मौके पर भीड़ इकट्ठा होती है और जिसके कारण वह गिर जाते हैं, उनका जांच कराने का कोई प्रबन्ध है ? क्या कोई मुहकमा उनकी जांच करता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इसकी जांच तो म्युनिसिपैलिटी करती है और हम तो जहां कहीं मेले वगैरह होते हैं यह कोशिश करते हैं कि वहां भीड़ इकट्ठी न हो। लोगों से प्रार्थना करते हैं कि वहां ज्यादा न इकट्ठा हों ।

*३०-३१--श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--[स्थगित किये गये ।]

गोंडा जिले में कत्लों के सम्बन्ध में सूचना

*३२--श्री बद्रीनारायण मिश्र--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि १ जनवरी, १९५५ से २० अगस्त, १९५६ तक कितने कत्ल के केस गोंडा जिला में हुये और उसमें कितने ३०२ और कितने ३०४ में मुकदमे चलाये गये हैं और कितने छूट गये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--धारा ३०२ के अन्तर्गत ४८ मुकदमे चलाये गये जिनमें से ६ छूट गये, ८ में सजा हुई और ३४ अभी विचाराधीन हैं । धारा ३०४ के अन्तर्गत ५० मुकदमे चलाये गये जिनमें से ७ छूट गये, ७ में सजा हो गई और ३६ अभी विचाराधीन हैं ।

*३३--श्री बद्रीनारायण मिश्र--क्या सरकार बतायेगी कि गोंडा जिले के तरबगंज तहसील में किसी व्यक्ति को १८ अगस्त को दिन में कत्ल किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उस केस में किन लोगों का हाथ था ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हां । अभी मामले की जांच हो रही है ।

*३४--श्री बद्रीनारायण मिश्र--उक्त जिला में उपर्युक्त कितने कत्ल दिन में हुये और कितने रात्रि में ?

श्री जगनप्रसाद रावत--६४ कत्ल दिन में और ५८ रात्रि में हुये ।

श्री बद्रीनारायण मिश्र--क्या कारण है कि इतने मुकदमे छूट रहे हैं और क्या यह मुकदमे छूट जाने की वजह से कत्ल के केस बढ़ रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--मुकदमे छूटने के बहुत से कारण होते हैं। किसी में शहादत ठीक नहीं होती, किसी में रिपोर्ट सही नहीं लिखाई जाती, किसी में तफतीश में कोई लापरवाही हो जाती है और यह तो सही है कि ज्यादा मुकदमे छूटें तो उससे बदअमनी होने का अंदेशा तो है ही।

श्री बद्रीनारायण मिश्र--क्या १८ अगस्त से आज २५ अक्तूबर तक इस कत्ल के मुकदमे के सम्बन्ध में मालूम नहीं हुआ कि यह किन आदमियों ने किया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जांच हो रही है यह मैंने कहा। तो यह मतलब नहीं है कि मालूम नहीं हुआ लेकिन जो सूचना मिलती है उसकी पुष्टि करना आवश्यक होता है।

श्री बद्रीनारायण मिश्र--क्या जिन लोगों ने कत्ल किया है उनके नाम मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगन प्रसाद रावत--मैं इस सम्बन्ध में कोई निश्चित बात अभी नहीं कह सकता।

श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि किस व्यक्ति का कत्ल हुआ है और किस गांव में हुआ है और कितने बजे दिन में हुआ है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस ऐसी चीज की जांच हो रही है जो पूरी नहीं हुई जब उसका कत्ल हो गया, शाम को हुआ और फिर यह किस बात की जांच कर रहे हैं कि जिसे सरकार नहीं बता सकती ?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह तो जिस घटना का जिक्र बद्रीनारायण जी ने किया उसी की जांच हो रही है।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसकी जांच के लिये कौन से अधिकारी मुकर्रर हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--इसकी जांच तो पुलिस के अधिकारी कराते हैं और वही कर रहे हैं।

जौनपुर जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*३५--श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५५-५६ में जौनपुर जिले के कितने राजनीतिक पीड़ितों ने पेंशन के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे ? उसमें से कितनों की अवस्था ५० वर्ष से अधिक है और पेंशन दिये जाने के पात्र हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--४१५९८ आवेदक ५० वर्ष से अधिक हैं जिनमें से १६ को पेंशन मिल चुकी है। शेष प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है।

*३६--श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्य सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त प्रार्थियों में से किसको-किसको कितनी-कितनी पेंशन दी गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह बतलाना अशोभनीय प्रतीत होता है।

*३७--श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजनीतिक पीड़ितों को सहायता देने के हेतु कोई विभाग अलग से स्थापित किया गया है ? यदि हां, तो ३१ मार्च, १९५६ तक इस विभाग पर कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री जगत प्रसाद रावत---जी हां । १८,४८८ रु० ६ आ० ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विचाराधीन मामलों का निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत---सभी जिलों के प्रार्थना-पत्र हैं और थोड़े बहुत पत्रों का विचार रोज ही होता रहता है और कुछ न कुछ फैसले भी होते रहते हैं, नये भी आते रहते हैं।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---जौनपुर जिले में अधिक से अधिक पेंशन कितनी दी गई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---अधिक से अधिक ४० रुपये माहवार।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार जिन लोगों के नाम विचाराधीन हैं दिसम्बर में उनको पेन्शन दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---हम तो सभी प्रार्थना-पत्रों पर जल्दी से जल्दी फैसला करना चाहते हैं और जिन पर फैसला हो सकेगा उनको जरूर पेंशन दी जायगी।

श्री व्रजभूषण मिश्र---कम से कम पेंशन कितनी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---२० रुपये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---राजनीतिक पीड़ितों के लिये कायम हुये विभाग को अस्थायी रखेंगे या स्थायी करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---वह अभी अस्थायी है।

पुलिस सब-इन्स्पेक्टरों की संख्या में हरिजनों की वृद्धि

*३८---श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५४ के अन्त में उत्तर प्रदेश में हरिजन थानेदारों की संख्या क्या थी और ३१ दिसम्बर, १९५५ को कितनी हो गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---३१ दिसम्बर, सन् १९५४ ई० को पुलिस फोर्स की सभी शाखाओं में हरिजन सब-इंस्पेक्टरों की कुल संख्या ६ थी तथा ३१ दिसम्बर सन् १९५५ ई० को यह संख्या ७० हो गई।

*३९---श्री जगन्नाथ प्रसाद (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने हरिजन सर्किल इन्स्पेक्टर, रिजर्व इन्स्पेक्टर तथा पब्लिक प्रोसीक्यूटर पुलिस विभाग में हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---पुलिस डिपार्टमेंट में सर्किल इन्स्पेक्टर, रिजर्व इन्स्पेक्टर तथा पब्लिक प्रोसीक्युटर के पद पर कोई भी हरिजन नहीं है।

मिर्जापुर जिले में कोआपरेटिव विभाग की लाख फैक्ट्री

*४०---श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले में कोआपरेटिव विभाग द्वारा कोई लाख फैक्ट्री खोली गई थी ? यदि हां, तो कब ?

श्री धर्मसिंह---जी हां। मिर्जापुर जिले में अप्रैल, १९४९ में सहकारी विभाग की ओर से एक लाख फैक्ट्री खोली गई थी।

*४१—श्री कमलासिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लाख इकट्ठा करने के लिये मिर्जापुर जिले में कितना स्टाफ रक्खा गया था और उसके लिये कितना धन स्वीकृत किया गया था ?

श्री धर्मसिंह—लाख इकट्ठा करने के लिये निम्नलिखित स्टाफ व धन स्वीकृत किया गया था :—

		संख्या
१—(क)	मैनेजर लाख फैक्ट्री ..	.. १
(ख)	लाख इन्स्पेक्टर ..	.. १
(ग)	लाख सुपरवाइजर ..	.. ७
(घ)	चपरासी ..	.. २

२—वर्ष	धन (अनुदान)
	रु०
१६५०-५१ ..	.. ६,३००
१६५१-५२ ..	.. ८,४००
१६५२-५३ ..	.. ८,४००
१६५३-५४ ..	.. ८,४००
१६५४-५५ ..	.. ८,४००
१६५५-५६ ..	.. ८,४००

श्री कमलासिंह—क्या माननीय मंत्री कृपा कर बतावेंगे कि इस फैक्ट्री के खोलने का उद्देश्य क्या था और इसके कार्यों की जांच कब कराई गई ?

श्री धर्मसिंह—फैक्ट्री का उद्देश्य लाख इकट्ठा करना और क्रय-विक्रय का संघ को अधिकार देना था।

श्री कमलासिंह—जितना अनुदान इसके कार्यों में लगा उससे प्रत्येक वर्ष कितना लाभ या घाटा हुआ ?

श्री धर्मसिंह—घाटे का तो प्रश्न इसमें नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव के किस विभाग द्वारा यह खोली गयी है, रजिस्ट्रार द्वारा खोली गयी अथवा किसी कोआपरेटिव यूनियन द्वारा ?

श्री धर्मसिंह—दुद्धी सहकारी संघ द्वारा खोली गयी थी।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार बतायेगी कि सन् ५२ के दुर्भिक्ष के समय से लाख को फ्री कर दिये जाने के बाद कारखाने के बन्द हो जाने से इस समय ये कर्मचारी क्या काम कर रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—वे जिले में सहकारिता का काम कर रहे हैं। लाख के उत्पादन में तरक्की हो सकने के कार्यों को भी करते रहते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो सरकारी संस्था मिर्जापुर में इस काम को कर रही है, वह अपने ही ढंग से काम कर रही है या उसको सरकार की ओर से कोई अनुदान भी दिया जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है कि कितना अनुदान दिया जाता है। लेकिन जैसा कि बताया गया दुद्धी सहकारी संघ को ही इस कार्य के लिये अधिकार दिया गया था।

सीतापुर जिले में चोरी, डाके तथा कत्ल की वारदातें

*४२—श्री तुलाराम रावत (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सीतापुर में सन् १९५५ में तथा २६ अगस्त, १९५६ तक कितनी डकैतियां, चोरियां, लूटमार और कत्ल हुये हैं ?

*४३—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रत्येक डकैती, चोरी, लूटमार और कत्ल में अब तक कुल कितने अपराधी पकड़े गये हैं ?

*४४—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त अपराधों में कोई असलहा भी बरामद हुये हैं ? यदि हां, तो उनकी तादाद क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी गई सूचना संलग्न नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३५० पर)

जौनपुर जिले में चोरी, डाके व बटमारी की वारदातें तथा थानेदारों की लाइन हाजिरी

*४५—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी सन् १९५६ से अगस्त सन् १९५६ तक जौनपुर जिले में कितने थानेदार लाइन हाजिर किये गये और क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस काल में जौनपुर जिले के तीन सब-इन्स्पेक्टर लाइन हाजिर किये गये। एक सब-इन्स्पेक्टर के खिलाफ नकबजनी के मुकदमे छिपाने का आरोप है। बाकी दोनों सब-इन्स्पेक्टरों के खिलाफ अत्याचार और भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

*४६—श्री बाबूनन्दन (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के प्रत्येक थाने पर जनवरी सन् १९५६ से अगस्त सन् १९५६ तक कितने डाके तथा चोरी और राहजनी हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी गई सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३५१ पर)

एटा जिले में बन्दूक के लाइसेंसों का रिन्यू किया जाना

*४७—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में बन्दूकों के लाइसेन्स अब तक रिन्यू (renew) नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जिला एटा में सारे बन्दूकों के लाइसेन्स सन् १९५६ के लिये "रिन्यू" कर दिये गये हैं।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—क्या सरकार को पता है कि विश्रामसिंह यादव, ग्राम हमीरपुर का लाइसेंस क्यों रिन्यू नहीं किया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—एक-एक आदमी की तफसील मेरे पास नहीं है।

*४८-५०—श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—[स्थगित किये गये।]

*५१-५२—श्री बलवन्त सिंह—[स्थगित किये गये।]

रिहन्द बांध के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता

*५३—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रेणुका सागर (रिहन्द बांध) के इंजीनियरों तथा कर्मचारियों को सरकार वहां रहने के लिये विशेष मासिक भत्ता देती है ? यदि हां, तो किस ग्रेड के किस कर्मचारी को, किस दर पर तथा कब से यह भत्ता दिया जाता है ?

श्री धर्मसिंह---सरकार ने रिहन्द बांध के निम्नलिखित इन्जीनियरों तथा कर्मचारियों को जिनका हेडक्वार्टर रिहन्द बांध के कार्यस्थान अथवा वह स्थान जो मिर्जापुर जिले में सोन नदी के दक्षिण में है, अस्वास्थ्यकर जलवायु, कठिन कार्य तथा सुविधाओं की कमी के कारण, उनके सामने दी हुई दर तथा तिथि से प्रतिकर भत्ता (Compensatory allowance) देना स्वीकृत किया है और दिया जा रहा है---

कर्मचारी	दर प्रति माह	तिथि
१---सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर और इनके समान के अधिकारी ।	१५०.रुपए	१-३-१९५५
२---इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर और इनके समान के अधिकारी ।	१२५ रुपए	,,
३---असिस्टेन्ट इन्जीनियर और इनके समान के अधिकारी ।	७५ रुपए	,,
४---असिस्टेन्ट जिआलाजिस्ट	७५ रुपए	,,
५---ओवरसियर और इलेक्ट्रिकल एवं मिकेनिकल सुपरवाइजर, सबार्डीनेट इलेक्ट्रिकल एवं मिकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस के कर्मचारी तथा इनके समान के अन्य कर्मचारी ..	२५ रुपए या उनके वेतन का २० प्रतिशत, जो भी अधिक हो ..	,,
६---मिनिस्टीरियल इस्टेब्लिशमेंट ..	१५ रुपए या उनके वेतन का २० प्रतिशत जो भी अधिक हो ..	,,
७---पेटी इस्टेब्लिशमेंट	५ रुपए	,,
८---आपरेटिंग स्टाफ	१० रुपए या उनके वेतन का २० प्रतिशत जो भी अधिक हो ..	,,
९---विद्युत विभाग के पावर स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट और मेन्स सुपरिन्टेन्डेन्ट	वेतन का २० प्रतिशत जो ६० रुपए से अधिक न हो ..	,,
१०---स्पेशल लैन्ड एक्वीजिशन अधिकारी	७५ रुपए	नियुक्ति की तिथि से ।
११---डिप्टी लैन्ड एक्वीजिशन अधिकारी ..	४० रुपए या उनके वेतन का २० प्रतिशत जो अधिक हो, परन्तु ६० रुपए से अधिक न हो ..	,,
१२---सुपरवाइजर कानूनगो	१५ रुपये या उनके वेतन का २० प्रतिशत जो भी अधिक हो ..	,,

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि कुछ अधिकारियों ने अपना आफिस वहां न ले जाते हुए और मिर्जापुर में रहते हुए, यह एलाउंस ड्रा किया है ?

श्री धर्मसिंह---इस तरह की सूचना तो नहीं है। यदि माननीय सदस्य इसको लिखकर देंगे तो उसकी छानबीन करा ली जायगी ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जब अस्वास्थ्यकर जलवायु, कठिन कार्य और सुविधाओं की कमी के कारण रिहन्द बांध पर काम करने वालों को कम्पेन्सेटरी एलाउंस दिया जाता है तो सोन के उस पार काम करने वाले कर्मचारियों को भी सरकार कोई विशेष एलाउंस देगी ?

श्री धर्मसिंह---जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया कि इस वक्त तो उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके बारे में जवाब दिया जा चुका है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---तो अन्य कर्मचारियों को न देने का कारण सरकार बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह---इसके बारे में तो फिर छानबीन करायी जायगी कि उस क्षेत्र में अन्य कर्मचारी जो काम करते हैं उनको किन कारणों से नहीं दिया जाता है ।

श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस एलाउंस के अलावा इस तरह के असिस्टेंट इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को एक-एक स्टेशन वैगन या जीप दी गयी हैं ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये मैं नहीं कह सकता, अगर आवश्यकता पड़ी होगी तो दी गयी होगी ।

*५४-५६---श्री गंगाप्रसाद---[प्रश्न २२-२४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

पीलीभीत तथा अन्य जिलों में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस (कम्पलेंट्स) की नियुक्तियां

*५७---श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि ऐसे कितने जिले हैं जिनमें ऐन्टी-करप्शन आफीसर की तैनाती नहीं हुई और क्या पीलीभीत जिले में आफीसर रखने का विचार सरकार रखती है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अल्मोड़ा, गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल और जौनपुर जिलों को छोड़कर प्रदेश के सब जिलों में एन्टी-करप्शन आफीसर (जिनका पदनाम डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट आफ पुलिस कम्पलेन्ट्स है) की नियुक्तियां की जा चुकी हैं। अल्मोड़ा, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल में उक्त पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं की जानी है, क्योंकि इन जिलों का भ्रष्टाचार निवारण का कार्य क्रमशः नैनीताल, बिजनौर और देहरादून के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस (कम्पलेन्ट्स) देखते हैं। जौनपुर जिले में उक्त पदाधिकारी की नियुक्ति अभी तक नहीं की जा सकी है ।

२---पीलीभीत जिले में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस (कम्पलेन्ट्स) कार्य कर रहे हैं।

*५८---श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)---[स्थगित किया गया ।]

*५९---श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)---[स्थगित किया गया ।]

*६०-६१—श्री हरगोविन्द पन्त (जिला अल्मोड़ा)—[स्थगित किये गये।]

बरेली जिले में भोजीपुरा स्टेशन पर कथित रिवालवरों से भरे पारसल का पकड़ा जाना

*६२—श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि भोजीपुरा स्टेशन, जिला बरेली में कोई पारसल पकड़ा गया है और उसमें ५५० रिवाल्वर निकले? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसी कोई घटना नहीं हुई। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*६३—श्री हरिप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि यह पारसल किसका था और कहां से आया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न ही नहीं उठता।

*६४—श्री गौरीराम (जिला गोरखपुर)—[स्थगित किया गया।]

हरदोई जिले में कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में चार वर्ष से अधिक समय तक कार्य करने वाले कामदारों व सुपरवाइजरों की सूची

*६५—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या सरकार जिला हरदोई में कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में कामदार से कोआपरेटिव आफिसर तक के कर्मचारियों के उन लोगों की सूची जो चार वर्ष से अधिक से जिले में हैं, बताने की कृपा करेगी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जिला हरदोई में कामदारों व सुपरवाइजरों की सूची जो चार वर्ष से अधिक से जिले में कार्य कर रहे हैं, संलग्न है।

कोई इंस्पेक्टर या जिला सहकारी अधिकारी चार वर्ष से अधिक समय से जिले में कार्य नहीं कर रहा है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३५२ पर)

देवरिया जिले के कोतवाली थाने में चोरी की कथित वारदातें

*६६—श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि १५-६-५६ से ३०-८-५६ तक देवरिया जिला के कोतवाली थाने में कब और कहां नकब लगा कर, ताला तोड़ कर चोरी होने की वारदातें हुईं और उनमें कितने लोग पकड़े गये और कितनों को सजा हुई?

श्री जगनप्रसाद रावत—उक्त अवधि के अन्दर ऐसी किसी घटना की सूचना कोतवाली थाने को नहीं दी गई। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

झांसी जिले में म्युनिसिपल बोर्ड, मऊरानीपुर द्वारा सपरार बांध से बिजली दिये जाने की प्रार्थना

*६७—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि म्यूनिसिपल बोर्ड, मऊरानीपुर (झांसी) ने व्यापारिक उन्नति आदि के लिये सपरार बांध से बिजली लगाने के लिये सरकार से प्रार्थना की थी? यदि हां, तो कब?

श्री धर्मसिंह—जी हां। मार्च, १९५६ में।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री धर्मसिंह---सपरार बांध पर बिजली योजना कोई इस प्रकार की नहीं है जिससे बिजली दिये जाने का विचार किया जा सके। इसलिये प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं हो सका।

आगरा जिले की बाह तहसील के राजनीतिक पीड़ितों की पेन्शन सम्बन्धी दरख्वास्तों पर निर्णय न होने की शिकायत

*६८---**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** (जिला आगरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील बाह, जिला आगरा को पोलीटिकल सफरर्स पेंशन से संबंधित साल भर से अधिक की कितनी दरख्वास्तें विचाराधीन हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह सूचना देना संभव नहीं है, क्योंकि प्रायः आवेदन-पत्रों में तहसील का विवरण नहीं दिया हुआ है।

*६९---**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी**---क्या यह सही है कि अधिकांश प्रार्थियों को यह भी सूचना नहीं मिली है कि उनके प्रार्थना-पत्रों पर कोई निर्णय हुआ या नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जिन लोगों के प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हो जाते हैं प्रायः उन्हीं को सूचना दी जाती है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---क्या सरकार को विदित है कि प्रार्थना-पत्र के संबंध में कोई सूचना न मिलने के कारण प्रार्थियों को बड़ी परेशानी होती है और इधर से उधर वे यह जानने के लिये भागते फिरते हैं कि उनका प्रार्थना-पत्र पहुंचा या नहीं और उस पर विचार हो रहा है या नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---संभव है कि यह कठिनाई होती हो, लेकिन प्रार्थना-पत्र के मिलने का उत्तर तो उनको मिल जाता है कि उनके प्रार्थना-पत्र मिले लेकिन फैसले का उन्हीं को उत्तर मिलता है, जिनके प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हो जाते हैं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---क्या सरकार यह देखते हुए कि बहुत संख्या में प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं, ऐसी व्यवस्था करेगी कि विशेषाधिकारी प्रत्येक जिले में जाकर वहां के उन प्रार्थनापत्रों का जल्द से जल्द निर्णय करें ?

श्री जगनप्रसाद रावत---सरकार माननीय सदस्य के सुझाव पर अवश्य विचार करेगी।

सप्लाई विभाग के कर्मचारियों की डिप्टी कलेक्टरों के पदों पर नियुक्तियां

*७०---**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सप्लाई विभाग से कुछ डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो कितने की ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जी हां, २१ अफसरों की।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन केटेगरीज से यह नियुक्तियां की गई हैं और कितनी की गई हैं और यह चुनाव किस के द्वारा कराया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---डिप्टी कलेक्टरों का चुनाव पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से होता है, वैसे ही उनका हुआ, इस वक्त किसी और विभाग से लोग नहीं रखे गये हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेट जो कहीं-कहीं पर एस० डी० ओ० इंचार्ज का काम कर रहे हैं उनको भी और डिप्टी कलक्टरों के साथ क्यों मौका नहीं दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों में से बहुत से लोग धीरे-धीरे स्थायी पदों पर आ जाते हैं, लेकिन वह विभाग चूंकि अभी तक अस्थायी है इसलिये ऐसे लोग जो काफी दिनों से काम कर रहे हैं उनको ऐसा मौका देना बहुत जरूरी समझा गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि जिस समय सरकार ने सप्लाई विभाग से डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति हेतु पी० एस० सी० के पास नाम भेजे उस समय कुछ नाम रिलीफ एन्ड रिहैबिलिटेशन के भी कमीशन के पास भेजे गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं इस वक्त इस सवाल का जवाब ठीक नहीं दे सकता।

अलीगढ़ जिले में स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों को सहायता

*७१---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में कितने स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों को नियमित सहायता दी जाती है और तहसीलवार उनकी संख्या क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---२९ को। इन सब की तहसीलवार संख्या देना संभव नहीं है।

*२७---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष में नई सहायता कितनों को और कब स्वीकृत हुई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---२२ व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई। शेष प्रश्न के संबंध में सूचना मेरे कार्यालय से प्राप्त कर लें।

*७३---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ये पेंशन इन व्यक्तियों को कब से मिलनी आरम्भ हो जायंगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---१३ व्यक्तियों को पेंशन मिल रही है और आशा की जाती है कि शेष व्यक्तियों को शीघ्र ही मिलनी आरम्भ हो जायेगी।

कम्पलेंट आफिसर्स द्वारा पकड़े गये भ्रष्टाचार के मामले

*७४---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार कृपा कर जिलेवार यह बतायेगी कि कम्प्लेन्ट आफीसर्स ने ३१ जुलाई, १९५६ तक किस-किस विभाग में भ्रष्टाचार के कितने मामले पकड़े ?

श्री जगनप्रसाद रावत---वांछित सूचना संलग्न सूची में देखी जा सकती है। सूची में दिये मामले पकड़े नहीं गये, बल्कि कम्प्लेन्ट आफीसर्स द्वारा की गई जांच के फलस्वरूप सही पाये गये।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३५३-३५६ पर)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार का ध्यान इस संलग्न सूची की इस बात की ओर गया है कि इसमें जो मामले सही पाये गये हैं उनमें पुलिस विभाग सम्बन्धी मामले बाकी दूसरे विभागों के मामलों की संख्या से ज्यादा हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह तो सूची से जाहिर ही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि जो मामले सही पाये गये हैं उनमें अब आगे क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---वह तो हर मामला जितना गम्भीर है उसमें उसी तरह की कार्यवाही हो रही ह।

अतारांकित प्रश्न

बदायूं जेल से आजीवन दंडित कैदी मुश्ताक खां की जेल से मुक्ति

१---श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---क्या यह सही है कि मुश्ताक खां, पुत्र अजमत खां, निवासी शाहजहांपुर जो धारा ३९६ भारतीय दण्ड विधान संग्रह के अनुसार दण्डित हुआ था उसकी सजा की मियाद पूरी हो जाने पर भी जल बदायूं से अब तक रिहा नहीं किया गया? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। मुश्ताक खां अभी तक छोड़ा नहीं गया है। विधान के अन्तर्गत आजीवन दण्डित कैदियों की सजा के लिये कोई अवधि नियत नहीं है।

देवरिया कोतवाली में १ जनवरी से १५ अगस्त, १९५६ तक चोरियों का विवरण

२---श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---क्या गृह मंत्री जी मेरे द्वारा पछे गये प्रश्न संख्या ५२, दिनांक २३ अगस्त, १९५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी से १५ अगस्त सन् १९५६ के बीच देवरिया कोतवाली में हुई ३४ चोरियां किन-किन ग्रामों में हुईं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मांगी हुई सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३५७ पर)

झांसी जिले में १९५४ से मार्च, १९५६ तक कत्लों का विवरण

३---श्री गज्जूराम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में १९५४ से मार्च, १९५६ तक डकैतियों में हुई हत्याओं के अलावा कितनी हत्यायें हुईं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---६४।

४---श्री गज्जूराम---क्या सरकार इन हत्याओं में आहत व्यक्तियों के नाम व स्थान की सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इन हत्याओं में आहत व्यक्तियों के नाम व निवासस्थान की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ३५८-३५९ पर)

चुर्क सीमेंट फैक्ट्री, मिर्जापुर के कुप्रबन्ध के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी न भेजा है। वह इस प्रकार है---"सरकारी चुर्क सीमेंट फैक्टरी, राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर की हालत दिन बदिन खराब होती जा रही है, बार-बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने के बाद भी अभी तक सरकारी उपेक्षा ही दिखाई पड़ती है। मनमाने ढंग पर मजदूरों को हटाना, कच्चे माल की कमी रखना, लाईनिंग का बराबर खराब होना, सीमेंट उत्पादन को बराबर नीचे गिराते जा रहे हैं। गत २० अक्तूबर से एक भट्ठी बिलकुल ठप हो गयी है जिससे उत्पादन की व्यवस्था गड़बड़ है तथा

[श्री अध्यक्ष]

प्रबन्धक और मजदूरों के सम्बन्ध में कटुता आ गयी है और वहां की परिस्थिति विषम तथा गम्भीर हो गयी है। अतः उपर्युक्त विषम तथा गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिए यह सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है"।

इसमें कोई एक निश्चित विषय नहीं है। कई विषयों को एक साथ मिला कर यह प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्ताव का सिद्धांत यही रहा है कि एक डेफिनिट, निश्चित एक विषय होने की आवश्यकता है पर इसे बहुत से गोल शब्दों में बनाया गया है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं कि यह कामरोको प्रस्ताव उपस्थित हो

अकबरपुर टाउन एरिया कमेटी की प्ररिस्थिति के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री रामेश्वर लाल जी का है। वह आखीर में आया करीब एक मिनट, ग्यारह बजे से पहले। तो दूसरे रोज जब सदन बैठेगा उस वक्त इसके ऊपर मैं विचार करूंगा क्योंकि उसमें कई कागजात भी सबूत की तरह पर उन्होंने भेजे हैं, वाकयात के बारे में। लेकिन चूंकि वह चाहते थे कि समय में यह मेरे पास आ जाय इसलिये मैंने सदन में उसका जिक्र भर कर दिया।

इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित सदस्यों की सूची

श्री अध्यक्ष--विधान परिषद् के चेयरमैन साहब ने एक संदेश भेजा है, हमारे संदेश के उत्तर में। वह यह है --

"विधान परिषद् की नियमावली के नियम १६८ (२) के अन्तर्गत मुझे आपको यह सूचना देनी है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २४ अक्तूबर, १९५६, की बैठक में श्री परमात्मानन्द सिंह, सभा सचिव का निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है :

"उत्तर प्रदेश विधान परिषद् उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रस्ताव से सहमत है कि सन् १९५६ ई० के इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक को दोनों सदनों की क संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

२--विधान परिषद् ने अपनी उसी दिन की बैठक में उपर्युक्त प्रवर समिति पर काम करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को भी निर्वाचित किया है --

१. श्री एम० जे० मुकर्जी
२. श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार
३ श्री शान्तिस्वरूप अग्रवाल
४. श्री हृदय नारायण सिंह
५. श्री श्याम बिहारी विरागी
६. श्री कन्हैयालाल गुप्त
७. श्री तेलूराम
८. श्रीमती तारा अग्रवाल।"

इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों की सूची

श्री अध्यक्ष--अब इस आदरणीय सदन का भी यह काम होगा कि शिक्षा मंत्री अपने सदस्यों के नामों का प्रस्ताव उपस्थित करें और सदन उसके ऊपर राय दे।

शिक्षा मंत्री (डाक्टर सीताराम)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हाईस्कूल ऐंण्ड इंटरमीडियेट एजूकेशन विधेयक की ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के लिये निम्न-लिखित सदस्य जिनकी सूची मैं प्रस्तुत कर चुका हूं, निर्वाचित किये जायं:---

१. श्री मंगला प्रसाद
२. श्री कैलाश प्रकाश
३. डाक्टर सीताराम
४. श्री गुरुप्रसाद सिंह
५. श्री केशभान राय
६. श्री परिपूर्णानन्द वर्मा
७. श्री नवल किशोर
८. श्री शिवनारायण
९. श्री रतनलाल जैन
१०. श्री नेकराम शर्मा
११. श्री कृष्णचन्द्र गुप्त
१२. श्री कालीचरण टंडन
१३. श्री मुहम्मद तकी हादी
१४. श्री नारायणदत्त तिवारी
१५. श्री मदनमोहन उपाध्याय
१६. राजा वीरेन्द्रशाह ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५६ की संयुक्त प्रवर समिति के लिए निम्नलिखित सदस्य निर्वाचित किये जायं:---

१. श्री मंगला प्रसाद
२. श्री कैलाश प्रकाश
३. डाक्टर सीताराम
४. श्री गुरुप्रसाद सिंह
५. श्री केशभान राय
६. श्री परिपूर्णानन्द वर्मा
७. श्री नवलकिशोर
८. श्री शिवनारायण
९. श्री रतनलाल जैन
१०. श्री नेकराम शर्मा
११. श्री कृष्णचन्द्र गुप्त
१२. श्री कालीचरण टंडन
१३. श्री मुहम्मद तकी हादी
१४. श्री नारायणदत्त तिवारी
१५. श्री मदनमोहन उपाध्याय
१६. राजा वीरेन्द्रशाह

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

२६ अक्तूबर, १९५६ को सदन की बैठक न होने के संबंध में पूछताछ

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मुझे कुछ निवेदन करना है। पहले तो यही कि २६ तारीख को सदन बैठेगा या नहीं। तीन दिन से यह चल रहा है। कल भी आप ने कहा था कि चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं। अब वह आज आ गये हैं।

श्री अध्यक्ष---कारण आप जानना चाहते हैं ?

श्री राजनारायण---जी हां। २६ को सदन क्यों नहीं बैठ रहा है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, यह तो कई दिन पुरानी बात हो गयी और मैं समझता हूं कि सदन ने इस बात को मान लिया है कि २६, २७ और २८ तीन दिन सदन नहीं बैठेगा। उसी दिन अगर यह सवाल उठता तब तो ठीक था। अब बहुत पुरानी बात हो गयी है मैं समझता हूं सदन का समय लेना अनावश्यक प्रतीत होता है।

प्रदेश में बाढ़ एवं भूकंप संबंधी स्थिति पर सरकारी वक्तव्य के संबंध में जानकारी की मांग

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, कल आपने यह बताया था कि बाढ तथा भूकम्प द्वारा हुई क्षति के सम्बन्ध में सरकार की ओर से कोई वक्तव्य दिया जायेगा ....

श्री अध्यक्ष---आज के कार्यक्रम में पांचवें नम्बर पर दिया हुआ है।

सदन की आगामी बैठक के संबंध में पूछताछ

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता था कि ३० अक्तूबर को सदन उठेगा। तो क्या मुख्य मंत्री जी बता सकते हैं कि फिर कब हम लोग बैठेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी तो बताना बहुत कठिन है, जिस वक्त ३० अक्तूबर का दिन आ जायेगा, मैं बताने की कोशिश करूंगा।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५६

श्री अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (तृतीय संशोधन) विधेयक १९५६, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ८ सितम्बर, १९५६ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २५ सितम्बर, १९५६ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ३० सितम्बर, १९५६, को प्राप्त हो गई और वह १९५६ का उत्तर प्रदेश का ३२ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि आयकर नियमावली में किये गये संशोधन*

माल मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---अध्यक्ष महोदय, मैं माल (ग) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४४८१/१(ग)---४९९(ग)-५४, दिनांक ३ सितम्बर, १९५६ को, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि आय-कर नियमावली, १९४९ में संशोधन किये गये हैं, उत्तर प्रदेश कृषि आय-कर अधिनियम, १९४८ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अनुसार, सदन की मेज पर रखा है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६ में विज्ञप्त शुद्धियां†

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६, विज्ञप्त शुद्धियों की सूची सदन की मेज पर रखता हूं।

मैं आपसे इतनी भी इजाजत चाहता हूं, यदि आप इजाजत दें, इसकी जो संशोधित प्रतियां हैं, वह भी तैयार हैं और मेज पर रख दी गई हैं उसी को स्वीकार किया जाय और पहले जो विधेयक मैंने रखा था, उसको वापस किया जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं आपको बता दूं। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका यह है उसे वापस ले कर तत्काल ही आप फिर से उस विधेयक को पुरःस्थापित करें, जो नया है। दूसरा तरीका यह है कि अगर उसमें कोई ऐसा संशोधन है जो महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि कुछ छपने की गलतियां हो गयी हैं, उन्हें दुरुस्त किया गया है, तो आप जो शुद्धि-पत्र है वह यहां उपस्थित कर दें और शुद्ध किये हुए विधेयक को भी उपस्थित कर दें। इन दो तरीकों में से दूसरे को मैंने उचित समझा और इस बात की इजाजत दे दी कि आप शुद्धि-पत्र उपस्थित कर दें। यह काफ़ी है, क्योंकि पुरः स्थापित वह हो ही चुका है। अब शुद्ध जो किया हुआ विधेयक है उसकी भी प्रति यहां बंट चुकी है तो वही शुद्ध किया हुआ विधेयक माना जायगा कि वह पुरः स्थापित हो चुका है। तो इसलिये इतनी तवालत करने की जरूरत नहीं है कि फिर से पहले विधेयक को वापिस ले कर संशोधित विधेयक को पुरः स्थापित किया जाय।

---

*छापे नहीं गये।

†छापी नहीं गयीं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यदि देखा जाय तो जो अभी संशोधित प्रति रखी गई और जो पहले भी बंटी थी, इन दोनों में बड़ा परिवर्तन है और केवल शाब्दिक परिवर्तन नहीं है। इसमें तत्व का भी परिवर्तन है, मौलिक परिवर्तन भी है। तो यदि जो आज पुरः स्थापित मंत्री जी कर रहे हैं संशोधित प्रति, इसको मूल विधेयक माना जाय और चूंकि आज ही प्रस्तुत हुआ है तो इस पर आज वाद-विवाद का होना स्थगित होना चाहिये। क्योंकि आज न तो इसके विषय पर कोई तैयारी हो पायी है और न जो नियम के मुताबिक, जितने समय पूर्व यहां इसे रखना चाहिये था, उस समय की ही पाबन्दी हो पायी है। तो मैं यही आप से निवेदन करूंगा कि हम लोगों के अधिकार की सुरक्षा हो और ऐसी कोई व्यवस्था हो कि हम लोगों को इसको समझने का, पढ़ने का मौका मिले, क्योंकि जितने संशोधन आये हैं या आयेंगे उनमें परिवर्तन हो जायगा। अगर ये शाब्दिक संशोधन थे जिनको इसमें किया गया है तो वह तो सरकार अपनी ओर से अमेंडमेंट रखवा देती और उनको स्वीकार कर लेती, उससे काम हो जाता। लेकिन वैसा नहीं किया गया है। तो इससे भी मालूम होता है कि वे शाब्दिक नहीं हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दो बातों की तरफ आप का ध्यान दिलाना है। पहला तो यह कि जिस विधेयक पर आज बहस होने वाली है, उसका साहित्य अभी आज ही सदन की मेज पर रखा गया है। तो सदन के सदस्यों के लिए यह सुविधाजनक नहीं मालूम होता कि जिस विधेयक पर जिस दिन विवाद प्रारम्भ हो उसी दिन उनको उसका साहित्य दिया जाय और साहित्य देते ही उस पर विवाद प्रारम्भ हो जाय। यह असम्भव है किसी भी सदस्य के लिये कि वह उसका अध्ययन कर सके।

श्री अध्यक्ष---साहित्य का अर्थ आप कृपया बता दें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---कई प्रतियां जो अभी-अभी रखी गयी हैं, यानी पहले जो १९४७ के ऐक्ट की प्रति रखी गयी है, दूसरी जो संशोधित प्रति आज रखी गयी है और तीसरे जो शुद्धि-पत्र आज रखे गये हैं, यह तीन-तीन बातें आज रखी गई हैं। तो अभी विवाद प्रारम्भ होने से सदन के सदस्यों के लिये इस सब को पढ़ लेना, विवाद के समय में ही और विवाद प्रारम्भ कर देना सम्भव नहीं है। इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि इस संबंध में आप कुछ ऐसी व्यवस्था या सुविधा कर दें कि जिस विधेयक पर विवाद प्रारम्भ हो उसका साहित्य उससे कम से कम २४ घंटे पहले तो सदस्यों को मिल ही जाय। एक प्रार्थना तो यह थी।

दूसरी बात जो माननीय राजनारायण जी ने कही वही मेरा भी कहना है कि जो संशोधित यह प्रति है, वह जो विधेयक रखा गया था उस दिन, उससे बिलकुल भिन्न है। उसमें कई मौलिक परिवर्त्तन हैं बल्कि उस दिन जो रखा गया था वह संशोधित था ही नहीं और विवाद जो होगा वह संशोधित पर होगा। तो जो आज रखा गया है उस पर कैसे हम विवाद कर सकेंगे और कैसे उसके सम्बन्ध में संशोधन दे सकेंगे।

तीसरी बात जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता था वह यह है कि जो पहले रखा गया था उसी के बारे में मैंने एक संशोधन भेज दिया था २२ तारीख को। मैं स्वयं नोटिस आफिस में दे आया था लेकिन आज के एजेंडे में मैंने वह नहीं पाया। मालूम पड़ता है कि भूल से वह नहीं छपा। मैंने अभी जाकर सुबह कहा कि उसका क्या हुआ, तो शायद वह उसको ढूंढ भी रहे थे। तो मैं इसके लिए आप से प्रार्थना करूंगा, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, वह अगर गलती से नहीं आ पाया तो आप. . . .

श्री अध्यक्ष---क्या संशोधन था वह?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---संशोधन यह है कि यह प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, तो उसे आप स्वीकार कर लेंगे? अगर वह नहीं मिला तो।

श्री अध्यक्ष---ठीक है।

***श्री मदनमोहन उपाध्याय** (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन यह प्रोग्राम इस हफ्ते का निकला था उस दिन हमसे कहा गया था कि यह मजदूरों से सम्बन्धित बिल है। अगर इसको प्राथमिकता दी जायगी तो इससे मजदूरों का बहुत कुछ हित हो सकता है और अगर इसको जल्दी पास न किया जायगा तो शायद मजदूरों को उससे कुछ नुकसान होने की संभावना हो सकती है। उस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था और इसीलिये हमने यह स्वीकार भी किया था कि इसको प्राथमिकता दी जाय। वैसे सिद्धान्ततः तो यह ठीक है कि हमारे सामने जो चीज रखी जाय वह पहले से रखी जाय ताकि उसे हम लोग पढ़ सकें, लेकिन यह एक खास परिस्थिति आज पैदा हो गई है और मैं समझता हूं कि आपने भी इजाजत दे दी कि इसको संशोधन के रूप में समझा जाय और आज पेश किया जाय। जहां तक मैंने उसको पढ़ा है मैं समझता हूं कोई बहुत ड्रैस्टिक चेंजेज उसमें नहीं हैं क्योंकि जनरल बहस इसकी हम कर रहे हैं। अगर इसमें कुछ देरी कर दी जायगी तो मैं समझता हूं कि मजदूरों का इसमें हित नहीं होगा और मजदूरों के हित को हमें देखना है। तो मैं चाहता हूं कि यह बिल जल्दी से जल्दी पास हो जाय और मैं चाहूंगा कि आज ही इस पर विवाद हो जाय। यह छोटा सा टेक्निकल आब्जेक्शन रखा गया है, लेकिन अगर इस पर आज ही विवाद हो जायगा तो इससे मजदूरों का हित ही होगा।

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**---अध्यक्ष महोदय, मैं इसी बात का समर्थन करना चाहता हूं, जो कि अभी सदन के सामने माननीय उपाध्याय ने रखी है। साधारणतया यह बिलकुल ठीक है कि किसी कारण से किसी विधेयक में कुछ गलती रह गयी हो और उस गलती को शुद्ध करना हो तो काफी पहले सदन के सामने एक चीज आनी चाहिये, लेकिन इस विधेयक के सम्बन्ध में कई दिक्कतें थीं। अभी पार्लियामेंट में हाल में ही कानून बना। जहां तक श्रम की बात है कांकरेट लेजिस्लेशन के अनुसार इस बात का अधिकार है कि अपनी परिस्थिति के अनुसार उस केन्द्रीय कानून में कुछ आवश्यक परिवर्तन कर लिया जाय। इस समय जो लेबर के मुकदमें चल रहे हैं उनकी एक विशेष व्यवस्था हमारे प्रदेश में है। जो व्यवस्था सेंट्रल कानून में रखी गयी है वह वर्तमान व्यवस्था से नितान्त भिन्न है। अगर हम जल्दी में जैसा कि यह विधेयक रखा है, जिसके द्वारा इसमें संशोधन करना है, इसको नहीं रखते हैं तो एक अच्छा खासा गैप पड़ जायगा, क्योंकि नये किस्म की अदालतों के बनाने को जो बात है उसमें काफी समय लगेगा और मजदूरों का नुक्सान हो जायगा और जल्दी हम इसलिये नहीं कर सके कि इस कांकरेंट संशोधन का अधिकार होते हुए भी संशोधन करने के लिये केन्द्रीय सरकार की सहमति लेनी पड़ती है कि हम इस प्रकार का संशोधन लाना चाहते हैं जिसको कहते हैं--प्रेसीडेंट की अनुमति। इसमें काफी समय लगता है। उनको समझाना पड़ता है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। इस वजह से देर लग गयी। मूल कानून अंग्रेजी में है उसमें हिन्दी में संशोधन करना पड़ा, तो अनुवाद में कुछ देर हो गयी। इसमें जो शुद्धिपत्र रखा गया है तो अनुवाद में जो गलती हो गयी थी उसको दुरुस्त कर दिया गया है।

इसलिये मेरा सदन से अनुरोध है कि यद्यपि सही है कि काफी समय सदन को मिलता तो अच्छा होता, लेकिन विशेष परिस्थिति में सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष---जो वैधानिक आपत्ति उठायी गयी है नोटिस के संबंध में, तो मैं जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है, यह माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि विधेयक २२ तारीख को उपस्थित किया जा चुका था और जो इस सम्बन्ध में साहित्य माननीय पालीवाल जी ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहा, उसे मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की कि जो साहित्य आज बांटा गया, यानी संशोधित बिल और जो उसकी दुरुस्ती की गयी, संशोधन किया गया, वह बांटा गया। तो नये साहित्य का, यानी उसके सम्बन्ध में कोई नयी चीज नहीं है, बल्कि उसी बिल का संशोधन जो पेश है, वही बांटा गया।

अब वे संशोधन महत्त्व के हैं या साधारण इसके बारे में निर्णय हमको पहले कर लेना है। यदि वह साधारण हैं तो केवल सदन के सामने उपस्थित करके मैं सदन का ध्यान उस तरफ आकर्षित कर दूं कि वह माइनर हैं तो उसके बाद, जिस वक्त बिल पुर:स्थापित हुआ है, उसी के अंग समझे जावेंगे और पुर:स्थापित विधेयक को वापस लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरा तरीका इंगलिश पार्लियामेंट में है कि अगर यह उचित समझा जाय कि माइनर नहीं हैं बल्कि संशोधित विधेयक में काफी महत्वपूर्ण सैद्धांतिक विषय भी आ जाते हैं, ऐसी बात हो तो पहिले विधेयक को वापस लेकर किसी दूसरे दिन संशोधित विधेयक पुनः पुरः स्थापित किया जाता है, लेकिन एक रास्ता हाउस में यह भी रिवाज में है कि यदि संशोधन साधारण महत्त्व के हैं तो उसी वक्त वापस लेकर उसी वक्त संशोधित विधेयक इंट्रोड्यूस किया जाता है और उस पर विचार शुरू हो जाता है। ये दो तरीके मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के ५०१ और ५०२ पृष्ठ पर दिये हुए हैं। मैं सदन की जानकारी के लिये यह उपस्थित करता हूं—

"It has been laid down that, after a bill has been presented and read the first time, it is not regular to make any other than clerical alterations in it, inasmuch as, when a Member has introduced his bill, it ceases to be in his hands bu has passed into the possession of the House. In practice, however, a bill is presented in dummy and is not printed until the draft has been examined by the Public Bill Office,..."

यह तो हमारे यहां प्रोसीजर नहीं है। हमारे यहां तो विधेयक छप कर हमारे सामने आता है, इसलिये इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है।

"After the bill has been printed and circulated, it would only be permissible to correct a clerical or printing error. If such an error is serious, a corrected copy of the Bill may be circulated in substitution for the first print and a slip is now attached to the bill showing how it differs from the previous version. In minor cases the Speaker calls attention to errors before second reading"

एक तरीका यह है और दूसरा तरीका यह है कि:—

"If it should become necessary, before the second reading of a bill, to make considerable changes in its provisions, such changes can only be accomplished, at this stage, by discharging the order for the second reading and withdrawing the bill. If a change of title be necessary, the practice is to order the bill to be withdrawn, and to move subsequently for leave to bring another bill; but where the bill is withdrawn, for the purpose of making numerous amendments, without any change of title, a simpler form of proceeding is adopted. Upon the withdrawal of the first bill, a motion is made forthwith that leave be given to present another bill instead thereof."

यह दो तरीके इसमें बतलाये गये हैं। मैंने देखा कि शुद्धियां कितनी हैं, कोई महत्व की हैं, या कोई सिद्धांत की हैं। शुद्धि-पत्र में आप देखेंगे कि कोई ऐसे महत्व की शुद्धियां मालूम नहीं होती हैं, या तो अनुवाद की गल्तियां हैं या शाब्दिक हैं, जैसे "के" "को" आदि, यही

[श्री अध्यक्ष]

अधिकतर हैं। यह भी कहा जा सकता था कि इन संशोधनों को सदन में लाकर खंडों पर विचार के समय पास करा लिया जाय। लेकिन इसके लिये दिक्कत यह होती कि अनेक संशोधन लाने पड़ते और हर एक पर वाद विवाद होता। इसमें काफी समय चला जाता। इसलिये उचित समझा गया और क्योंकि यह कुछ महत्व के नहीं हैं, इसलिये मैंने कहा कि इनको प्रिंट करा दिया जाय और माननीय सदस्यों को दे दिया जाय और साथ ही साथ संशोधित बिल भी वितरित किया जाय जिससे यह न हो कि संशोधनों को और पूर्व प्रस्तुत विधेयक को मिलाकर पढ़ना पड़े जिसमें सदस्यों को दिक्कत होगी। शुद्धियां अलग हैं और जो बिल २२ को दिया गया है, इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, इसलिये संशोधित बिल भी सदस्यों की सहूलियत के लिये उपस्थित कर दिया जाय। यह साहित्य सदस्यों की सहूलियत के लिये दिया गया है और मूल अधिनियम भी रख दिया गया है; हालांकि यह प्रथा अब तक नहीं रही है लेकिन इतनी कार्यवाही सरकार के द्वारा कराने के लिये मैंने प्रयत्न किया जिसमें माननीय सदस्यों को सहूलियत हो जाय। इसके बाद यह आवश्यकता नहीं रहती है कि पूर्व प्रस्थापित विधेयक वापस लिया जाय, क्योंकि सिद्धांत का बिलकुल अन्तर नहीं है लेकिन केवल शब्दों में है। कुछ तो प्रिंटिंग की गल्तियां हैं और कुछ अनुवाद की हैं। माननीय सदस्य जिस समय संशोधन देना चाहें, इस शुद्ध किये हुए विधेयक में वह दे सकते हैं और इस कार्य में समय की कोई बाधा नहीं होगी। श्री पालीवाल जी ने कहा था कि उन्होंने एक संशोधन दिया है और वह खो गया है तो कोई बात नहीं है वे उसे अभी उपस्थित कर दें। चूंकि संशोधनों में कोई नयी चीज महत्त्व की न होने के कारण मैं इसकी इजाजत देता हूं कि यह समझा जाय कि यह शुद्धियां जो हैं वे उस बिल का हिस्सा होंगी जो बिल पुरःस्थापित हो चुका है। इसके बाद उस पर विचार के लिये आगे कार्यवाही होगी।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं एक दूसरा स्पष्टीकरण चाहता था और इसके बाद आपकी आज्ञा से एक मैं सुझाव के रूप में रखना चाहता हूं। अगर आप आज्ञा दें तो प्रस्ताव के रूप में भी रख दूंगा।

पहले तो मैं इसका वैधानिक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जब कोआपरेटिव सोसायटीज विधेयक पर वाद विवाद चल रहा है और वह विधेयक यहां प्रस्तुत हो चुका है और उस वाद-विवाद को रोक कर एक दूसरा नया विधेयक यहां प्रस्तुत किया जा रहा है, तो क्या ऐसा करना विधान और नियम की दृष्टि से उचित है ?

श्री अध्यक्ष--यह चीज उस रोज सदन में निश्चित हो चुकी थी और अगर आपत्ति उठाने की बात थी तो उस रोज उठानी चाहिये थी। लेकिन उस रोज उठायी नहीं गयी। यह तो केवल टेक्निकल बात है। आज ही आपत्ति उठायी गयी तो कोई हर्ज की बात नहीं है। नियम १९ के अनुसार गवर्नमेंट को इस प्रकार अधिकार है:--

"The Government may arrange the order of business in such manner as it thinks fit."

तो अपना कार्य-क्रम निश्चित करने के सम्बन्ध में सम्पूर्ण अधिकार गवर्नमेंट को है। यदि किसी विधेयक का कार्य एक रोज समाप्त नहीं हुआ तो आगे उसको रोकने का कार्य वह सदन की अनुमति से तो कर ही सकती है और सदन की अनुमति उस रोज हो भी गयी थी। सदन की अनुमति भी नहीं होती और सरकार स्वयं करना चाहती, तो भी मैं कहता हूं कि उसको ऐसा करने का नियम के अनुसार अधिकार था। लेकिन सदन की अनुमति ले ली गयी, यह विशेष बात हो गयी। मैं समझता हूं कि ऐसी अवस्था में सरकार को पूरा अधिकार था। दूसरी चीज आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री राजनारायण--दूसरा निवेदन, श्रीमन्, मेरा यह है--अगर आप कहें तो प्रस्ताव के रूप में उसको रख दूं।

श्री अध्यक्ष—निवेदन कीजिये, प्रस्ताव तो इस बीच में नहीं आयेगा ।

श्री राजनारायण—यह सही है, जैसा कि कहा गया सरकार की ओर से कि मूल विधेयक अंग्रेजी में था इसलिये ट्रांस्लेशन आदि में बड़ी अशुद्धियां रहीं लिहाजा पूरी संशोधित प्रति दे दी गयी । मगर वह इतने व्यापक तरीके की हैं कि कहीं कहीं उसको देखने से ऐसा लगता है कि मूल रूप से संशोधन हो गया है । तो क्या यह अच्छा नहीं होगा कि इस पर विचार करना हम आज स्थगित करें और इस पर सरकार भी राजी हो जाय कि हम कल बैठ जायं, क्योंकि कल कोई महत्वपूर्ण काम है नहीं ? कांग्रेस का जो जलसा है वह २७, २८ को जौनपुर में हो रहा है और आज यह समाप्त भी नहीं हो रहा है क्योंकि आज तो सामान्य विवाद होगा और फिर २९, ३० को बैठेंगे । तो कल हम बैठें और २९, ३० को बैठें और अगर उचित हो तो फिर एक आध दिन बैठ जायं । इसलिये मैं यह निवेदन करता हूं कि हमारा यह सुझाव मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि आज इसके ऊपर विचार करना स्थगित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

प्रदेश में बाढ़ एवं भूकम्प से हुई क्षति के संबंध में माल मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—माननीय माल मंत्री जी अब अपना वक्तव्य बाढ़ और भूकम्प के बारे में दें ।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, सदन को इस राज्य की बाढ़ की स्थिति के बारे में इस वर्ष कई बार बहस करने का मौक़ा मिला है । पिछली बार जब सदन बाढ़ की स्थिति पर विचार कर रहा था तो उसी समय इस राज्य में ऐसी भारी वर्षा हो रही थी जिसकी आशा पहले नहीं की गई थी । अक्तूबर, १९५६ के दूसरे हफ्ते में लगातार भारी वर्षा होने के कारण राज्य के बहुत अधिक जिलों में उग्र बाढ़ आ गई और उग्रता और विस्तार की दृष्टि से तो इस बार कई स्थानों पर अभूतपूर्व बाढ़ें आईं । इस बार राज्य के पश्चिमी भाग को मुख्यतः विपत्ति का सामना करना पड़ा । इस राज्य की दो बड़ी नदियों गंगा और यमुना और कुछ और नदियों जैसे रामगंगा और काली नदी और अन्य स्थानीय नदी-नालों की बाढ़ों से बहुत नुक्सान हुआ । किन्तु गंगा और यमुना के बीच के समतल मैदान को, जो नुक्सान हुआ है और उस में जो बरबादी हुई है, उसके सामने बाढ़ का नुकसान कुछ भी नहीं है । इस समतल भूमि में आड़ी, तिरछी बहने वाली नहरों और उसकी शाखाओं, रेलवे लाइनों और सड़कों का जाल सा बिछा हुआ है जिसकी वजह से पानी के निकास की वह व्यवस्था जो ऐसी अत्यधिक असाधारण स्थिति का मुकाबला करने के लिये नहीं की गई थी, बेकार सिद्ध हुई और राज्य के विस्तृत क्षेत्र पानी से आप्लावित हो गये और वस्तुतः उनमें अभी तक पानी भरा हुआ है । मकानों, खास कर कच्चे मकानों, घरेलू सामान, अनाज के संग्रहों और व्यापार की अन्य चीजों को और खरीफ़ की खड़ी फसलों को तो बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा है ।

जिस समय इस राज्य में इस विपत्ति का आतंक फैला हुआ था उसी समय भूचाल के रूप में दूसरी विपत्ति का आगमन हुआ जिससे बहुत से जिले कम्पायमान हो गये । बुलन्द-शहर में तो इस भूकम्प का बहुत ही भारी धक्का लगा जिसकी वजह से २९ आदमी मर गये । तो भी भूकम्प के कारण जो क्षति हुई है वह उस विस्तृत और भारी क्षति के सामने कुछ भी नहीं है जो बाढ़ और अधिक वर्षा के कारण इस राज्य के पश्चिमी जिलों में हुई है ।

जैसा इस सदन को ज्ञात है कि इस वर्ष राज्य को प्रकृति के वहम का मुक़ाबला करना पड़ा है ।

श्री अध्यक्ष—क्या शब्द कहा आपने ?

श्री चरणसिंह—"प्रकृति का वहम" "वैगरीज़ आफ़ नेचर" का अनुवाद किया गया है।

श्री अध्यक्ष—आप को तो कृष्णलीला इत्यादि इतनी याद है। आप उसको लीला कह सकते हैं।

श्री चरणसिंह—"लीला" में अक्ल का काम होता है। खैर, वर्षा कभी तो हुई ही नहीं और हुई तो अप्रत्याशित रूप से अधिक हुई। जून के महीने में अत्याधिक वर्षा हुई लेकिन उसके पश्चात् जुलाई लगभग वर्षा से रहित रहा। सूखा पड़ जाने के कारण जो विपत्ति आयी उसका कुछ हद तक निवारण अगस्त महीने की अच्छी वर्षा से हो गया, सितम्बर महीने के द्वितीय सप्ताह तथा इस महीने के द्वितीय सप्ताह में बहुत भारी वर्षा हुई, सितम्बर में मुख्यतः पूर्वी जिलों में तथा अक्तूबर में मुख्यतः पश्चिमी जिलों में। राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में सूखे की स्थिति के साथ साथ भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा। विगत चार महीनों से राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में सूखा, अतिवृष्टि तथा बाढ़, भयंकर नाश का कारण हो रही हैं।

पिछले महीनों की भांति इस महीने में भी, द्वितीय सप्ताह में भीषण वर्षा, बाढ़ के आने तथा उसकी उग्रता का मुख्य कारण रही है। वर्षा जिस प्रकार हुई है वह मैं सुनाये देता हूं।

देहरादून में अक्तूबर के इस द्वितीय सप्ताह में १५.१४ इंच हुई जब कि पूरे अक्तूबर के महीने में सामान्यतः वर्षा १.२३ इंच होती है। सहारनपुर में १२.२४ इंच हुई जब कि .७५ यानी पौन इंच वर्षा सामान्यतया पूरे महीने में होती है। मुजफ्फरनगर में ११ इंच से कुछ ज्यादा हुई जब कि सामान्यता पूरे महीने में आधे इंच से कुछ अधिक होती है। मेरठ में सवा बारह इंच एक हफ्ते के अन्दर हुई जब कि इस महीने में २/३ इंच आमतौर पर होती है। बुलन्दशहर में ७ १/३ इंच वर्षा एक हफ्ते में हुई, जब कि सामान्यतया इस महीने में वहां आधे इंच से कुछ ही अधिक होती है। अलीगढ़ में ५ १/३ इंच हुई जब कि आमतौर पर पूरे महीने में २/३ इंच होती है। मथुरा में लगभग साढ़े पांच इंच वर्षा हुई, एक हफ्ते में जब कि २/३ इंच वर्षा पूरे महीने में होती है। आगरा में साढ़े चार इंच हुई जब कि सामान्य वर्षा पूरे महीने की पौन इंच के लगभग होती है। एटा में साढ़े आठ इंच वर्षा हुई जब कि महीने की सामान्य वर्षा पौन इंच से कुछ ज्यादा है। बरेली में ८ २/३ इंच एक हफ्ते में और पूरे महीने की वर्षा १ १/३ इंच। बिजनौर में सवा दस इंच वर्षा हुई जब कि पूरे महीने की वर्षा है एक इंच से कुछ कम। बदायूं में साढ़े बारह इंच वर्षा हुई इस एक सप्ताह में जब महीने में एक इंच के बराबर वर्षा होती वहां। मुरादाबाद में ७ १/३ इंच वर्षा हुई जब करीब एक इंच पूरे महीने में होती है। शाहजहांपुर में ७ १/३ इंच वर्षा हुई जब महीने का डेढ़ इंच का औसत है। रामपुर में ११ २/३ इंच वर्षा हुई और जो एवरज है वह मेरे पास नहीं है, शायद पहले स्टेट में रखा नहीं जाता था। फर्रुखाबाद में साढ़े छः इंच से कुछ कम, जब एक इंच होती थी महीने भर में। कानपुर में ३ इंच से कुछ ज्यादा हुई एक हफ्ते में और एक इंच से कुछ ज्यादा आम तौर पर होती है महीने भर में। गोरखपुर में १२ इंच हफ्ते में हुई जब कि पौने ३ इंच कुल अक्तूबर में होती है। बस्ती में साढ़े ९ इंच हुई जब कि पूरे महीने में होती है ढाई इंच के करीब। आजमगढ़ में सवा तीन इंच, जब दो इंच होती है महीने भर में। देवरिया में ६ इंच से कुछ कम हुई जब कि पौने पांच इंच पूरे अक्तूबर में होती है। नैनीताल में साढ़े १३ इंच हुई जब सवा इंच होती है। गढ़वाल में सवा १६ इंच हुई जब कि होती है सवा इंच से कुछ ज्यादा। उन्नाव में सवा चार इंच हुई जब सवा इंच से कुछ ज्यादा होती है। सीतापुर में साढ़े ९ इंच से कुछ ज्यादा

हुई और डेढ़ इंच से कुछ कम होती है। हरदोई में ६ इंच से कुछ ज्यादा हुई, होती है सवा इंच के करीब। खीरी में ७ २/३ इंच हुई है और महीने भर में होती है डेढ़ इंच। फैजाबाद में पौने सात इंच हुई है और पूरे महीने का औसत है दो इंच से कुछ कम।

ये आंकड़े अपनी कहानी स्वयं बताते हैं। अधिकांश जिलों में इस महीने के द्वितीय सप्ताह में वर्षा न केवल महीने भर की सामान्य वर्षा से अधिक रही अपितु दसगुना अधिक रही और यदि केवल इस एक सप्ताह की सामान्य औसत वर्षा को ही ध्यान में रखा जाय तो इस सप्ताह की वर्षा सामान्य से ४० गुना अधिक हुई है। राज्य में शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां पर इस पखवारे में सारे महीने की सामान्य वर्षा से दूनी वर्षा न हुई हो।

मैं यहां यह भी कह देना चाहता हूं कि ऊपर कहे हुए वर्षा के आंकड़े जिलों के औसत से निकाले गये हैं। वह विभिन्न तहसीलों अथवा विभिन्न क्षेत्रों में हुई वर्षा के सही-सही पृथक सूचना न देते हैं और न ही देना संभव है। इसलिये सप्ताह के दौरान में किसी जिले की औसतन् वर्षा जहां १५ इंच है वहां ऐसी भी संभावना है और कुछ स्थानों पर ऐसा हुआ भी है कि उस जिले के विशेष क्षेत्रों में २० इंच से २५ इंच तक की वर्षा भी हुई है।

अक्तूबर माह में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से होने वाली क्षति का अनुमान निम्न-लिखित आंकड़ों से पता चलता है। यह आंकड़े मोटे अनुमान पर आधारित हैं और आगे मिलने वाली सुचनाओं के अनुसार घट या बढ़ सकते हैं। कुछ स्थानों पर क्षति का पूरा अनुमान नहीं लग पाया है और जब इस के आंकड़े भी प्राप्य होंगे तो स्थिति और भी अधिक विपत्ति-ग्रस्त और दुःखदायी प्रतीत होगी। इसका खेद है कि पर्वतीय जिलों के बारे में सूचना अभी तक नहीं मिल सकी है। वहां यातायात के साधन जो पहले ही दुर्गम थे अब पूर्णतया नष्ट हो गये हैं। उन क्षेत्रों से सूचना इकट्ठा करने में अभी कुछ समय और लगेगा। परन्तु फिर भी जिलाधीशों के अधिकार में सहायता कार्य के लिये पर्याप्त धनराशि दे दी गई है। आंकड़े वह इस प्रकार हैं :—

बाढ़ग्रस्त जिलों की संख्या	..	२९
बाढ़ग्रस्त क्षेत्रफल एकड़ों में	..	३८ लाख ५५ हजार
बाढ़ग्रस्त गांवों की संख्या	..	८ हजार पांच सौ
बाढ़ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या	..	३२ लाख १० हजार

क्षति अथवा नष्ट हुए घरों की संख्या १ लाख ९३ हजार।

क्षति अथवा नष्ट हुए घरों का अनुमानित मूल्य २ करोड़ ९३ लाख रुपया फसलों के नुकसान की लागत ९ करोड़ रुपया।

इन आंकड़ों में रबी की फसल को देर से बोने के कारण अथवा विस्तृत भूखंड पर न बो सकने के कारण जो नुकसान होगा वह सम्मिलित नहीं है।

मृत व्यक्तियों की संख्या—९७

मवेशियों की संख्या जो मरे—१,६४०

इस वर्ष राज्य में अभी तक सब से अधिक पीड़ित क्षेत्र मेरठ है। जहां ८०,००० मकान जिनका अनुमानित मूल्य २ करोड़ रुपया है, नष्ट और क्षतिग्रस्त हुए। अभी तक २८ व्यक्तियों के मरने की खबर मिली है और पांच करोड़ से अधिक खरीफ की फसल का नुकसान हुआ है।

[श्री चरण सिंह]

इन हानियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों की भी भारी हानि हुई और उस हानि का पूर्णतया निर्धारण अभी तक नहीं हो सका है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार की हानियां लाखों की संख्या में होंगी तथा एक करोड़ रुपये से अधिक की हो सकती हैं।

सरकार ने प्रकृति से बार-बार होने वाली आपदाओं का सामना करने के लिये अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करने में कोई कसर नहीं उठा रखी है।

अहेतुक सहायता और अन्य बाढ़ क्रियाओं के लिये धनराशियां जिसमें मकान के लिये अनुदान भी सम्मिलित है कुल १२,३७,५०० रुपये हैं जिसमें ४ लाख ३० हजार रुपया मकानों के लिये है। घर बनाने के लिय दी गई तकावी, जिसमें संकट तकावी भी है, २९ लाख ८० हजार रुपया है। घर बनाने के लिये गैर काश्तकारों को दिया गया ऋण ३ लाख रुपया है। इस तरह से कुल ४५,१७,५०० रुपया दिया गया।

सरकार के सामने जो सब से मुख्य समस्या है वह बाढ़ पीड़ितों को फिर से बसाने की है जिनमें से अधिकतर लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है। यद्यपि जिलाधीश इस सम्बन्ध में यथाशक्ति कार्य कर रहे हैं और करेंगे फिर भी सहायता कार्यों में एक-रूपता लाने के लिये एक उच्च स्तरीय संगठन की आवश्यकता थी। इस प्रयोजन के लिये सरकार ने एक बाढ़ सहायता बोर्ड नियुक्त किया है जिसमें मुख्य मंत्री (चेयरमैन) वित्त मंत्री, नियोजन मंत्री, माल मंत्री अथवा सिंचाई मंत्री और मुख्य सचिव सदस्य हैं। और जैसा मैं कह चुका हूं, कार्य में एकरूपता लाने के लिये एक रिलीफ कमिश्नर भी मुकर्रर किया गया और वही उसका एक प्रकार से एक्जीक्यूटिव आफिसर होगा।

सरकार के साधन अपरमित नहीं हैं। अतएव सरकार प्रदेश के नागरिकों से यह आशा करती है कि दुर्भाग्य का साहस और धैर्य से सामना करेंगे। सरकार दानशील व्यक्तियों तथा संस्थाओं से आशा करती है कि वे भी इस अवसर पर आगे बढ़ कर बाढ़ सहायता कोष में यथाशक्ति दान देंगे।

राज्य सरकार विशेषकर सैनिक अधिकारियों को धन्यवाद देती है जिन्होंने इस महीने में बाढ़ का सामना करने के लिये जिले के अधिकारियों को सहायता दी है। उन्होंने न केवल अपने सैनिकों को ही बाढ़ सहायता कार्य में लगाया बल्कि मोटर, नाव, डंग आदि दे कर भी परिस्थिति के अनुसार सहायता दी।

मुझे यह कहने की बहुत आवश्यकता नहीं है कि सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों ने पूर्व की भांति अपने कर्त्तव्य का पालन किया है।

अध्यक्ष महोदय, यह बयान मैंने आपकी इजाजत से पश्चिम के जिलों की बाढ़ के बारे में, जो अक्तूबर में आई थी, दिया। यदि मुझे आज्ञा हो तो मैं केवल इतना और अर्ज करना चाहता हूं कि अब तक हमारे सूबे में ३७ जिलों में बाढ़ आई है, इस वर्ष। गवर्नमेंट की ओर से ३४ लाख रुपया ग्रेचुइट्स रिलीफ, मकानों के लिये सब्सीडी और टेस्ट वर्क्स के लिये दिया जा चुका है। १ करोड़ ६ लाख रुपया तकावी में दिया जा चुका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना है कि बाढ़ की रिपोर्ट हमको बतलाती है कि क्षति बहुत ज्यादा हुई है और जिन पर हम विवाद कर चुके हैं उनसे भी बड़े पैमाने पर यह क्षति हुई है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध में विवाद करने के लिये समय दिया जाय। दूसरी बात यह है कि भूकम्प का विवरण माननीय माल मंत्री जी से स्पष्ट नहीं हुआ है कि उससे कितनी क्षति हुई है, यह भी स्पष्ट होना आवश्यक है।

श्री चरणसिंह---मैंने बताया था कि १९ आदमी बुलन्दशहर में मरे और कुछ मकानों को हानि हुई है, हजारों की हो सकती है, गिरे तो थोड़े ही हैं लेकिन जो मकान तड़क गये हैं उनकी संख्या खुर्जा और बुलन्दशहर में १ हजार से ज्यादा हैं। वे मकान इसमें शामिल नहीं हैं वे २ हजार के क़रीब होंगे। और कोई नुकसान भूकंप से नहीं हुआ जिसका जिक्र किया जाय।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है, जैसा उस दिन आपने स्वयं कहा था कि इस बाढ़ के सम्बन्ध में दो तीन बार डिबेट हो चुकी है। अब आगे और कोई नयी सैद्धांतिक बात उससे निकलता संभव नहीं मालूम होता। जहां तक नुकसान का प्रश्न है जहां तक हमको ज्ञात हुआ है, हमने सदन के सामने उसको रख दिया है। लोगों को तात्कालिक सहायता पहुंचाने की बातें हो रही हैं, उसका जिक्र भी कर दिया गया है। अगर किसी समय और नयी प्रकार की जानकारी हुई और सदन के सामने रखने की हुई, तो जरूर समय निकाल कर उसको रख देंगे। अतः मेरा निवेदन यह है कि इस समय वाद-विवाद करने से कोई नयी बात नहीं निकलेगी, इसलिये उसकी आवश्यकता मालूम नहीं होती।

*उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६ (क्रमागत)

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६ पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की क्या विशेषतायें हैं, उनकी तरफ मैं माननीय सदस्यों का और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं परन्तु सबसे पहले मैं इस बात की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जैसा कि एक आपत्ति के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था, कि इस विधेयक के लाने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि केन्द्रीय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में संशोधन होने के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं जिनके कारण, यदि हम अपने इंडस्ट्रियल डिसप्यूट ऐक्ट में संशोधन न करें, तो हमारे लिये बहुत सी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं तथा श्रमिकों के लिये हानि भी हो सकती है। इसलिये इस विधेयक को लाने की आवश्यकता हुई।

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा, इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट के मातहत जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल्स बनाये गये थे वह खत्म कर दिये गये हैं और उन्हीं के कारण कुछ संशोधन सेंट्रल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में रखे गये हैं, जिनका असर हमारे प्रदेश पर भी पड़ता है। इसलिये हमारे यहां भी कुछ संशोधन होना आवश्यक हैं, उन्हीं को यहां इस बिल के द्वारा लाया गया है। औद्योगिक झगड़ों को निबटाने के लिये जो व्यवस्था है, उसमें जो खराबी आ जायगी, उसको ठीक करने के लिये इस संशोधन विधेयक को सदन के सामने रक्खा जा रहा है।

मुझे इस बात का दुःख है कि इस विधेयक की प्रतियों में कुछ अशुद्धियां रह गयी हैं जिसका कारण यह रहा है कि यह विधेयक जल्दी में बनाया गया है तथा अंग्रेजी में चूंकि सेंट्रल ऐक्ट है इसलिये पहले उसको अंग्रेजी में ही बनाया गया। हिन्दी में उसका तर्जुमा किया गया और इस तर्जुमा करते वक्त कुछ गलतियां कामा, फुलस्टाप, स्पेलिंग अथवा ट्रांसलेशन में रह गयी हैं। तो हमारे कानून में जो कमी आ रही थी उसको इस विधेयक के द्वारा पूरा किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यों ने इसको पूरी तरह से समझा होगा। मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को जितनी जल्दी पास कर दिया जाय उतना ही अच्छा है क्योंकि इसके बाद यह अपर-हाउस में भी जायगा तथा उसके बाद भी कुछ कार्यवाही करनी पड़ेगी।

---

*२२ अक्तूबर, १९५६ की कार्यवही में छपा है।

[आचार्य जुगल किशोर]

इस विधेयक में कुछ विशेषता है और मैं तो समझता हूं कि इस विधेयक को पढ़ने के बाद माननीय सदस्य यह मालूम करेंगे कि इस संशोधन विधेयक के द्वारा श्रमिकों की हालत बहुत कुछ सुधर सकती है। उनको कुछ अधिकार प्राप्त हो गये हैं जो हमारे पहले अधिनियम में नहीं थे। इस बिल की विशेषता यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट है, जिसे अभी पार्लियामेंट ने पास किया है, उसमें उन्होंने ऐडजुडिकेशन मशीनरी कायम करने का जो तरीका रखा है, उससे कुछ भिन्न हमने अपने यहां रखा है।

यह तो माननीय सदस्यों को मालूम ही होगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट का आधार सेंट्रल गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट ही है और उसमें यदि कोई संशोधन या नियमों में संशोधन होता है तो हमें भी लाजिमी तौर से उसमें संशोधन करना पड़ता है। हम अगर चाहते हैं कि उन संशोधनों में कुछ परिवर्तन कर सकें, उनमें कुछ मोडिफिकेशन कर सकें तो वह हम तभी कर सकते हैं जब कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेसीडेंट की इजाजत मिल जाय। इस विधेयक के बनाने में भी गवर्नमेंट को कुछ परेशानियां उठानी पड़ीं और वह यह है कि इसकी इजाजत चाहे जाब्ता तौर पर प्रेसीडेंट की न प्राप्त हुई हो तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के वे विभाग जिनसे इसका सम्बन्ध है उनकी राय हमने ली और उनकी अनुमति हमें प्राप्त हो गई है। हमने जो यह विधेयक जिस रूप में पेश किया है और शाब्दिक संशोधन हो जायं, उनको छोड़ कर अगर यह पास हो गया तो मेरा ख्याल है कि इसके लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्राप्त हो जायगी। इसलिये इस बात की बहुत जरूरत है कि हम इसको जल्दी से जल्दी पास करें और इसी कारण मैं आज माननीय सदस्यों के सामने और सदन के सामने उन विशेषताओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जो इस बिल में हमने रखी हैं।

जैसा कि मैंने बतलाया कि हमारी कंसिलिएशन मशीनरी, हमारा एपिलेट ट्रिब्यूनल भिन्न है उन नियमों से, उन धाराओं से जो सेंट्रल ऐक्ट में है। जो हमारा लेबर ट्रिब्यूनल होगा वही अब अन्तिम ट्रिब्यूनल रह गया। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सामने मामला जायगा और वह तय करेगा। ट्रिब्यूनल के लिये सेंट्रल ऐक्ट में रखा गया है कि उसका जो प्रेसाइडिंग आफिसर यानी सभापति हो वह हाई कोर्ट के जज के स्टेटस का होना चाहिये। हमारे यहां इस तरह से मसले ट्रिब्यूनल के सामने समय-समय पर आते रहते हैं। यदि हाई कोर्ट के जज की ही नियुक्ति करना लाजिमी होता तो हमारे लिये आर्थिक दृष्टि से और व्यावहारिक दृष्टि से भी उसे पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो उन्होंने इस बात की अनुमति फिलहाल दी है कि हम अपने यहां पर ऐसे ट्रिब्यूनल कायम करें जिसमें इतने ऊंचे पद के आदमी को रखने की जरूरत न हो। तो हमारा जो संशोधन आया है वह यह है कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में हाई कोर्ट का जज तो रह ही सकता है उसके साथ ही साथ जिसे ७ वर्ष का न्यायिक अनुभव हो। एक तो यह है कि ट्रिब्यूनल में सेंट्रल ऐक्ट के मुताबिक एक ही व्यक्ति हो सकता है। हमने अपने संशोधन में यह भी रखा है कि उसमें २ या ३ व्यक्ति भी हो सकते हैं। तीन व्यक्तियों की कभी-कभी इसलिये जरूरत हो जाती है, क्योंकि बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण डिस्प्यूट्स होते हैं कि उनका ३ मेम्बर्स के सामने भेजना जरूरी हो जाता है। इसलिये इसमें हमने एक की जगह तीन का प्रावीजन रखा है।

दूसरे व्यक्ति जो हो सकते हैं, वह एक तो हाई कोर्ट के जज और उनके अलावा वह भी हो सकते हैं इस ट्रिब्यूनल के सिलसिले में जिनके बारे में एक पेनल बनाया जायगा और हाई कोर्ट के जज चीफ सेक्रेटरी और लेबर सेक्रेटरी तीनों मिल कर ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो कि श्रम सम्बन्धी कानून की जानकारी रखते हों, आई० ए० एस० के मेम्बर हों या रहे हों या स्टेट जुडीशियरी के मेम्बर हों या स्टेट लेबर सर्विसेज के मेम्बर रहे हों या ऐसी कोई और सर्विसेज, जिनको सरकार बाद में स्वीकार करे---इन सर्विसेज के जो मेम्बर होंगे उनमें से कोई व्यक्ति इसका मेम्बर बनाया जा सकता है। इसी तरह से कोर्ट्स के बारे में भी है। यह तो मैंने बताया इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के बारे में।

दूसरी चीज है लेबर कोर्ट्स। यह कोर्ट्स वह होंगे कि जिनमें केसेज के २ प्रासेस होंगे, एक तो लेबर कोर्ट्स को रिफर होंगे और एक ट्रिब्यूनल को जायंगे, जो लेबर कोर्ट्स में जायंगे जिनका जिक्र पहले और दूसरे शिडयूल में है, यह जो लेबर कोर्ट्स में जायंगे मामले, उनके सदस्य वह होंगे जिनको ७ साल का सर्विस का जुडीशियल सर्विस का तजुर्बा हो। वह उस पेनल में से होंगे जिसका कि मैंने जिक्र किया और जिसको नियुक्ति वह कमेटी करेगी। इस लिये इस बात की कोशिश की गई है कि इन ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स में ऐसे व्यक्ति जायं जिनको लेबर कानून का तर्जुबा और जानकारी हो और उनकी पोजीशन ऐसी हो कि उन पर अच्छी तरह से काम न करने का कोई अन्देशा न रहे। इससे बहुत सी सुविधायें हो जांयगी। हमारी मशीनरी जो चल रही है उस में थोड़ा सा परिवर्तन करना है परन्तु उससे काम में सुविधा होगी और ऐसे व्यक्तियों की सेवा उपलब्ध हो सकेगी जो अपनी सेवायें इन ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स के लिये देने को तैयार हैं। मैं समझता हूं कि यह संशोधन जो हमने अपने इस बिल में रखे हैं और जिनके बारे में मेरा ख्याल है कि इनकी स्वीकृति हमें प्राप्त हो जायगी, वह बहुत जरूरी हैं और इसलिये इनको रखा गया है।

इसके बारे में मुझे यह भी कहना है कि हमारे जो केसेज इन ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स में जायंगे उनके बाद, यद्यपि अपील करने की कोई भी अथारिटी नहीं रखी गयी है, इसलिये इस बात की जरूरत समझी गयी कि वहां के फैसलों को कार्यान्वित कराने के पहले सरकार को यह अधिकार होगा कि वह उनको देखे कि वे न्यायपूर्ण हैं या नहीं और प्रदेश की परिस्थिति के अनुकूल हैं या नहीं। इन बातों पर विचार करके यदि सरकार समझे कि उनमें कुछ परिवर्तन होना चाहिये तो वह किया जा सकता है। यों तो आज भी इस बात का अधिकार इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के फैसले के बारे में सरकार को है लेकिन पिछले ६–७ साल में केवल दो बार ही उसका उपयोग हुआ है। इस धारा के रखने से किसी तरह का अधिकार रखने का सरकार का मनशा नहीं है कि बिना कारण ही वह ऐसे फैसलों को बदले या किसी और विचार से उनको बदले। लेकिन यह अधिकार अपने हाथ में रखना सरकार को जरूरी इसलिये है कि आखिरकार एक ट्रिब्यूनल है, फैसला देता है, ईमानदारी से देता है लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं, प्रदेश में जिनके कारण गवर्नमेंट समझती हो कि इस परिस्थिति में यह करना मुनासिब न होगा और इसलिये इसमें कुछ माडिफिकेशंस करे। शर्त यह है कि एवार्ड में जो माडिफिकेशन होगा उसकी प्रतियां गवर्नमेंट को हाउस के सामने रखनी पड़ेंगी और हाउस को पूरा अख्तियार होगा, अगर वह वादविवाद करना चाहता है, तो जहां तक मैं समझता हूं वह इस पर कर सकता है, उसको अपनी राय देने का पूरा अख्तियार होगा। सदन का यह अख्तियार पहले भी था और अब भी यह अख्तियार इस विधेयक में इस धारा के अन्तर्गत रक्खा गया है। इसलिये इसमें कोई विशेष आपत्ति करने की गुंजायश नहीं है। गवर्नमेंट किसी तरह से कोई कार्य और किसी दृष्टि से जो जनता के, श्रमिकों के और हमारे उद्योगों के फायदे का न हो उसे रोकना चाहती हो उसको रोकने के लिये यह अख्तियार लेना चाहती है।

जहां तक ट्रिब्यूनल और ऐडजुडिकेशन मशीनरी का सम्बन्ध है, इस विधेयक और केन्द्रीय विधेयक में एक और चीज दी है कि अगर श्रमिक और नियोजक आपस में मिल कर किसी समझौते को करना चाहें तो वे कर सकते हैं। हमने उसमें यहां यह तरमीम की है कि यह समझौता जो लेबर और मैनेजमेंट के बीच होगा, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिये। उसमें शर्त यह रक्खी गई है कि वे जो समझौते होंगे उनको गवर्नमेंट कार्यान्वित कराने के लिये अपनी शक्ति व अपने अधिकार का इस्तेमाल करेगी। तो गवर्नमेंट ने मुनासिब समझा कि जब हमारे पास यह जिम्मेदारी होगी कि हम उन समझौतों को कार्यान्वित करायें अपनी ताक़त से, तो गवर्नमेंट यह भी जानना चाहेगी कहां तक वे समझौते जो हुए हैं, इंडस्ट्री के फायदे, श्रमिकों के फायदे या जो सम्बन्ध रखने वाले हैं, उनके हित के लिये हैं। अगर कोई समझौता ऐसा हुआ लेना चाहती है।

आचार्य जुगल किशोर]

हो — मैं किसी के लिये यह नहीं कहता कि कोई बेईमानी हुई हो परन्तु हो सकता है कि किन्हीं कारणों से आपस में ऐसे समझौते हो जायं जो श्रमिकों के हित में न हों ऐसी हालत में गवर्नमेंट का फर्ज हो जाता है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यगण भी इस बात को समझेंगे कि वह उसे देखें ।

अगर आपस में समझौता होता है तो गवर्नमेंट को ऐसे समझौतों में कोई आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन उस समझौते पर गवर्नमेंट की छाप लग जाय और गवर्नमेंट उसे कार्यान्वित करे तो गवर्नमेंट इस बात के लिये जरूर थोड़ी सी रुकावट रखना चाहती है और वह रुकावट इतनी ही है कि उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा । उसके लिये दिक्कत भी नहीं होगी । कंसिलियेशन आफिसर के दफ्तर में ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है और वह रजिस्ट्रेशन वहां हो जायगा । इसलिये इस चीज को भी रक्खा गया है ।

हमारी ख्वाहिश है कि समझौता जहां तक हो सके आपस में हो । हम चाहते हैं कि बादविवाद ही न हो । आपस में इंडस्ट्रीज के भीतर ही समझौते हो जायं और इंडस्ट्रीज के बाहर भी समझौता करने की कोई चीज निकल सकती हो, जो कि संतोषजनक हो, तो निकाली जाय, वह उद्योगों के लिये हानिकारक न हो, श्रमिकों के हित में हो । ऐसे समझौते होते रहें, लेकिन जो परिस्थिति है, जो वातावरण है उसमें कुछ न कुछ अधिकार गवर्नमेंट को अपने पास रखना चाहिये अगर उन समझौतों को गवर्नमेंट के द्वारा कार्यान्वित कराने का प्रश्न उठता है । ये हैं विशेष बातें जहां तक इस एंडजुडिकेशन मशीनरी, कंसिलियेशन मशीनरी और आपस में समझौते कराने का सम्बन्ध है ।

दूसरी बातें, जिन पर मैं विशेष ध्यान आपके द्वारा माननीय सदस्यों का दिलाना चाहता हूं, वह है रिट्रेंचमेंट । रिट्रेंचमेंट का जो कानून बना है, सेंट्रल ऐक्ट में, उसमें उन व्यक्तियों को रिट्रेंचमेंट कम्पेनसेशन देने का कोई प्राविजन नहीं है, जिससे जो आदमी लगातार बीमार रहे और उसको फैक्टरी वाले रिट्रेंच कर दें तो उसे बिना कम्पेन्सेशन के, रिट्रेंच कर सकते हैं । हमने अपने यहां यह खंड रखा है कि अगर कंटीन्यूड इलनेस है और उसको रिट्रेंच करते हैं तो जैसे और व्यक्तियों को रिट्रेंच करते हैं, काम न होने के कारण या किसी और कारण से, उसी प्रकार अगर ऐसे व्यक्तियों को रिट्रेंच करना पड़े तो उन्हें मुआविजा मिलना चाहिये । मैं समझता हूं कि यह एक नया अधिकार हमारे प्रदेश में श्रमिकों को प्राप्त होगा । यह भी अधिकार प्राप्त होगा कि जो स्टैंडिंग आर्डर्स होते हैं, जो कंडीशंस आफ सर्विस एम्पलायर और एम्प्लायज के बीच होती हैं, उनके बारे में अगर वह चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन हो, आज श्रमिक को कोई अधिकार नहीं है---लेकिन इस विधेयक के द्वारा जो संशोधन इसमें रखा गया है, उसमें उनको अधिकार होगा कि वे कोर्ट के सामने यह मामला ले जा सकते हैं और कह सकते हैं कि कंडीशंस आफ सर्विस में कुछ परिवर्तन होना चाहिये । यह हमारे लिये हानिकारक हैं या उद्योग के लिये हानिकारक हैं । इस विधेयक का जो तीसरा शेड्यूल है उसमें उन बातों का जिक्र है, जिन बातों के ऊपर वे कोर्ट में जाकर आपत्ति उठा सकते हैं और कंडीशन्स को बदलाने के लिये अपील कर सकते हैं ।

एक यह भी रखा गया है कि जब किसी फैक्टरी में डिस्प्यूट रहता है, अभी तक तो यह नियम रहा है कि कोई डिस्प्यूट भी क्यों न हो, किसी व्यक्ति को चाहे वह उस डिस्प्यूट से सम्बन्ध रखता हो या न रखता हो एक वर्कमैन से डिस्प्यूट है तो दूसरा वर्कमैन भी उसके सिलसिले में निकाला जा सकता है । इसके सम्बन्ध में काफी बहस हुई है और मैं समझता हूं कि ट्रिपर्टाइट कानफ्रेंस में यह ऐग्रीमेंट भी हुआ है, और मिल मालिकों, श्रमिकों और गवर्नमेंट के बीच जो बातें हुई हैं उनके आधार पर इस बात को मान लिया गया है कि जो उनको निकाल दिया जाता है, उनको निकाल देने का उनको अधिकार होगा । केवल उन लोगों का नहीं होगा जिनका डिस्प्यूट से सम्बन्ध है, यह तो उनका इनहैरेंट अधिकार है कि किसी को भी डिसमिस कर दें, पनिश कर दें तो लेबर कोर्ट में

जाकर अपील कर सकते हैं, उस अधिकार को नहीं लिया गया। अपील करने का अधिकार तो रहेगा। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट है और उस डिस्प्यूट से वह श्रमिक संबंधित नहीं है ऐसे व्यक्ति के लिये रखा गया है कि वह कर सकते हैं और उसके लिए कुछ शर्तें रखी गयी हैं कि कुछ महीने पे करना पड़ेगा या क्या करेंगे। उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, जब खंडों पर विचार होगा तो मालूम हो जायगा। लेकिन इसमें एक प्रतिबन्ध यह है कि ट्रेड यूनियन के आफिस बेयरर्स को नहीं हटा सकेंगे। अगर उस फैक्टरी में काम करते हैं और ट्रेड यूनियन चलाते हैं, तो इसलिए एक ट्रेड यूनियन से संबंध रखने के कारण वह न निकाले जा सकें, उनको सुरक्षित रखने के लिए एक धारा उसमें रखी गयी है। मैं उसके व्योरे में नहीं जाना चाहता। जब खंड आयेगा तो विचार कर सकेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस तरह का प्राविजन भी विधेयक में रखा गया है। और यह प्राविजन करीबन सेंट्रल ऐक्ट के आधार पर ही, कुछ थोड़ा सा परिवर्तन करके रखा गया है जो कि माननीय सदस्यों को मालूम हो जायगा जब कि खंडों पर विचार होगा।

इसमें एक बात और है, मुआविजे के बारे में कि वर्कमैन को ले आफ कर देते हैं तो क्या कम्पेंसेशन मिलना चाहिये। ४५ दिन के अलावा और भी क्या मिलना चाहिये, उसके बारे में कुछ शर्तें रखी गई हैं और उन शर्तों के मुताबिक उन्हें देना पड़ेगा। मैं अधिक समय माननीय सदस्यों का अब इसके बारे में नहीं लेना चाहता। निजी तौर से मैं समझता हूं कि इस विधेयक के द्वारा हमें प्रदेश में शांति स्थापन करने के लिये काफी सुविधा हो जायगी। यों तो हम भी बहुत समय से इस बात की कोशिश कर रहे थे कि अपने यहां जो कानून है उसका हम संशोधन करें परन्तु वह हमने इसलिए नहीं किया, क्योंकि हमें बतलाया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर अपने यहां भी ऐसे संशोधन ला रही है, अपने ऐक्ट में, तो हमने उसका इन्तजार करना जरूरी समझा ताकि हमें फिर दुबारा अपने अधिनियम में संशोधन न करना पड़े। इसलिए इस बात की आवश्यकता हम भी समझते रहे हैं।

वर्कमेन के बारे में भी एक महत्त्वपूर्ण बात कर दी गई है। वर्कमेन का डेफीनीशन जो है पहले तो उसमें सुपरवाइजरी स्टाफ के लोग नहीं आते थे लेकिन अब सुपरवाइजरी स्टाफ को भी जो पांच सौ से कम वेतन पाने वाले हैं, उनको भी उसमें कर दिया है। इससे यह और ज्यादा व्यापक बन गया है और ज्यादा लोगों को अब इससे फायदा पहुंचेगा। यह भी एक विशेष चीज है और इसके बारे में भी वर्षों से मांग थी। उसको इस विधेयक के द्वारा कर दिया गया है और सेंट्रल ऐक्ट में भी इसका संशोधन हुआ है।

मुझे इस समय माननीय अध्यक्ष महोदय, और ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब संशोधन आयेंगे उसके ऊपर मैं अपने विचार प्रगट करूंगा और जो कुछ और कहना होगा वह कहूंगा। लेकिन इतना मैं माननीय सदस्यों से आपके जरिये से प्रार्थना करूंगा कि वे कोई ऐसा संशोधन पेश कर देंगे तो हमारे लिए दिक्कत पैदा हो जायगी।

एक सदस्य--सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

आचार्य जुगलकिशोर--तो यह है कि हमें बहुत सोच विचार करके अपने संशोधनों को रखना है। शाब्दिक चेंजेज होंगे तो उन पर हम विचार कर लेंगे, लेकिन यह मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य ऐसे मौलिक संशोधनों को पेश करने की कोशिश न करें और यह आशा न करें कि हम उनको स्वीकार कर सकेंगे, क्योंकि हमें इस बात की दिक्कत है कि हमने उनको स्वीकार किया तो हमें खतरा है कि सेंट्रल के ऐक्ट के मुताबिक उनके न होने पर जिस उद्देश्य से हम इतनी जल्दी इस बिल को लाये हैं, वह उद्देश्य ही खत्म हो जायेगा और फिर वह कई महीनों के लिए टल जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तुत विधेयक एक प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय जो १५ नवम्बर तक अपनी रिपोर्ट दे दे और प्रवर समिति के नाम बाद में दे दिए जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अब अपना भाषण आप बाद में जारी रखेंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं जरा एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने जो सेंट्रल ऐक्ट बना है उसका कई बार हवाला दिया है और यह भी कहा है कि माननीय सदस्यों के संशोधन को स्वीकार करने में उनको दिक्कत होगी, क्योंकि उनको खतरा है कि वहां कोई गड़बड़ न पड़े, तो वह ऐक्ट हमारे सामने नहीं है। वह हमको कहीं मिल नहीं रहा है। लाइब्रेरी में भी नहीं है .....

श्री अध्यक्ष—(आचार्य जुगल किशोर से) क्या ऐक्ट की कुछ प्रतियां मिल सकेंगी, उस सेंट्रल ऐक्ट की ?

आचार्य जुगल किशोर—मेरे ख्याल से तो हमने कोशिश की उनको छपवाने की। अगर बह होगी तो जरूर दे देंगे।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि दो-चार प्रतियां तो आप मंगवा लीजिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—बाजार में तो बिक रही हैं।

श्री अध्यक्ष—अगर बिक रही हैं तो खरीदवाकर मंगा ली जायं। अच्छा ही है अगर बाजार में बिक रही हैं।

आचार्य जुगल किशोर—मैं समझता हूं, जहां तक मुझे सूचना मिली है उसको छपाया गया है। छपने जाने की मुझे इत्तला है। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि मिल सकती हैं। अगर मिल सकेंगी तो मैं ले आऊंगा। अगर छपने गयी हैं तो कोई बात नहीं है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, उस समय सदन उठ रहा था तो हमने यह निवेदन किया था कि यह बिल सेंट्रल ऐक्ट के ऊपर आधारित है और उसकी प्रतियां हमको नहीं मिली हैं और लाइब्रेरी में भी नहीं हैं तो उस समय माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि जैसे भी हो जल्दी से इसकी प्रतियां मंगा कर दे दी जायं और इसमें यह है कि बाजार में कापियां मिल रही हैं और माननीय मंत्री जी से पूछा गया तो उन्होंने यह कहा कि वह छपवा रहे हैं और चार बजे तक कापियां आ सकेंगी। इसलिये हम समझते हैं कि इस समय इस पर विचार स्थगित होना चाहिये। जब कापियां आ जायं और हम लोग उनको पढ़ लें और देख लें कि सही रूप में यह उस पर आधारित है या नहीं, तभी हम तय कर सकेंगे।

आचार्य जुगल किशोर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वैसे तो कहा है और मेरी यह कोशिश भी है कि इसकी प्रतियां मिल जायं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो विधेयक सदन के सामने रखा गया है उसमें लाजमी तौर से जरूरी नहीं है कि सेंट्रल ऐक्ट की कापियां मिलें। हमने तो यह भी किया है कि जो ऐक्ट अमेंड हो रहा है उसकी भी कापी दे दी है और उसके देने का कोई नियम नहीं है। मैं यह भी बतलाये देता हूं कि जितनी भी हमारे प्रदेश से संबंध रखने वाली धारायें हैं, वह हमारे इस संशोधन विधेयक में आ गई हैं। इसलिये इसको स्थगित किया जाना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है और आज शाम के चार बजे तक इसकी कापियां मिल जायंगी, नहीं तो अगले दिन तो मिल ही जायंगी।

श्री राजनारायण---अमेंडमेंट कैसे आयेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि कोशिश की जा रही है तो मुहैया कर दी जायंगी।

श्री राजनारायण---कोशिश करने से तो भगवान् तक के यहां पहुंच जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---अब विधेयक पर वाद विवाद चालू होना चाहिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो वाद विवाद के सम्बन्ध में कोई वैधानिक प्रश्न उठाया नहीं था, कोई आपत्ति नहीं की थी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि विशेष परिस्थितियों में हमें यह विधेयक लाना पड़ रहा है और इस तरह से इसका शुद्धिपत्र देना पड़ रहा है, वह भी मैं मानता हूं। लेकिन मेरा निवेदन यह अवश्य है सरकार से और आप से भी कि वाद विवाद की सुविधा के लिये, यह अनिवार्य तथा आवश्यक है कि अत्यन्त विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर साधारण अवस्था में जिस पर वाद विवाद करना हो, उसके लिये आवश्यक साहित्य, जैसा कि मैंने प्रातःकाल कहा था कि कम से कम २४ घंटे पहले आना चाहिये।

जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि दोनों बातें मैंने मान लीं कि हम विधान का प्रश्न नहीं उठाते दूसरी विशेष परिस्थिति का है, इसलिये नहीं लाया जा सका लेकिन आम तौर पर यह नियम नहीं होना चाहिये। जैसा कि श्रम मंत्री जी ने कहा कि यह जरूरी नहीं कि हमें साहित्य दें। लेकिन मैं समझता हूं कि सदस्यों की सहूलियत के लिये आवश्यक साहित्य देने का सरकार का कर्त्तव्य है। यदि आप चाहते हैं सदस्य मूल्यवान कंट्रीब्यूशन कर सकें तो पूरा साहित्य दें। यह मैं फिर दुहराता हूं और यह भी कहता हूं कि विशेष परिस्थिति की बात आज भी मान ली है। लेकिन आम तौर पर तो मैंने यह देखा है कि यह विशेष परिस्थिति की बात नहीं है, सरकार की ये दोनों आदतें हो गयी हैं कि पूरा साहित्य नहीं देती है और विधेयक को समय पर नहीं लाती है और लाकर सदैव यही कहती है कि विशेष परिस्थिति है इसलिये आज ही पास हो जाना चाहिये और इस पर वाद विवाद की भी पूरी सुविधा हम नहीं दे सकते। तो विशेष परिस्थिति रोज नहीं होना चाहिये या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, "एवरी डे अफ़ेयर" का मामला नहीं होना चाहिये। यह सही बात नहीं है। सचमुच विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा होना चाहिये अन्यथा नहीं।

मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में यह भी मानता हूं कि यह सेंट्रल ऐक्ट के अभाव में जब तक हम दोनों का अच्छी तरह से अध्ययन और तुलना न कर लें तब तक उपयोगी वाद विवाद करने में हमें अनेक कठिनाइयां होती हैं और यह बात भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि संशोधित प्रति और शुद्धि-पत्र और सन् ४७ का ऐक्ट और सन् ५० का ऐक्ट, ये चारों चीजें आज प्रातःकाल सदन की मेज पर रखी गयीं। तो सदन के सदस्य यहां आकर प्रश्नोत्तर काल में प्रश्नों को भी सुन लें, यहां जो भाषण दिये जायं उनको भी सुन लें और इन दोनों कामों को करने के साथ-साथ उस साहित्य को भी पढ़ लें और इतना पढ़ लें कि उस पर विवाद भी कर सकें। मुझे पता नहीं कि कितने माननीय सदस्य ऐसा कर सकते हैं लेकिन कम से कम मैं अपने में इतनी क्षमता नहीं रखता कि इस तरह की दो परस्पर विरोधी बातें एक साथ कर सकूं। इसलिये मैं यह आशा करता हूं कि भविष्य में सरकार इस कठिनाई का ख्याल रखेगी और मैं उसको इस बात के लिये प्रेरित करूंगा कि वह सदस्यों की सुविधा के लिये साहित्य को कम से कम २४ घंटे पहले दे दिया करे।

इसके बाद इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इसका जो उद्देश्य और आधारभूत सिद्धान्त है उनका मैं स्वागत और समर्थन करता हूं। वास्तव में किसानों की भलाई के लिये, मजदूरों की भलाई के लिये, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों की भलाई के लिये

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

जितने भी विधेयक आयेंगे उनका सब का स्वागत और समर्थन करना कम से कम मैं अपना कर्तव्य समझता हूं और मैं समझता हूं कि इस सदन के सभी सदस्य अपना यही कर्तव्य समझते होंगे। साथ ही साथ माननीय श्रम मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा विधेयक बनाने में जो कुछ भी श्रमदान किया --अवश्य ही उन्होंने कुछ श्रमदान किया होगा---उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद और बधाई देता हूं। मेरा ख्याल यह है कि इस सम्बन्ध में जो यह वैधानिक झगड़ा पैदा हुआ और शुद्धि-पत्र का झगड़ा पैदा हुआ वह शायद इसके नाम के कारण ही हुआ है क्योंकि इसका नाम ही उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा विधेयक है। लेकिन मैं आशा करता हूं, जैसा कि माननीय श्रम मंत्री जी ने कहा, प्रदेश में जो मजदूरों और मिल मालिकों के आपस के झगड़े हैं उनमें शान्ति रखने का काम करेगा, अपने नाम के मुताबिक झगड़ा कराने का काम नहीं करेगा यद्यपि इसका नाम ऐसा गोलमोल है कि डर यह लगता है कि कहीं यह झगड़ा पैदा न कराये। यह विश्लेषण जो इसके नाम का किया गया है यह अधिक उपयुक्त नहीं मालूम पड़ता है। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, "हैपी एक्सप्रेशन" नहीं है।

इसके बाद मैंने जो इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये प्रस्ताव रखा है उस का उद्देश्य भी यह नहीं है कि मैं इसको शीघ्र पारित होने के रास्ते में कोई रुकावट डालना चाहता हूं। लेकिन जो मैं चाहता हूं वह यह है कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों को जिससे लाखों लोगों के हितों का सम्बन्ध है जल्दी में बिना सोचे समझें पास न करें। आखिर इस सदन में विवादों का, संशोधनों का कोई महत्व होता है और अगर नहीं होगा तो इस सदन की क्या आवश्यकता थी और इतना व्यय करने की क्या आवश्यकता थी और अगर है तो सदन में जो भी विधेयक लाया जाय तो उस पर विचार का समुचित अवसर दिया जाय और प्रवर समिति में भी जाय जहां शान्ति के साथ, परस्पर सद्भावना के साथ विचार विनिमय हो सकता है जाहिर है कि संसार भर में आजकल अधिकाधिक विधान बनाने का काम प्रवर समितियों द्वारा ही किया जाता है और यह माना जाता है कि पार्लियामेंटों और विधान सभाओं में जहां चार-चार सौ और पांच पांच सौ सदस्य हैं वहां विधान बनाने का काम उतना सुचारु रूप से नहीं हो सकता जितना प्रवर समितियों में हो सकता है। इसलिये यह कहा जाता है कि 'डेमोक्रेसी बाइ सेलेक्ट ऐण्ड ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटीज आर बेटर'। सभी जनतांत्रिक देशों में यह बात है और हमारे देश और प्रदेश में यह बात मानी जानी चाहिये। और इसीलिये सरकार का यह बिचार कि जो भी विधेयक जैसा वह ले आयी है वही सदन पास कर दे, दो चार घंटे मामूली बहस करके और खंडों में दो एक मामूली शाब्दिक संशोधन करके रबड़ स्टाम्प की भांति उस पर मोहर लगा दें, यह विधान बनाने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन याद पड़ता है :—

"सहसा करि पाछे पछिताही। ते नर जग बुधिवर न कहाहीं।"

जो कार्य जल्दी में कर लिया जाता है और बाद में उसके करने के लिये पछताता है तो यह बुद्धिमानी का काम नहीं है और इसीलिये जैसा महत्वपूर्ण विधेयक है और जिसका सम्बन्ध लाखों लोगों के भले और बुरे से है उसको जल्दी में पास कर देने में जो गल्तियां रह जाती हैं उन से हानि ही अधिक होती है लाभ नहीं होता। यद्यपि पास करवाने के लिये ग्रामोफोन रिकार्ड की भांति रागनी अलाप दी जाती है कि अगर इसको इस अवधि में पास न कर दिया जायेगा तो न मालूम क्या आसमान धरती पर गिर पड़ेगा, धरती रसातल को चली जायेगी और गोमती में आग लग जायेगी। यह दलीलें अक्सर दी जाती हैं और जब भी प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा जाता है कि फौरन यह रिकार्ड बजने लगता है कि ऐसा करने से मजदूरों की बड़ी भारी हानि हो जायेगी। अगर मजदूर ऐसे हैरान हो रहे थे तो आज से १५ दिन पहले ही इसे क्यों नहीं ले आया गया? बराबर मुझे हर विधेयक में कहना पड़ता है कि हर विधेयक के लिये कहा जाता है कि कि अगर एक दो दिन के अन्दर नहीं पास

कर दोगे तो यह होगा। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे विधयक को एक महीने पहले लावे जिससे विचार भलि-भांति किया जा सके? विचार के जिस दो-तीन दिनों के बाद नुक्सान होने की बात है तो क्यों नहीं उसको १५ दिन पहले ही उस नुक्सान से पास करें? यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि सरकार अपनी तरफ से तो हर काम में देर लगाती है और सदन से चाहती है कि बिना अधिक बिचार किये, बिना उसमें संशोधन किये ज्यों का त्यों उस विधेयक को स्वीकार कर ले और सरकार की गल्तियों की जिम्मेदारी भी अपने उपर ले ले और बाद को यह कह ही दिया जायेगा कि अमुक सदन से यह पास हो गया है। इसलिये मैं फिर यह कहता हूं कि सरकार को पुनः इन बातों पर अच्छी तरह से बिचार करना चाहिये।

जहां तक प्रवर समिति का सम्बन्ध है, नतीजा भी तो वही होना है जो यहां होना है क्योंकि प्रवर समिति में भी सदस्यों की संख्या का अनुपात पार्टी का वही रहेगा जो यहां है। तो किसी प्रकार की अड़चन सरकार के रास्ते में नहीं पड़ती है। प्रवर समिति में इतनी अधिक संख्या होते हुये भी और इस बात की गारेंटी होते हुये भी सरकार के मर्जी के खिलाफ कोई भी संशोधन प्रवर समिति में पास नहीं होगा। तो केवल यह मौका दे देने में कि वहां शांत और सद्भावना के वातावरण में जहां विचार अच्छी तरह से किया जा सके और वहां सरकार के सामने रचनात्मक सुझाव दिये जा सकें और जो दोष हैं वह दूर किये जा सकें इस बात की सुविधा देने में सरकार को क्या हानि होती है, क्या खतरा होता है? यह मेरी समझ में नहीं आता सिवाय इसके कि सरकार स्वयं आदी हो गई है इस बात की कि बहुत काफी देर में कोई काम वह करती है और फौरन ही चाहती है बाद में कि यह काम आज ही हो जाना चाहिये और चाहती है कि उस पर न विवाद हो, न संशोधन आयें, न वह प्रवर समिति में जाय। यह प्रवृति और यह आदत सरकार को अगर जनतंत्र को सफल बनाना है तो छोड़नी होगी और अगर अपने सम्बन्ध में यह धारणा जनता में पैदा करना है कि वह जनतंत्र की पद्धति में विश्वास रखती है तो सरकार का यह कर्त्तव्य है कि इस प्रवृत्ति को वह छोड़े और सदन के सदस्यों को साहित्य और सुविधायें प्रदान करने के साथ-साथ वाद-विवाद की सुविधा भी दे, विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की सुविधा भी दे और अच्छी तरह से खंडों पर विवाद और संशोधन लाने की सुविधा और उसके लिये पर्याप्त समय दे।

इसमें जो उद्देश्य और कारण दिया हुआ है उसमें जो उद्देश्य बताया गया है वह इस प्रकार है : "संयुक्त प्रांतीय औद्योगकि झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ ई० को केन्द्रीय अधिनियम के अनुरूप बनाने की तथा इसे यथा शक्य स्वयं में पूर्ण बनाने के लक्ष्य से यह निश्चय किया गया है कि इस राज्य के अधिनियम में उपर्युक्त परिवर्तन करके इन उपबन्धों का समावेश किया जाय"। जैसा मैं पहले कह चुका हूं उद्देश्य अच्छा है, लेकिन सवाल यह है कि जो संशोधन विधेयक लाया गया है उस संशोधन विधेयक से सरकार ने जो उद्देश्य अपना इस उद्देश्य और कारण में घोषित किया है वह पूरा हो ता है या नहीं? इसी पर हमारे सदस्यों को विचार करना है और यह विचार ऐसा है कि जो सदन में नहीं हो सकता। शांति के वातावरण में प्रवर समिति में ही इस तरह का विचार किया जा सकता है और जैसा मेरा प्रस्ताव है उसके अनुसार प्रवर समिति की रिपोर्ट १५ नवम्बर तक आ जायेगी और संभावना यही है कि उसके बाद अधिवेशन हो तो उस समय रिपोर्ट आ जाने के बाद अगले अधिवेशन में यह विधेयक पास हो सकता है और उसमें कोई हानि की बात नहीं है। और अगर तब तक पास होने में कोई हानि की बात हो तो सरकार जब टैक्स लगाने के लिये आर्डिनेंस से काम ले सकती है तो क्या यह नहीं हो सकता कि जो मुकदमें इस समय पड़े हैं उनकी व्यवस्था आर्डिनेन्स के जरिये कर दी जाय और उसके बाद इस विधेयक को अगले अधिवेशन में पास करा लिया जाय? उसमें इस पर पूरा विचार हो सकता है, आवश्यक संशोधन आ सकते हैं और हम अधिक ध्यान इस विधेयक पर दे सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि प्रवर समिति में भेजना इसको आवश्यक है। सुधार

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

करने के लिये , जो विभिन्न दलों के नेता यहां सदन में मौजूद हैं उनका परामर्श लेने के लिये, राय जानने के लिये और वास्तव में जो मजदूरों के हित की व्यवस्था इसमें की गई है उससे मजदूरों का हित पूरा होता है या नहीं, जो उद्देश्य बताया गया है वह पूरा होता है या नहीं, इसको भी हमें देखना है ।

एक व्यापक प्रश्न यह पैदा होता है कि औद्योगिक झगड़े निपटाने के लिये यह विधेयक लाया गया है, क्या यह विधेयक स्वयं अपने में उस उद्देश्य के अनुसार इतना पूर्ण हो जाता है कि अपने प्रदेश में स्वस्थ और सबल ट्रेड यूनियन मूवमेंट को प्रोत्साहित करे ? अगर इस व्यवस्था में कोई कमी है, कोई त्रुटियां हैं तो फिर जैसा मैंने कहा कि प्रवर समिति में इस बात के विचार की आवश्यकता है कि जो बातें इस उद्देश्य को पूरा करने में रह गई हैं उन बातों पर वहां अच्छी तरह से विचार कर लिया जाय ।

कई बातें इस विधेयक में ऐसी भी हैं कि जिनके संबंध में काफी आपत्ति की जा सकती है । पूरा विधेयक १५ खंडों का है और उद्देश्य और कारणों में जो ५ बातें कही गई हैं उनमें से एक का जो उल्लेख मैंने अभी किया । एक यह है कि "१९५० के ऐक्ट के अधीन संस्थापित अपिलेट ट्रिब्यूनल का उन्मूलन" । मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा विवाद और संदेह की आवश्यकता नहीं है । यह मजदूरों के हित में ही है और हम मान सकते हैं कि उद्देश्य पूरा हो गया है । दूसरे पद "वर्कमैन" मजदूर की सीमा का विस्तार । सीमा का विस्तार भी होना चाहिये परन्तु यह देखना होगा कि जितना विस्तार किया गया है वह काफी है या नहीं या उससे अधिक की आवश्यकता है । इस पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है ।

तीसरा उद्देश्य लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल और नेशनल ट्रिब्युनल की संस्थापना की व्यवस्था है । यह भी ठीक ही है और इसमें यह देखना है कि यह व्यवस्था पर्याप्त है या नहीं और इससे बेहतर की जा सकती है या नहीं । मजदूरों के सेवा के प्रतिबन्धों में कोई तब्दीली करने से पूर्व मालिक द्वारा तत्सम्बन्धी नोटिस दिये जाने की व्यवस्था भी की गई है । यह भी निस्संदेह मजदूरों के लिये हितकर है । लेकिन इसमें भी यह विचार करना होगा कि नोटिस की व्यवस्था पर्याप्त और संतोषजनक है या नहीं और इसमें सुधार की आवश्यकता है या नहीं । अगर सरकार प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया करे तो सामान्य वादविवाद में जितना समय लगता है उसमें कुछ बचत हो जाय । वहां से जो संशोधित बिल आवे उसमें वादविवाद अधिक अधिकारी और उपयोगी होता है । सिवाय इसके कि जितने दिन वह प्रवर समिति के सुपुर्द रहे उतनी देर जरूर लगेगी, बाकी समय की बचत कम नहीं होती और लाभ अधिक होता है । पांचवीं व्यवस्था यह है कि झगड़े से सम्बद्ध पक्ष मध्यस्थ निर्णय द्वारा न्यायिक विचार कराने के निमित्त स्वेच्छा से अभिदेश कर सकेंगे । निस्संदेह यह सुविधा मजदूरों और मालिकों दोनों के हित में है लेकिन यह जरूर देखना है कि जब तक ट्रेड यूनियन के रिकगनीशन की और उनकी ताकत बढ़ाने की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक यह व्यवस्था हानिकर तो नहीं सिद्ध होगी ।

संसार में जो ट्रेड यूनियनों के बारे में कुछ भी जानकारी रखते हैं, खासकर इगलैंन्ड वगैरह में जहां ट्रेड यूनियनें काफी सफल हुई हैं, उनके विकास का आधार यही रहा है कि उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिये मिल मालिकों से जो सरकार को भी आउटफिट कर दिया करते हैं और जिनके इशारे पर सरकारें भी नाचती हैं, उनमें अपने अधिकार प्राप्त करने के लिये मजदूरों में मुकाबिला करने की शक्ति होनी चाहिये । व्यवस्था में कमी होने पर यह हो सकता है कि आप शेर और बकरी को और भेड़ और भेड़िये को एक साथ बांध दें और यह कहें कि वे दोनों स्वेच्छा से अपने मामलों को सुलझा लें, तो यह तो ऐसा ही होता है जैसे बकरी शेर के पेट में और भेड़ भेड़िये के पेट में होती है । कहने को तो झगड़ा समाप्त हो जाता है लेकिन न मर्ज रहता है और न मरीज अगर झगड़ा समाप्त करने का तरीका यही हो कि निर्बल को नष्ट हो जाना

चाहिये और सबल को समाप्त करने का अधिकार दे देना चाहिये तब तो बात दूसरी है। लेकिन जैसा कि उद्देश्य में बताया गया है वैसा हमें करना है तो हमें यह देखना होगा कि हमारा वह उद्देश्य इससे पूरा होगा या नहीं होगा। जो आधारभूत निर्बलता हमारे ट्रेड यूनियनों में, मिल मालिकों के मुकाबिले में है उसके होते हुए इसमें जो व्यवस्था की गयी है उससे वास्तव में उनका कोई हित होगा या नहीं, उनके हितों की रक्षा हो सकेगी या नहीं, इस पर हमें अच्छी तरह से विचार कर लेना होगा।

अन्तिम बात इसमें यह कही गयी है 'इसमें ऐसी शर्तें भी निर्दिष्ट की गयी हैं जिनका अनुपालन औद्योगिक न्यायालयों में औद्योगिक झगड़ों को ले जाने के सम्बन्ध में ट्रेड यूनियनें करेंगी'। यह तो ऐसी चीज है की जब तक विस्तृत रूप से तफसील में जा कर एक-एक शर्त को न देख लिया जाय कि कहीं यह शर्त ऐसी तो नहीं है कि ट्रेड यूनियनों को, औद्योगिक झगड़ों को न्यायालय में ले जाने की जो सुविधा है, उसको कम तो नहीं करती। उसमें बाधा तो नहीं पहुंचाती, सुविधा बढ़ाने के बजाय कम तो नहीं करती है, इन सब बातों को अच्छी तरह से जांचने की आवश्यकता है। इसलिये इस विधेयक को जितनी जल्दी में आप पास कराना चाहते हैं उतनी जल्दी में नहीं कराना चाहिए। उस पर अच्छी तरह से बहस होनी चाहिये, इसके लिये प्रवर समिति में विचार भली प्रकार से हो सकता है। इसलिये मेरी राय यह है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिये। निस्संदेह इस विधेयक में कुछ बातें तो ऐसी हैं जिनके बारे में यह शंका होती है कि इससे मजदूरों की भलाई होगी भी या इससे उल्टे पूंजीपतियों की भलाई होगी। उदाहरण के लिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खंड ४ (ञ) को लेता हूं वह इस प्रकार है—

"जब राज्य सरकार की राय में औद्योगिक संस्थाओं (establishments) के किसी वर्ग पर अथवा किसी औद्योगिक संस्था में नियुक्त मजदूरों के किसी वर्ग पर धारा ४—झ के उपबन्धों के लागू होने से तत्सम्बन्धित मालिकों पर ऐसा प्रतिकूल प्रभाव पड़े जिसका कि सम्बद्ध उद्योग पर गम्भीर दुष्परिणाम हो सकता हो और साथ ही सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक हो तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, आदेश दे सकती है कि उक्त धारा के उपबन्ध में औद्योगिक संस्थाओं के उस वर्ग पर अथवा किसी औद्योगिक संस्था में नियुक्त मजदूरों के उस वर्ग पर लागू न होंगे अथवा ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट कर दिये जायं।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अधिकार जो कि ४—ञ में सरकार के द्वारा लिया जा रहा है, मुक्त करने का अधिकार, मैं समझता हूं कि यह मजदूरों के हित के विरुद्ध है और टोटलिटेरियनिज्म की तरफ हमको ले जाता है। मुझे कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे पंडितों ने बहुत प्राचीन काल से हिन्दू समाज में यह व्यवस्था कर रखी है चाहे किसी का जन्म या चाहे विवाह हो, चाहे श्राद्ध हो, चाहे मुक्ति का मार्ग दिखलाना हो, सब में पंडित जी को तो दक्षिणा चाहिये, यानी जन्म से लेकर विवाह और श्राद्ध के पिंड दान तक में उनको दक्षिणा ही दक्षिणा चाहिये। मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार भी उसी प्रकार से जब कोई विधेयक लाती है चाहे वह मजदूरों की भलाई के नाम पर हो, चाहे वह किसानों की भलाई के नाम पर हो, चाहे वह जनता की भलाई के नाम पर हो, उनकी भलाई हो या न हो लेकिन सरकार पंडित जी की दक्षिणा की तरह बराबर अपना कुछ न कुछ अधिकार बढ़ाती जाती है। जैसे ईसाई धर्म के पोप हुआ करते हैं जो स्वर्ग की सर्टिफिकेट देते हैं, उसी प्रकार से हिन्दू धर्म के अन्दर पंडित भी स्वर्ग के लिये पिंडदान के जरिये या और तरह से मुक्ति का अधिकार देते हैं। यदि मोक्ष देने के अधिकार की बात कही जाती तो पंडितों को दक्षिणा देने वाली बात बिलकुल सही साबित हो जाती। सरकार द्वारा इन अधिकारों को लिये जाने में मुझे सरकार के सम्बन्ध में दो आशंकायें उत्पन्न होती हैं। एक आशंका वही थी जिसका मैंने अभी उल्लेख किया यानी यह सरकार अधिक से अधिक अपने अधिकारों को बढ़ाने की तरफ और ज्यादा से ज्यादा अधिकार लेने की तरफ बढ़ रही है। जनता के हर अंग को अपने अधिकार में करने की उसकी प्रवृत्ति है और वह अपने अधिकार को बराबर बढ़ाती चली जा रही है।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

एक तरफ तो महात्मा गांधी और संत विनोबा जी का सिद्धांत है, दूसरी तरफ प्रगतिशील पार्टियों, पी०एस०पी० का भी यह माना हुआ सिद्धांत है, सोशलिस्ट पार्टी का भी यह माना हुआ सिद्धांत है, सर्वोदय का भी यह माना हुआ सिद्धांत है कि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये। दूसरी तरफ सरकार उस सिद्धांत के विरुद्ध सत्ता के अधिकार को केन्द्रीयकरण करने की उसकी अधिकार लिप्सा है वह शांत ही नहीं होती। जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है "इट ग्रोज अपान व्हाट इट फीड्स" जितना ही भूखा आदमी खाता है उतनी ही उसकी भूख बढ़ती जाती है वह कम नहीं होती बल्कि वह और भी तीव्र और बलवती होती जाती है, उसी प्रकार से सरकार की अधिकार लेने की जो इच्छा है वह बराबर बढ़ती चली जा रही है और हर मामले में वह अपने अधिकारों को बढ़ाती जाती है। एक बात तो यह है।

दूसरी बात यह कि यह मुक्त करने का जो अधिकार है वह अत्यन्त आपत्तिजनक है और इसलिए आपत्तिजनक है कि यह मालूम पड़ता है कि इसमें सरकार का पूंजीवादियों से जो प्रेम है, और जो पक्षपात है उसका प्रत्यक्ष परिचय इससे मिल जाता है। और इस व्यवस्था के कारण सरकार के ऊपर पूंजीवादियों का प्रभाव भी प्रत्यक्ष दिखलायी देता है। तो इस प्रकार के अधिकारों को अपने हाथ में लेना जिससे उद्योगों का सार्वजनिक हित न हो मैं ठीक नहीं समझता। क्यों कि उसका निर्णय हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज तो करेंगे नहीं। इसके अन्तिम निर्णय के लिये कहीं अपील की व्यवस्था नहीं है। इसका निर्णय सरकार के अधिकारी अपने दफ्तर में बैठ कर ही कर देंगे। इस तरह से यह मानी हुई बात है कि चाहे जिस तरह के उद्योग धंधे हों, यह दिखलायी देता है कि चाहे गल्ती से जान बूझ कर किसी भी उद्योगपति के हित के लिये इस कार्य को करने वाले को वे मुक्त कर देंगे। तो इससे तो मजदूरों का नुकसान ही होगा और पूंजीवादियों को लाभ पहुंचेगा। कहा यह जायगा कि जनता के प्रतिनिधियों ने ही अपनी बनायी हुई सरकार को अधिकार दिया है और सरकार अपने उन अधिकारों का सदुपयोग कर रही है, इसलिये कोई बुरा नहीं कर रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अत्यन्त नम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकार होना ही इस बात की गारन्टी नहीं है कि आपने अपने अधिकार का जो उपयोग किया है वह सही है। बहुत बातों के अधिकार होते हैं। लेकिन वे अधिकार विशेष परिस्थितियों में औचित्य के अनुकूल नहीं होते और उनका उपयोग करना दुरुपयोग हो जाता है और वह हास्यास्पद भी हो जाता है। उदाहरण के लिये उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी कानून होगा, कम से कम भारतवर्ष में ऐसा नहीं है कि अगर कोई पैजामा और धोती को लेकर साफे की जगह बांधे तो उसको कानून नहीं रोक सकता। हर नागरिक को इस बात का पूर्ण अधिकार है कि वह पैजामे और धोती को भी साफे की जगह बांध सकता है। लेकिन अगर वह इस अधिकार का प्रयोग करके सड़क पर चले तो जनता को अधिकार हो जाता है कि वह उस पर हंसे और कहे कि इसका दिमाग ठिकाने नहीं मालूम होता। इसलिये पहले अधिकार लेते जाना और फिर उनका उपयोग या दुरुपयोग करना या हल्केपन के साथ उपयोग करना मैं समझता हूं जनतांत्रिक सरकार के लिये आपत्तिजनक होगा और ऐसे अधिकार को लेते समय सरकार को अपने उत्तरदायित्व की भावना को भी समझना चाहिये। इसलिये अच्छा यही है कि ऐसे अधिकारों को लेने का साहस सरकार न करे तो अच्छा है।

अंग्रेजी की एक कहावत है कि "इट इज गुड टु हैव जाइन्ट्स पावर बट इट इज नेवर गुड टु यूज इट" यानी दैत्य की शक्ति रखना तो अच्छा है, लेकिन उस दैत्य की शक्ति का प्रयोग करना अच्छा नहीं है। इसका हमारे धर्म में तो बड़ा सुन्दर उदाहरण है कि भगवान् श्रीकृष्ण जी की छंगुली ऊंगली पर जो सुदर्शन चक्र घूमता था वह जिसका चाहे उसका संहार कर सकता था इतनी उनमें शक्ति थी परन्तु उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया और जनता को विश्वास दिलाने के लिये इस नियम का पालन किया, जब तक कि शिशुपाल ने १,००० गालियां नहीं दीं

और तब ही मजबूर होकर उन्होंने उसका प्रयोग किया। लेकिन केवल यह कहने से, अधिकार हम ले रहे हैं और उसका उपयोग नहीं होगा, काम नहीं चलता। सरकार के पास गोली चलाने का अधिकार होता है लेकिन उसका उपयोग रोज होने लगे जैसे आज प्रश्नोत्तर में बताया गया कि ३१ बार गोली चली और चार बार नाजायज तौर पर चली, इस तरह से बार-बार अनजस्टीफाइड तरीके से गोली चलने लगे तो फिर ऐसे अधिकार लेने से क्या लाभ? ऐसी गल्ती आगे भी हो सकती हैं, अव्वल तो ऐसे अधिकार न लिये जायं और अगर लिये जायं तो उनका उपयोग समझबूझ कर, शान्ति के साथ, संयम के साथ किया जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि आज की परिस्थिति में इस तरह का अधिकार सरकार के लिये लेना उचित नहीं है जो वह इस ४ (ञ।) में लेना चाहती है।

सन् २६ की बात है आज से ३० साल पहले की कि अमरशहीद भगत सिंह को जिस अदालत से फांसी की सजा हुई उसमें उन्होंने अपना बयान दिया था और उसमें उन्होंने जार्ज बर्नार्ड शा की पुस्तक में से एक उद्धरण दिया था वह मुझे अंग्रेजी में याद नहीं है। ३० साल पहले बात हो गई उसका एनेकडोट या एलूजन मुझे कुछ याद है, उसमें यह था कि ब्रिटिश सरकार जो काम करती है वह सिद्धान्तों के नाम पर करती है और कहती है कि अमुक सिद्धांत के नाम पर अभी उपनिवेशवाद और शोषण की जरूरत है, जनहित के नाम पर गरीब किसान और मजदूरों पर गोली चलाई जाती है और उनको मार डाला जाता है, तो जो काम करना होता है, उस बुरे से बुरे काम को अच्छे से अच्छे सिद्धान्त का नाम लेकर कर डाला जाता है। ऐसा बयान उस वक्त दिया गया था। मेरा मतलब यह है कि हमें भी देखना चाहिये कि केवल सिद्धान्त का गुलाम हमें न बनाना चाहिये हमें देखना चाहिये कि हम क्या शक्ति ले रहे हैं। उनका किस प्रकार से उपयोग होगा, इस बुद्धि विवेक और विवेचन को हमें नहीं छोड़ना चाहिये और देखना चाहिये कि सिद्धान्त के अनुसार काम होता है या नहीं। अगर केवल उसका बहाना बना कर उसके प्रतिकूल होता है तो वह गलत बात है। इस धारा ४ (ञ।) से ऐसा मालूम पड़ता है कि नाम तो समाजवाद का लिया जाता है लेकिन ऐसा अधिकार लेकर उद्योगीकरण के नाम पर पूंजीवादी पद्धति अपनाई जाती है और पूंजीपतियों की और सरकार की शक्ति बढ़ाई जाती है। वही कहावत है कि 'मुंह में राम बगल में छूरी'। यह नहीं होना चाहिये कि एक तरफ तो हम इस तरह से अधिकार लेते चले जायं और कहें यह कि हम मजदूरों की भलाई के लिये कानून लायें हैं। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि सच्चाई का भूत सर पर चढ़ कर बोलता है।

(कोरम के अभाव में घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि आप व्यवस्था कर दें कि अगर एक बार और कोरम की घंटी बजाई गई तो सदन स्थगित कर दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—समय आने पर विचार किया जायगा।

श्री राजनारायण—इससे सदन का अपमान होता है कि बार-बार कोरम के लिये घंटी बजायी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—वास्तव में आपका कहना ठीक है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोरम का सवाल बार-बार उठता है और इतनी बार कोरम का सवाल उठाने पर वास्तव में वह डिकोरम का सवाल हो जाता है। यह सदन की प्रतिष्ठा नहीं है जिसके सदस्य एक तरफ मजदूरों के हितैषी, किसान हितैषी होने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ इतना कष्ट गवारा नहीं कर सकते कि सदन में बैठे रहें जिस वकत यहां बिलों पर बहस होती है। मैं आशा करता हूं जैसा

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

कि राजनारायण जी ने कहा है एक से अधिक बार कोरम न रहने पर सदन को भले ही स्थगित न करें लेकिन जिस प्रकार माननीय अध्यक्ष बार-बार चेतावनी दिया करते हैं कि अगर अबकी बार कोरम नहीं रहता है और बार बार घंटी बजायी जाती है और अब की बार घंटी बजाई गई तो मैं सदन स्थगित कर दूंगा। यह चेतावनी अगर दे दी जाया करे तो मुमकिन है कि कोरम और डिकोरम की समस्या हल हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मेरी तो प्रार्थना है कि सभी दलों के सदस्यों का यह कर्त्तव्य है कि कोरम बना रहे।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)---कोरम के रहते हुये भी आप लोग कोरम का अभाव मानते हैं।

श्री राजनारायण---माननीय सदस्य ने यह कहा कि कोरम के रहते हुये भी कोरम का अभाव माना जाता है, मैं समझता हूं कि यह आप पर आक्षेप है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---जहां तक मुझसे सम्बन्ध है मैं तो इस प्रकार के इंटरप्शंस की उपेक्षा ही करता हूं। आई ट्रीट देम विद दी कंटेम्प्ट दे डिजर्व। क्योंकि साथ में मैं यह भी जानता हूं कि अगर मैं उसका तुर्की ब तुर्की जवाब दूं तो डिकोरम में और भी कमी होगी। इसे शायद कुछ लोग न भी मानें और यह कहें कि मैं जवाब देना नहीं जानता और मैं तुर्की ब तुर्की जवाब नहीं दे सकता लेकिन सही बात यह है कि मैं इस तरह के कड़े जवाब देने के लिये बदनाम हूं। उपाध्यक्ष महोदय ने सब दलों की बात कही। मैं इस बात से सहमत हूं कि वह सब दलों के लिए लागू है और किसी खास दल के लिये लागू नहीं है। मैं अपने सम्बन्ध में कह दूं कि मैं तो निर्दल हूं। मैं तो बिलकुल अकेला हूं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर का एक दोहा है जिसे महात्मा गांधी भी कहा करते थे "अकेला चलो रे"। जो अकेला चलने की क्षमता रखते हैं वे अकेला चलते हैं। श्रद्धेय पुरुषोत्तम दास टंडन जी कहा करते थे "सिंघन के लहड़े नहीं, हंसन की नहीं पांत, लाल न बांधे बोरिया, साध न चले जमात।" एक कहावत यह भी है :

"लीक लीक गाड़ी चले लीकहि चलें कपूत।"
लीक छांड़ तीनों चले शायर, सिंह, सपूत।"

मैं अकेला रहने पर भी सही बात पर डटे रहना मुनासिब समझता हूं। इस सबको छोड़ कर मैं अपनी बात पर आता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---देर आयद दुरुस्त आयद।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मैं कह चुका हूं। इसलिये प्रवर समिति में इसको भेजने से जिन संशोधनों की आवश्यकता की ओर मैंने ध्यान दिलाया है वह संशोधन किये जा सकेंगे। वैसे मैं जानता हूं कि सत्ता का मद इतना भयानक होता है कि उसमें पड़ कर के मनुष्य को अनुचित का ही नहीं अपने भले बुरे का विचार भी आम तौर पर नहीं रहता। सत्ता के मद होने पर ही यह कहा जाता है--- 'विनाश काले विपरीतबुद्धिः'। सत्ता के मद में, सत्ता का दुरुपयोग करना कोई बहादुरी या बुद्धिमत्ता नहीं है। वह दुरुपयोग करते हैं और हम उस दुरुपयोग को भी बर्दाश्त करते हैं। लेकिन मैं फिर भी यह समझता हूं कि अगर वह उसका दुरुपयोग न करें तो उनकी कीर्ति के लिये अच्छा होगा और अगर करेंगे तो उनकी कीर्ति तो जायगी ही उसका जवाब भी फिर हम लोगों को देना पड़ेगा। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर आप से कहता हूं कि डिकोरम की और कोरम की ज्यादा जिम्मेदारी सरकारी पक्ष की है जो करीब-करीब ९० फीसदी है। दस फीसदी से कोरम अगर विरोधी दल के सभी रहें तब भी पूरा नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य को इसके ऊपर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने कहा यह सरकारी बिल है और अपनी सरकार के बिल के सम्बन्ध में अपना यही उत्तरदायित्व समझते हैं और समझते हैं कि वह ठीक करते हैं तो उसको यह समझ मुबारक हो।

इन शब्दों के साथ मैं अपने इस प्रस्ताव को कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, सदन से प्रार्थना करता हूं कि इसको स्वीकार करे। यद्यपि मैं जानता हूं कि सरकारी पक्ष से यह आशा करना कि स्वीकार करेगा दुराशा को न्यौता देना है। लेकिन यह जानते हुये भी कि उनसे यह आशा नहीं की जा सकती है मैं तो अपना कर्त्तव्य करता ही हूं।

*श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, जो प्रस्ताव माननीय पालीवाल जी ने सदन के सम्मुख रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि जहां तक इस बिल को पढ़ने का मौक़ा मिला है मैं समझता हूं कि इस बिल में इतनी खामियां हैं कि अगर्चे यह बिल जिस हालत में है उसी हालत में हम इसे पास कर दें तो मजदूरों का बहुत नुक्सान होने की संभावना है। बल्कि मेरा यह निश्चित मत है कि उससे बहुत कुछ नुक्सान मजदूरों का हो जायगा।

यह मैं नहीं कहता कि यह जितना भी बिल है सब रद्दी की टोकरी में फेंक दिये जाने के काबिल है। इसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं जैसे कि जिन मजदूरों की छटनी होगी उनको कम्पेंसेशन मिलेगा। जो प्ले आफ़ पर जायेंगे उनको भी कुछ कम्पेन्सेशन मिलेगा। इस किस्म की दो चार बातें हैं। जहां तक वर्कमैन की डेफिनीशन का सवाल है वहां भी कह दिया गया है कि पांच सौ से नीचे का जो मजदूर है वह मजदूर समझा जायगा। यह ठीक है क्योंकि देखा गया बहुत जगह ऐसे भी फैसले हो गये अदालतों में, इस किस्म के फैसले हो गये, कि एक आदमी तनख्वाह तो ६०, ७० रुपये पाता है लेकिन उसका पद सुपरवाइजर का लिखा हुआ है तो अदालत ने फौरन फैसला दे दिया कि वह सुपरवाइजरी स्टाफ का आदमी है। इसमें कुछ अच्छाइयां हैं।

इस बिल को जब पूरी तौर से देखा जाता है तो इसमें जितनी अच्छाइयां नहीं मिलतीं उतनी बुराइयां मिलती हैं। इसलिये सरकार को अगर मजदूरों के सम्बन्ध में कोई काम करना है, कोई कानून बनाना है तो सरकार को चाहिये कि इस बिल को प्रवर समिति में ले जा कर के इसमें काफी संशोधन करे ताकि इस कानून से जो कि हम यहां बैठ कर बनाने जा रहे हैं हमारे प्रान्त के मजदूरों का फायदा हो सके। श्रीमन्, मैं जो खामियां हैं उनकी तरफ आपका और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं ताकि हम यह समझें कि दरअसल इसमें खामियां हैं और प्रवर समिति में इसका जाना जरूरी है। वैसे माननीय श्रम मंत्री जी ने कहा अपने भाषण के दौरान में कि हम तो जो सेंटर से आया हुआ है उसी के आधार पर मैंने इस बिल को बनाया है क्योंकि जो सेन्ट्रल ऐक्ट बना इसमें संशोधन करने में बड़ी मुश्किल हो जायगी और राष्ट्रपति दस्तखत नहीं करेंगे। तो श्रीमन्, यह पहले से ही समझ लेना चाहिये। संविधान की मंशा यह है कि जो सेंट्रल ऐक्ट बने उसके मातहत आप अगर चाहें तो अपने प्रान्त की हालत को देखते हुये, अपने प्रान्त की सुविधा को देखते हुये जिस तरह का चाहें अमेंडमेंट कर लें। मैं समझता हूं हर एक प्रान्त में मजदूरों की एक ही हालत नहीं है। हमारी जो दिक्कतें हैं उनको इस बिल में रखना चाहिये और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना चाहिये। यह हमारी कमजोरी होगी अगर हम यह कहें कि हम तो इसको अमेंड कर ही नहीं सकते। तो फिर इस सदन की क्या जरूरत है? सेन्ट्रल जो कानून बना देगा वही हम मान लेंगे।

मैं श्रीमन्, आप का ध्यान जो इसमें खामियां हैं उनकी तरफ़ ले जाना चाहता हूं। आप देखेंगे खंड (२) में जहां परिभाषा दी हुई है उसमें कन्टीनुअस सर्विस (अनवरत सेवा) की जो परिभाषा है उसके अन्दर यह लिखा हुआ है कि इस इस तरह से जो छुट्टी के अन्तर्गत होंगे, अर्थो-राइज्ड लीव होगी या कोई बीमारी की छुट्टी पर होगा उसको छोड़ कर अगर वह एक दिन भी

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

श्रीमन्, किसी कारण गैर हाजिर हो जाता है तो उसकी सर्विस की कन्टीन्यूटी खत्म हो जायगी। अगर मजदूर को कोई अचानक आवश्यक काम पड़ गया या कोई उसके घर में मर गया और वह नहीं आ सका काम पर, तो उस की पुरानी सर्विस खत्म हो जायगी, उसको जो पुराना कम्पेन्सेशन पाना है वह खत्म हो जायगा। यह बहुत गलत बात है। तो हमको यह तरीका निकालना है किस तरह से हम उनको संरक्षण दें ताकि उनकी सर्विस की कन्टीन्यूटी खत्म न हो सके।

इसी प्रकार आगे चल कर जहां मालिक की परिभाषा दी हुई है उसमें ठेकेदार है। लेकिन उस में भी सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि इसमें कहीं भी यह नहीं दिया हुआ है कि जो मालिक के द्वारा कान्ट्रेक्टर मुकर्रर होते हैं वे भी आ जायं। कानपुर में मैं बताऊं मिल मालिकों ने जो पहले से अनस्किल्ड लेबर चले आते हैं उनको निकाल दिया है और इस लिये कि कानूनन उनको ८० रु० मजदूर को कम से कम देना पड़ता है। वह करते क्या हैं ६० रु० कानट्रेक्टर को देते हैं और २० रु० इस तरह से बचाते हैं। और ६० रु० जो कान-ट्रेक्टर पाता है वह १० रु० अपने पास रखता है और ५० रु० पर मजदूर रख कर काम कराता है। इस तरह की जो खराबियां की जा रही हैं मैं समझता हूं कि हमको कानूनन किसी न किसी प्रकार से बन्द करना चाहिये। अगर नहीं करते तो इस तरह से विधेयक बनाने से मजदूरों का कोई फ़ायदा नहीं होगा और मालिकों के ऊपर कोई चेक नहीं लगा सकेंगे।

इसी प्रकार जहां काम बन्दी का सवाल है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि कच्चे माल की कमी से या कोयला न होने से या मशीन के टूट जाने से अगर मिल को बन्द करना पड़ेगा तो मिल मालिक बन्द करेगा। ठीक है वह तो बन्द करेगा ऐसी परिस्थिति में। लेकिन श्रीमन्, इसमें आप पढ़ेंगे लिखा है "अथवा अन्य कारणवश"। इसमें तो मिल मालिक को हम इतना स्कोप दे रहे हैं कि अन्य कारण में कोई भी कारण दिखा कर मिल बन्द कर दे और मजदूरों को प्ले प्राफ कर दे। तो यह अन्य कारण मेरी समझ में नहीं आया। यह क्या है? मंत्री जी समझायें। अगर वह अदालत में जाता है तो अन्य कारण इतना वाइड टर्म है कि कोई भी कारण बता कर वह मिल बन्द कर सकता है। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि नहीं होना चाहिये।

जहां तक हड़ताल का सवाल है, जहां हड़ताल की परिभाषा दी हुई है उसमें भी कमी है। मैं समझता हूं कि इल्लीगल हड़ताल मजदूर करता है तो ठीक है उसकी सर्विस ब्रेक हो, वह तो मैं मानता हूं। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि देश में किसी बड़े आदमी की मृत्यु हो गई, उसकी अगर हड़ताल हुई या कोई बड़ा भारी मजदूरों का त्यौहार हुआ, मजदूरों ने अपना काम बन्द करके त्यौहार मनाना शुरू किया तो इसके कारण अगर मजदूरों की सर्विस चली जाय तो यह कहां तक मुनासिब होगा? यह मैं सदन के ऊपर ही छोड़ देता हूं कि सदन इसके ऊपर विचार करे कि कहां तक यह ठीक है कि एक दिन की हड़ताल करने पर उसकी सर्विस एक तरह से खत्म हो जाय। मैं समझता हूं कि इसको भी ठीक कर लेना चाहिये।

श्रीमन्, इसमें एक प्राविजन दिया हुआ है, शिड्यूल थर्ड दिया हुआ है अगर उसका वेतन इधर उधर करना हो, उसकी फैसिलिटीज को इधर-उधर करना हो तो वह मजदूर को नोटिस देगा, यह ठीक है, नोटिस उसको देना चाहिये। लेकिन उसी के साथ-साथ उसमें और बहुत सी खामियां रह गई हैं जिनको दुरुस्त करने की जरूरत पड़ेगी और वह खामियां यह हैं कि बहुत जगहों पर उसको नोटिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ एक खामी इसमें यह है श्रीमन्, कि अभी तक जो रिप्रिजेंटेशन का हक था यानी कोई भी मुकदमा अदालत में चलता हो, लेबर कोर्ट स में चलता हो तो उसमें यह हक था कि कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी उस चीज को कर सकता है लेकिन इसमें प्रतिबन्ध यह कर दिया गया है कि दो साल तक जब तक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन न रहे तब तक न वह कोई मुकदमा रेफर कर सकती है और न पैरवी कर सकती है। मैं नहीं समझता कि इसके लगाने की क्या जरूरत

थी। सेंट्रल ऐक्ट में तो यह था नहीं। हमारे यहां की हुकूमत की अक्लमन्दी है। क्यों इसको रख दिया गया? मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि अगर कोई मिल नयी बनायी जाय और उस मिल में एक यूनियन रजिस्टर्ड होती है तो उसके मजदूरों को तो दो साल पिसने का मौका होगा। उसका मजदूर तो कोई केस दो साल तक नहीं ले जा सकेगा। इसकी क्या सेफ्टी दी हुई है इसमें, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। इससे सिवाय इसके कि मजदूरों का नुक्सान हो, उनकी तकलीफ बढ़े कोई फायदा नहीं हो सकता। इसलिये मैं समझता हूं कि इस किस्म की धाराओं को बदलने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि सरकार हठधर्मी करती है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप तो रोज देखते हैं कि बढ़िया से बढ़िया अमेंडमेंट आये सरकार कहेगी कि हम उसको नहीं मानते हैं और माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में पता नहीं कैसे कह दिया, मैं नहीं समझता कि कहां तक वह कंटेम्प्ट आफ हाउस है या नहीं है, यह तो व्यवस्था की बात है और वह आय कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वह कंटेम्प्ट आफ हाउस है। इसलिये कि अपने भाषण में उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य अमेंडमेंट देने की कोशिश न करेंगे। इस तरह से सदन के सदस्यों के एक अधिकार को रोकना मैं समझता हूं कि कंटेम्प्ट आफ दी हाउस है।

आचार्य जुगल किशोर—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कभी यह नहीं कहा। मुझे मालूम नहीं कैसे श्री जगन्नाथ मल्ल जी को यह पता चला। मैंने यह दरख्वास्त की थी कि अमेंडमेंट अगर कम दें माननीय सदस्य तो काम में सहूलियत होगी और उन पर विचार करने में उन्हें स्वीकार करने में सहूलियत होगी। मैंने कभी यह नहीं कहा कि कोई अमेंडमेंट नहीं दे सकता।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल—स्वीकार तो करता हूं लेकिन इस तरह से नहीं कहा था। दूसरी तरह से कहा था और वह शायद भूल से निकल गया था, उस भूल को उन्होंने सुधार लिया तो उसको मैं मान लेता हूं। भूल को सुधार लेना सदन की मर्यादा को बढ़ाता ही है।

श्रीमन्, एक चीज जो बहुत दिनों से यहां पर सदन में भी कही गई और यह सब मजदूरों की मांग भी रही है और जब मुख्य मंत्री जी श्रम मंत्री थे तो उन्होंने भी वायदा किया था और वर्तमान श्रम मंत्री जी ने वायदा किया या नहीं किया यह मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने वायदा किया था कि जैसे ही सेंट्रल ऐक्ट बन जायगा वह उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। हम चाहते थे और जितने भी मजदूर पार्टी के कार्यकर्ता हैं वह इससे सहमत होंगे कि जो सबसे पहली गल्ती की गई है इस विधेयक में वह यह है कि डिस्प्यूट के सिलसिले में रिफ़ेंस करने का अधिकार सरकार ने अपने हाथ में रखा है। जैसा पहले था वैसा ही अब भी है। पहले यही था कि समझौते की रिपोर्ट सरकार को भेज दी जाती थी, अब सरकार की मर्जी के ऊपर था कि वह चाहे तो अदालत में रिफ़ेंस करे या न करे, यह हक सरकार को हासिल था। इसके संबंध में हमें बहुत शिकायत है और इतनी ज्यादा शिकायत है कि बहुत से मामले जिनमें रिफ़ेंस होना चाहिये था वह नहीं होते थे। हमने सदन में बजट के अवसर पर और हर एक अवसर पर इस चीज को कहा है कि यह जो रिफ़ेंस का अधिकार है यह सरकार को नहीं होना चाहिये। अगर कोई मामला समझौता बोर्ड के सामने जाता है और वह नहीं सुलझा पाता है तो मजदूर को अधिकार होना चाहिये कि चाहे तो अपना मामला अदालत में ले जाय। मेरा ख्याल है कि यह संविधान के भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति जो चाहता है कि हमें न्याय मिले उसे सरकार अदालत में नहीं जाने देती है और वह अधिकार अपने हाथ में रखती है। जिस तरह से हमारा मुकद्दमा होता है, सबको अधिकार होता है कि चाहे

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

जाकर अर्जी दे सकता है और उसका मुकद्दमा लिया जायगा तो इसी तरह का अधिकार मजदूर को क्यों न मिले कि वह अपना मामला अदालत में ले जा सके। मैं नहीं समझ पाता हूं कि यह चीज क्यों बनी हुई है। इससे न केवल मजदूर के साथ अन्याय होता है बल्कि जो पार्टीज कावर में नहीं है उनको शुबहा होता है कि हमारे केसेज जान बूझकर नहीं भेजे जाते हैं। इसलिये सरकार इस शुबहा को मिटाये। क्यों नहीं मजदूर को यह अधिकार दे देते जिससे लोगों के दिमाग से यह शुबहा मिट जाय और मजदूर को अधिकार हो कि जैसे वह चाहे अपना मामला अदालत में ले जा सके और न्याय पा सके। यह सीधा सादा सवाल है जब तक सरकार इसको दुरुस्त नहीं करेगी तब तक मजदूर के साथ अन्याय होता रहेगा। यदि सरकार चाहती है कि मजदूरों को न्याय मिले तो जो अधिकार सरकार ने ले रखा है कि जिसको वह चाहेगी भेजेगी उसको छोड़ दे और यह अधिकार मजदूरों को मिल जाना चाहिये कि जब चाहे अपना केस अदालत में ले जा सकता है।

दूसरी चीज मैं आपको बतलाऊं वह पेंडेंसी की है। पहले होता यह था कि जब कोई मामला किसी मिल का किसी अदालत में जाता था तो होता यह था जितने भी मजदूर वहां रहते थे उनको वहां से निकालने के लिये या सर्विस कंडीशन बदलने के लिये, जरूरत होती थी कि वह जाकर उस अदालत से जिसमें मुकद्दमा दायर हो उससे इजाजत ले तब निकाल सकता था।

मैं श्रीमन्, थोड़ा आपको पढ़ कर सुना दूं। यह पहले सेंट्रल ऐक्ट में भी था और हमारे यहां जो यू०पी० इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट के मातहत नोटिफिकेशन है उसमें भी इस प्रकार का प्राविजन है। चूंकि सेंट्रल ऐक्ट अंग्रेजी में है इसलिये आपकी आज्ञा से मैं अंग्रेजी में ही पढ़ता हूं :—

"No employer shall during the pendency of any conciliation proceedings or proceedings before a Tribunal in respect of any industrial dispute, alter to the prejudice of the workmen concerned in such dispute, the conditions of service applicable to them immediately before the commencement of such proceedings, nor, save with the express permission in writing of the Conciliation Officer, Board or Tribunal, as the case may be, shall he during the pendency of such proceedings, discharge, dismiss or otherwise punish any such workmen except for misconduct not connected with the dispute."

इस तरह का प्राविजन था और एक आदमी का भी केस अगर किसी अदालत में रहता था तो जितने भी मजदूर हैं उनके लिये यह एक बहुत बड़ा सेफगार्ड था। लेकिन अब जो इसमें प्राविजन है वह इतना खतरनाक है कि जिसका हिसाब नहीं। इसमें लिखा है कि अगर एक मजदूर का मामला है तो वह पेंडेंसी उसी पर अकेली रहेगी और किसी दूसरे पर नहीं रहेगी और वहां की ट्रेड यूनियन के जो पदाधिकारी होंगे उनके ऊपर लागू रहेगी, किसी मजदूर पर नहीं लागू रहेगी। मेरी समझ में नहीं आया कि यह आप मजदूरों को अधिकार दे रहे हैं या उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ट्रेड यूनियनों में इससे एक तरह का एलेक्शनबाजी का जाल बिछाया जा रहा है। जब यूनिवर्सिटी बिल आता है तो मिनिस्टर लोग कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि ऐसी संस्थाओं में एलेक्शनबाजी बढ़े। मगर इसमें यह होगा श्रीमन्, कि हर मजदूर इस बात का प्रयत्न करेगा कि वह उस मिल की यूनियन का आफिस बेयरर हो जाय और इसलिये हो जाय कि जब भी कोई पेंडेंसी लगेगी तो हमारे ऊपर भी लगी रहेगी। मैं तो समझता हूं कि जो पिछला नियम था उसकी सरकार को पाबन्दी करनी चाहिये और जो इस वक्त लाया गया है यह बिलकुल बेकार है, इससे मजदूरों के हित की रक्षा नहीं की जा रही है बल्कि उनको गढ़े में ढकेला जा रहा है और जो एक रोक थी उसको हटाया जा रहा है ताकि मिलमालिक खुल कर उनकी जान से खेलें।

इसके अलावा स्टैंडिंग आर्डर का तो प्राविजन है, लेबर कोर्ट में ले जाकर हम बदलवा सकते हैं। लेकिन यह शूगर इंडस्ट्री पर तो लागू होने का नहीं है क्योंकि शूगर इंडस्ट्री स्टैंडिंग आर्डर ऐक्ट के मुताबिक नहीं हुई है, वह तो यू० पी० इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के मुताबिक है। तो मजदूरों के एक सेक्शन को उसके अधिकार तो मिलने के नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिये।

सरकार को अगर दरअस्ल मजदूरों के पक्ष में कोई चीज बनानी है तो ठीक से बनाये। अगर ऐसा विधेयक बनाया गया जिसमें जितना हमको फायदा नहीं हो रहा है उससे चौगुना नुकसान हो रहा है तो फिर भगवान ही जाने कि क्या होने वाला है। इन चीजों को देखते हुये यह जरूरी हो जाता है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। लेकिन मैं पालीवाल जी से सहमत हूं इस बारे में कि वहां जायगा तो शायद सरकार वहां भी कहेगी कि यह तो सेन्ट्रल ऐक्ट है, उसके खिलाफ हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते। हमारी जो कंडीशंस होंगी उनके अनुसार विधान ने हमें जो अधिकार दिये हैं उनका हम पालन करेंगे और मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति कभी इस बात को नहीं करेंगे कि स्वीकार न करें और दस्तखत न करें। माननीय श्रम मंत्री जी खुद सब दिक्कतों को समझते हैं, लेकिन यह कह देने से कि सेन्ट्रल ऐक्ट के आधार पर यह बन रहा है हम उसको किसी तरह से अमेंड नहीं करा सकते। यह तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की कमजोरी है और सदन के लिये तो यह कहता हूं कि वह कमजोर नहीं है। खैर, जो इसमें खामियां हैं उनको तो अमेंड करना चाहिये और इमानदारी के साथ, मजबूती के साथ खामियों को दूर करके राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिये। सेन्ट्रल गवर्नमेंट क्यों रोक देगी। इसमें तो केवल राष्ट्रपति आते हैं। अगर वहां कोई गड़बड़ होती हो तो मैं नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूं कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को हो इसका अधिकार है न तो सेन्ट्रल सेक्रेटेरियट के किसी सेक्रेटरी को और न यूनियम के किसी मिनिस्टर को और अगर वे लोग राष्ट्रपति के अधिकार को लेकर उसका दुरुपयोग करते हैं तब तो भगवान ही जाने कि कैसे सेन्टर गवर्नमेंट और कैसे यू० पी० की गवर्नमेंट चलेगी। उचित होगा कि माननीय मंत्री जी पालीवाल जी के संशोधन को मान लें क्योंकि इसमें सरकार की मर्यादा कोई खत्म नहीं होती। प्रवर समिति में जो कोई भी संशोधन मजदूरों के हित में हो उसको स्वीकार करें उससे आपकी मर्यादा बढ़ेगी ही घटेगी नहीं। सरकार यह समझती है कि अगर उसमें हमारा संशोधन मान लिया तो यह मर्यादा उसकी नहीं रहेगी। यह सरकार अपनी मर्यादा की रक्षा के लिये चाहे सैकड़ों मजदूर चूल्हे भाड़ में जांय उसे परवाह नहीं है यह मनोवृत्ति सरकार की है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस मर्यादा वाली मनोवृत्ति को छोड़कर माननीय पालीवाल जी के संशोधन को स्वीकार करे। इससे उसकी खामियां दूर हो जायंगी। इन शब्दों के साथ मैं पालीवाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)---मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जेनरल डिस्कशन आज खत्म हो जायगा या सोमवार को भी चलेगा?

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, मैं भी यह जानना चाहता हूं कि बिजनेस कमेटी ने कोई समय तो मुकर्रर नहीं किया है?

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अभी तो यह चलेगा। आज जारी रहेगा। (श्री राजनारायण से) आपने जो संशोधन दिया है वह तो बिलकुल उसी के अनुसार है जो पालीवाल जी का है। आप उसकी परिधि बढ़ाना चाहते हैं। इसलिये संशोधन में संशोधन हो सकता है।

श्री राजनारायण---ठीक है, श्रीमन्। यह भी एक व्यवस्था की जा सकती है। तो जैसा कि आपने कहा मेरा संशोधन माननीय पालीवाल जी के संशोधन में मान लिया जाय तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं माननीय पालीवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि वे भी इसे स्वीकार कर लेंगे। मेरा संशोधन केवल यह है कि इस प्रवर समिति में तो यह विधेयक भेजा जाय अवश्य मगर इस का स्कोप बढ़ाने का अधिकार भी प्रवर समिति को दे दिया जाय .....

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--स्वीकार है ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि पालीवाल जी ने इसे स्वीकार कर लिया ।

श्रीमन्, जब यह प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव माननीय पालीवाल जी ने किया और माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने उसका समर्थन किया और इन लोगों ने प्रवर समिति में जाने के लिये जो तर्क प्रस्तुत किये, उन तर्कों से सहमत होते हुये भी मैंने अपना यह कर्त्तव्य समझा कि मुझे यह संशोधन दे देना चाहिये क्योंकि यदि इसके उद्देश्य और कारण को बढ़ाने का अधिकार प्रवर समिति को नहीं रहेगा तो माननीय पालीवाल जी और माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने जो शंकायें प्रस्तुत की हैं वह अपनी जगह पर बनी रह जायंगी और प्रवर समिति के अंदर बार-बार यह बहस उठ जाया करेगी कि यह बात इसके उद्देश्य और कारण के स्कोप के अंदर नहीं है । इसलिये ऐसे संशोधन को नहीं माना जायगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति में जब यह जाय तो उसमें इसकी परिधि भी व्यापक हो । परिधि क्यों व्यापक हो ? जब इस संशोधन को मैं प्रस्तुत करता हूं तो मैं अपने समर्थन में माननीय मंत्री जी को ही प्रस्तुत करना चाहता हूं । इस सदन में जब-जब मिल मालिक या मालिक और मजदूर के रिलेशन्स के संबंध में चर्चा हुई है, विवाद हुआ है तब-तब हमारी ओर से सरकार से यह आग्रह किया गया है कि उत्तर प्रदेशीय सरकार ने जो मजदूरों और मालिकों के झगड़े के संबंध में नियम और उपनियम बनाये हैं वह इतने दोषपूर्ण हैं और इतने हीन हैं उससे मजदूर अपने हित की हिफाजत नहीं कर पाते । मैं यह देखता हूं कि आज जिस रूप में यह संशोधन आया है और जो संशोधित विधेयक प्रस्तुत हुआ है अगर वह उसी रूप में ज्यों का त्यों पास हो जाय, उसकी शकल भी कानून की बन जाय तब भी मजदूर बेचारा अपने को असहाय अवस्था में ही पायेगा और इसके अधिकारों की समुचित सुरक्षा नहीं हो पायेगी, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती ।

श्रीमन्, अब देखा जाना चाहिये कि यह भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में क्या अब भी सरकार के दिमाग में कहीं उलझा हुआ एक भ्रम है जिसको कि वह समझ नहीं पा रही है कि वह मजदूर को प्राथमिकता देना चाहती है या नहीं देना चाहती है ? मजदूर का शोषण मिल मालिक उसी रूप में और उसी तरह से करता रहे जिस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था में करता है, यही व्यवस्था यह सरकार सुरक्षित रखना चाहती है या उसमें परिवर्तन करना चाहती है ? मैं समझता हूं कि जहां भी जनतांत्रिक पद्धति होगी, जहां की सरकार या जहां की रूलिंग पार्टी या जहां का सारा वातावरण समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत होगा वहां पर हर व्यक्ति इस बात को मानेगा कि मजदूर की प्राथमिकता मानी जानी चाहिये ।

मजदूर जो है वह सही मानों में मूल्य का उत्पादन करने वाला है और जब इस सिद्धांत को माना जायगा कि वैल्यू इज दि क्रिस्टलाइजेशन आफ लेबर पावर, जो मूल्य उत्पन्न होता है वह क्रियेशन होता है मजदूर का, मजदूर उसको पैदा करता है, इस सिद्धांत को मानने के बाद मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा अपूर्ण विधेयक इस सदन में प्रस्तुत हो ही कैसे सकता है ? माननीय मंत्री जी मुझे बतलायेंगे कि इसकी ऐसी कौन सी धारा है कि जो आज मजदूर के उस हक की हिफाजत करती है, उस अधिकार की हिफाजत करती है जिससे मजदूर समझे कि यह मूल्य जो है उसको हम पैदा कर रहे हैं, हम अपने खून को पसीना बना रहे हैं और हमारी पूंजी, जो श्रम शक्ति है, उससे यह मूल्य पैदा हो रहा है, जो सारे बाजार में बिक रहा है, वह हमारे लिये है और हमारे काम आयेगा और जो मिल मालिक है वह इसके द्वारा हमारा शोषण करके अपना पेट नहीं भरेगा । यह मौलिक उद्देश्य और सिद्धांत आज भी इस विधेयक में कहां स्थान प्राप्त कर पा रहा है ? फिर इस रूप में और गणतंत्र के सातवें वर्ष में जब यह विधेयक प्रस्तुत है तो हमारे लिये उन शब्दों में इस विधेयक का स्वागत करना असंभव और नामुमकिन हो जाता है जिन शब्दों में माननीय पालीवाल जी ने किया ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गई और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आज भी इस विधेयक में जो संशोधन आये हैं और जिस संशोधित रूप में यह विधेयक यहां पर उपस्थित किया गया है, चाहे वह मजदूरों के झगड़ों के निपटारे के संबंध में हो, या कंसीलियेशन आफीसर की या किसी बोर्ड की नियुक्ति के बारे में हों, या मजदूर की परिभाषा के संबंध में हो या मजदूर को नोटिस देने के लिये हो तो मंत्री जी इस विधेयक को देखकर स्वयं ही समझ जावेंगे कि यह दोषपूर्ण है । अगर यह सरकार इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में विश्वास करती है तो क्या वह हमको बता सकती है कि इस विधेयक की किसी धारा में भी इसकी गन्ध है ? सरकार किस प्रकार के यूनियनों को मान्यता देगी, इसकी इसमें कोई चर्चा नहीं है । मजदूर और मिल मालिकों के झगड़े के संबंध में विधेयक में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के मुताबिक मजदूरों के बहुमत रखने वाली संस्था को मान्यता प्राप्त होनी चाहिये । इस सिद्धान्त को प्रतिपादित करने के लिये जब उत्तर प्रदेश में माननीय सम्पूर्णानन्द जी लेबर मिनिस्टर थे और जब वर्क्स कमेटीज बनाने का विधान था और जब उन्होंने कह दिया था कि वर्क्स कमेटी आई० एन० टी० यू० सी० की यूनियन से जो संबंधित होंगी उन्हीं को झगड़े भेजने का अधिकार होगा तो यहां की शुगर इंडस्ट्री में एक सैन्सस कराया गया था । सम्पूर्णानन्द जी ने हमको चुनौती दी थी सारे का सारा मजदूर बहुमत उनके साथ है । मगर सेन्सस में ७६ प्रतिशत मत सरकार के यूनियन आई० एन० टी० यू० सी० के विरुद्ध पड़े और थोड़े से प्रतिशत सरकार से संबंधित यूनियन को पड़े । सरकार ने यह देख लिया कि मजदूरों का विशाल बहुमत सरकारी यूनियन के विपक्ष में गया तो साबित हो गया कि सरकार की नीति गलत थी । जब यह बात साफ हो गई तो उन्होंने साफ कर दिया कि अब हम किसी को भी मान्यता नहीं देंगे । वहां मान्यता देने के सिद्धान्त को खत्म कर दिया गया और वर्क्स कमेटी का भी बनना खत्म हो गया । आज भी मैं चाहता हूं कि सरकार मेरे मत से प्रभावित होकर इसे निश्चय रूप से इस विधेयक में रखे कि वह यूनियन मान्यता-प्राप्त मानी जायगी जिसमें मजदूरों का बहुमत होगा । उसमें अगर कोई टैक्निकैलिटी या बारीकी आये, चाहे वह रजिस्ट्रेशन की हो या कैसी भी हो, वहां जहां बहुमत है और ईमानदारी और सचाई का बहुमत है, उसके रास्ते में बाधक नहीं होनी चाहिये ।

इस विधेयक के अनुसार मैं देखता हूं कि उदाहरण के लिये कानपुर को ही ले लीजिये । कानपुर में समाचार पत्रों में पढ़ने को प्राप्त हुआ था कि वहां की सूती मिल मजदूर सभा के बारे में मुझे तो पता नहीं कि उनका कोई अकाउन्ट गया है या नहीं लेकिन श्रम विभाग से जो सूचना आयी है उससे मालूम होता है कि उन्होंने अकाउन्ट नहीं दिया इसलिये उनका रजिस्ट्रेशन छीना जायगा । अगर उसका रेजिस्ट्रेशन छीन लिया जाता है तो फिर वह दो वर्ष पुरानी संस्था रह नहीं जाती है और इस विधेयक के अनुसार वही संस्था मजदूरों की सही माने में प्रतिनिधि समझी जायगी जो २ वर्ष पुरानी हो लेकिन आज एक मात्र मजदूरों की वह बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था का रजिस्ट्रेशन छीना जा रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि विधेयक की इस त्रुटि को पूरा करने के लिये इसको प्रवर समिति में भेजा जाय और उसको प्रवर समिति में भेजे जाने का वह समर्थन करें, स्वागत करें और इस प्रस्ताव को वह मंजूर करें ।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी जब अपना भाषण कर रहे थे तो उन्होंने सेंट्रल ऐक्ट का हवाला दिया था । यद्यपि वह सेंट्रल ऐक्ट हमारे पास नहीं है मगर सेंट्रल ऐक्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि उसमें जो न्यायालय की व्यवस्था की गयी है उसमें एक जज होगा । मगर

[श्री राजनारायण]

यह सरकार जो विधेयक प्रस्तुत कर रही है उसमें कुछ संशोधन करके कर रही है, उसमें वृद्धि कर रही है और उसके लिये वह धारा ४ (घ) रख रही है, वह इस प्रकार है---

"४-घ---धारा ४--क के अधीन श्रम न्यायालय तथा धारा ४--ख के अधीन औद्योगिक न्यायाधिकरण निर्मित करने के प्रयोजन से राज्य सरकार---

(क) उन सभी व्यक्तियों की एक सूची जो किसी श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये जा सकें, तथा

(ख) उन सभी व्यक्तियों की एक सूची जो किसी औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये जा सकें, बनवायेगी तथा उस सूची को उसमें ऐसे परिवर्तनों (alterations) का समावेश करते हुए, रखेगी जिनकी सूचना धारा ४--ङ के अधीन नियुक्त समिति समय-समय पर प्रस्तुत करे।"

इतना व्यापक अधिकार, सारा का सारा अधिकार, उस समिति को दिया जा रहा है कि समय-समय पर जो चाहे परिवर्तन समिति करती चली जाय। अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार जिसको नियुक्त करेगी उसमें तीन व्यक्ति होंगे। एक व्यक्ति तो अध्यक्ष होगा जो हाई कोर्ट का जज रहा होगा। अन्य दो व्यक्तियों में से एक उत्तर प्रदेशीय सरकार के चीफ सेक्रेटरी होंगे और दूसरे श्रम विभाग के सेक्रेटरी होंगे।

(श्री शिवनारायण के कुछ कहने पर)

यदि माननीय शिव नारायण जी इसको गंभीरता के साथ पढ़ें तो इसकी गुरुता और उसका महत्त्व उनकी समझ में आ जायगा। यह कोई बाढ़ के लिये पैसे का विधेयक तो है नहीं। यह तो अपने प्रदेश में जो लाखों की तादाद में मजदूर हैं, उनका संबंध इस विधेयक से है, प्रान्त के उद्योग और उनको विकसित करने से संबंध रखने वाला यह विधेयक है उस समय बीच में टोककर ध्यान बटाने की बात नहीं होनी चाहिये क्योंकि यदि ऐसा होता है तो वह एक नापाक प्रयत्न माना जायगा।

मैं यह कह रहा था कि उसमें ३ व्यक्ति होंगे। वह कमेटी एक लिस्ट बनायेगी और उस लिस्ट को बनाने में जिस तरह के परिवर्तन वह करना चाहेगी करती चली जायगी और उसके बनाने में एक अध्यक्ष, सरकार द्वारा चुना हुआ और एक चीफ सेक्रेटरी तथा लेबर सेक्रेटरी का हाथ होगा। इस प्रकार इन तीनों आदमियों के रहते हुए पूरे तौर से सारी की सारी ताकत सरकारी हाथों में चली जाती है और यह कमेटी मजदूरों के भाग्य का निबटारा करेगी। माननीय पालीवाल जी ने बहुत ही मुलायम और सुन्दर शब्दों में इसके बारे में सरकार से कहा था कि सरकार प्रवर समिति की बात को मान ले। मगर मैं यहां यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि दो प्रकार की असंगतियां होती हैं। एक तो बेसिक यानी मौलिक असंगतियां जो कि सैद्धान्तिक होती हैं और दूसरी प्रकार की साधारण असंगतियां होती हैं। तो जो साधारण प्रकार की असंगतियां हैं उनके बारे में तो सरकार मुलायम शब्दों से मान सकती है। मगर जहां मौलिक असंगतियां हैं जहां श्रम को सुपीरियर माना जाना चाहिये कैपिटल के ऊपर, सरकार यह मानने के लिये तैयार नहीं है। आगे चलकर सरकार ने इतना बड़ा अधिकार अपने हाथ में लिया है कि अगर मिल के किसी अधिकारी पर कोई असर पड़ेगा तो सरकार उसके बारे में व्यवस्था दे सकती है। इतना बड़ा अधिकार दिया जा रहा है तो ये छोटी-मोटी बातें कुछ हो जाय तो उन छोटी-मोटी बातों से कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हो जायगा। तो उन छोटी-मोटी बातों के लिये गणतन्त्र के सातवें वर्ष में जो यह-विधेयक प्रस्तुत हुआ है और जिसकी बराबर चर्चा की गयी है कि सरकार एक ऐसा पूर्ण विधेयक लायेगी जिससे मजदूरों की आज की जो परेशानियां और मुसीबतें हैं

वे भविष्य में नहीं आ पायेंगी। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस सदन में बराबर आश्वासन देने के बावजूद भी उस आशा को निराशा में परिणत करने का प्रयास किया और कुछ नहीं है।

श्रीमन्, मैं इसका विरोधी हूं और मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कोई कमेटी बने और इस तरह की कोई कमेटी सरकार के हाथ में हो तथा उसी तरह से सरकार एक ट्रिब्यूनल बनावे ताकि न्याय करने वाली कमेटी बैठा दी जाय। इसके साथ-साथ मैं यह जानना चाहता हूं कि जब-जब इस सदन में चर्चा हुई है श्रमिकों और मिल मालिकों के सम्बन्ध में तब-तब इस बात को मान लिया गया है कि जितने झगड़े जिनको कंसीलिएशन बाडी हल नहीं कर पाती उसमें सरकार जिसको चाहेगी उसको भेज देगी। ट्रिब्यूनल में इसको जाना चाहिये या नहीं जाना चाहिये उसको वही तय करेगी। श्रीमन्, इस तरह के जितने प्रश्न और उत्तर हुए है, मुझे जहां तक याद है यह बात साबित हो चुकी है कि करीब-करीब ८०, ८५ फीसदी ऐसे झगड़े होते है जिनको सरकार नहीं भेजती है। और उन झगड़ों से मजदूरों का अहित होता है, उनका नुकसान होता है, उनके हकों पर कुठाराघात होता है। आज भी वही व्यवस्था आप पेज ११ पर ४--ट देखेंगे :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब विवाद किसी ऐसे विषय से सम्बद्ध हो जो द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट हो और उससे एक सौ से अधिक मजदूरों पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे, उसे श्रम न्यायालय को अभिदिष्ट कर सकती है।"

इस तरह से राज्य सरकार सब जगह अधिकार अपने हाथ में अक्षुण्ण बनाये रखना चाहती है। अगर आप ऊपर देखें तो उसमें लिखा हुआ है--

"४--ट--जब राज्य सरकार की राय में कोई औद्योगिक झगड़ा विद्यमान हो अथवा उसकी आशंका हो तो वह किसी भी समय लिखित आज्ञा देकर उस झगड़े को, अथवा उससे सम्बद्ध अथवा संगत प्रतीत होने वाले किसी भी विषय को निर्णय के लिये, यदि औद्योगिक झगड़े का विषय उन विषयों में से एक हो जो प्रथम अनुसूची में उल्लिखित है तो किसी श्रम न्यायालय को और यदि वह विषय प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हो तो उसे किसी न्यायाधिकरण को सौंप सकती है।"

पूरा का पूरा अधिकार सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। राज्य सरकार मजदूरों को क्या अधिकार देने जा रही है, यह जरा सोचने की बात है। यह सीधी बात है कि गवर्नमेंट समझती है कि हर जिले में मिल मालिक मजदूरों के अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं, फिर भी उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। जहां तक कमेटी में किसी झगड़े को ले जाने की बात है, अगर कमेटी में कोई मामला जाय तो सरकार जिसको चाहे उसको भेज सकती है और जिसको चाहे न भेज सकती है। किसी भी स्टेज पर राज्य सरकार जैसा चाहे वैसी व्यवस्था दे सकती है। इस विधेयक में भी इसी तरह की व्यवस्था की गयी है।

मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिये और जनहित में मजदूरों के हक सुरक्षित रहने चाहिये। अगर मजदूरों के हक सुरक्षित नहीं होते हैं तो यह सरकार मजदूरों के हित का प्रतिपादन नहीं करती है। श्रीमन्, अगर इस धारा ४ (ञ) को देखा जाय तो वह इस प्रकार है--

"जब राज्य सरकार की राय में औद्योगिक संस्थाओं (Establishments) के किसी वर्ग पर अथवा किसी औद्योगिक संस्था में नियुक्त मजदूरों के किसी वर्ग पर धारा ४--झ के उपबन्धों के लागू होने से, तत्सम्बंधित मालिकों पर ऐसा प्रतिकूल प्रभाव पड़े जिसका कि सम्बन्ध उद्योग पर गम्भीर दुष्परिणाम हो सकता हो और साथ ही सार्वजनिक हित में ऐसा करना

[श्री राजनारायण]

आवश्यक हो तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, आदेश दे सकती है कि उक्त धारा के उपबन्ध औद्योगिक संस्थाओं के उस वर्ग पर अथवा किसी औद्योगिक संस्था में नियुक्त मजदूरों के उस वर्ग पर लागू न होंगे अथवा ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये लागू होंगे जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट कर दिये जायं।"

इसका क्या मतलब है ? मैं जरा आपके सामने इस प्वाइंट को साफ़ करने के लिये एक उदाहरण दे दूं। सब को मालूम है कि अभी वाराणसी की काटन मिल के बारे में चर्चा चली, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में भी पत्र लिखा, उद्योग मंत्री जी की सेवा में भी पत्र दिया, वहां ७ लाख रुपया मजदूरों का बकाया है, ६ लाख के क़रीब सरकार के टैक्स का पैसा बाक़ी है और १० लाख रुपया इधर-उधर का महाजनों का बकाया है, जो शेयर होल्डर्स ने ठप कर दिया है। इस सब के बाद जब मजदूरों ने कहा कि हम मिल को चलायेंगे और मजदूरों ने ३ मास तक उस को चला कर भी दिखा दिया और बिना किसी पूंजीपति या सरकार की मदद के काम चलता है तो बीच में ही उस में अड़ंगेबाजी डाली जाती है और अब जो आधी मिल चलाने का जो लाइसेंस दिया गया है उस से सवा लाख रुपया प्रतिमास का नुक्सान सरकार का हो रहा है टैक्सेज का, मैंने पूरा हिसाब लगाकर देखा है।

(इस समय ४ बजकर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैंने माननीय उद्योग मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी और अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। ऐसी परिस्थिति में सरकार की ओर से कौन से ऐसे कदम उठाए गए हैं जो जनहितकारी हों या मजदूर हितकारी हों।

जब भी सरकार की ओर से कोई कदम उठाये जाते हैं तो वे मिल मालिक हितकारी होते हैं और जनहितकारी या समाज हितकारी नहीं होते, मजदूर हितकारी नहीं होते। इसलिये यह जो व्यापक अधिकार सरकार इस बिल के द्वारा ले रही है वह सरकार को नहीं लेने चाहिये, उन के गुण दोष का विवेचन होना चाहिये या उसके लिये कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जिससे मजदूर और उनकी जो प्रतिनिधि संस्थायें हैं उनको आभास और विश्वास हो और वह समझें कि यह हमारे हित के लिये किया जा रहा है। परन्तु ऐसा है नहीं। इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था हो कि जिसमें मजदूरों की संस्थाओं का प्रतिनिधित्व हो और उसमें उनके हितों के सम्बन्ध में एक परिस्थिति पैदा हो, हमें उनके असोसियेशन्स और संस्थाओं की राय लेनी चाहिये. जैसा कि पालीवाल जी ने कहा कि सरकार सिद्धान्त की बात करती है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि सरकार ने इस समय जो अधिकार प्राप्त किये हैं उनका वह दुरुपयोग न करे। सरकार तो वही अच्छी होगी जो अपनी शक्ति का बटवारा करेगी और जनता को उस शक्ति में भाग देगी, उसी को हम समाजवादी या जनतांत्रिक सरकार कह सकते हैं, उसी को डिसेन्ट्रेलाइजेशन आफ़ पावर या विकेन्द्रीकरण शक्तिका कह सकते हैं। अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हर बिल में हर मसले पर सरकार अधिकार लेती रहेगी और स्वयं ही सर्वेसर्वा बनी रहेगी तो यह उचित न होगा, ऐसा करने से तो अनर्थ ही होगा। इसलिये इस धारा ४-ए के सम्बन्ध में मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह हमारे दृष्टिकोण को माने और इसमें ऐसे संशोधन की व्यवस्था करें जिससे कि अगर कहीं ऐसी परिस्थिति पैदा हो जो सरकार समझे हो सकती है उसमें वहां के मजदूरों की भी सम्मति हो, मजदूरों के प्रतिनिधियों की भी सम्मति हो।

श्रीमन्, अगर आगे देखा जाय तो इस विधेयक के अन्दर जो औद्योगिक झगड़े से तात्पर्य बतलाया गया है, जो मजदूर की परिभाषा की गई है उस सम्बन्ध में भी मैं यह निवेदन करूंगा कि यह छटनी का सवाल है। अगर सरकार की ओर से संशोधित विधेयक आया है तो उस संशोधित विधेयक में ऐसी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये जिसमें मजदूरों की छटनी न हो। मजदूरों की छटनी हो तो उस रूप में मजदूर की छटनी हो पाये जब कि उसको आल्टरनेटिव

वर्क मिले। श्रीमन्, बारबार समाज हित, मजदूर हित, मिलमालिक हित की बात कही जाती है। इस हित में सभी हित आ गये लेकिन देश का हित जहां सरकार देखती है वहां देश का हित इसी बात में न सोचे कि रेशनेलाइजेशन करने से मजदूर कम लगता है और उससे छटनी होना अवश्यम्भावी है। इसी नीति पर वह न चले। अगर आज आप अपने देश को बनाना चाहते हैं, अपने देश का निर्माण करना चाहते हैं और सही मानी में हम आर्थिक व्यवस्था को समझ सकते हैं तो जो बड़े पैमाने पर बेकारी बढ़ती जा रही है क्या यह बेकारी का होना आर्थिक समस्या नहीं है? क्या बेकारों को काम देना आर्थिक समस्या नहीं है? इसलिये छटनी पर रोक लगाना चाहिये। कहां है इस विधेयक में ऐसा प्राविजन जो छटनी को रोक सके और मनमाने रूप से रेशनेलाइजेशन के नाम पर वह छटनी न हो पाये।

उसी के साथ-साथ, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूं कि जब यह प्रवर समिति में जा ही रहा है जैसा कि माननीय मंत्री जी के संकेतों से मुझे आभास होता है जो यह संशोधन हैं वे इसे स्वीकार करने जा रहे हैं, मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो तीन चार बातें मैंने उनकी सेवा में रक्खीं--एक तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के सिद्धान्त को जरूर अपनाया जाय। मजदूर के हित में, उसकी सुरक्षा के लिये व्यवस्था इसमें अवश्य होना चाहिये। अनियंत्रित छटनी को रोकना चाहिये। उनकी मजदूरी के लिये, उनके बोनस और उनके जितने झगड़े हैं उन सब में हमको मजदूरों का ज्यादा ख्याल हर समय पर करना चाहिये और इस दृष्टिकोण से करना चाहिये कि मजदूर के साथ न्याय होना है। केवल कानून में यह न लिखा हो कि हम न्याय करने के लिये यह बात रख रहे हैं बल्कि मजदूर को यह आभास हो कि मेरे साथ जो कानूनी कमेटियां बनी हुई हैं हमारे झगड़े के निबटारे के लिये वे न्याय कर रही हैं और उन्होंने न्याय किया है। ऐसी व्यवस्था मुझे इस विधेयक में नहीं मिल रही है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जरूर यह प्रवर समिति को भेज दिया जाय जो इसके स्कोप को भी बढ़ा सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय पालीवाल जी के संशोधन को अवश्य स्वीकार करें।

*श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन के सामने उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा विधेयक है। मैं भी इससे सहमत हूं कि यह झगड़ा शब्द जरा खटकता है और इसे आगे संशोधन में अगर सरकार मान ले और विवाद शब्द रख दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन इस समय तो मेरे मित्र पालीवाल जी ने जो प्रस्ताव रक्खा है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। विरोध करने के लिये इसलिये नहीं कि वह सिलेक्ट कमेटी में न भेजा जाय बल्कि विरोध इसलिये कर रहा हूं कि यह बिल यदि शीघ्र से शीघ्र इस सदन से पास न हुआ और यदि केन्द्रीय सरकार से अपने ऐक्ट को लागू कर दिया तो यह बिल रह जायगा। और इससे जो हमारे यहां के श्रम विभाग में आये हुए मजदूरों के मुकदमें हैं वह और श्रम विभाग के वह काम करने वाले जिनको कंसीलिएशन आफिसर कहा जाता है वह बिलकुल बेकार से हो जायेंगे। ऐसी दशा में मैं यह चाहता जरूर हूं कि इस विधेयक पर सदन को काफी समय दिया जाय और इसके एक एक क्लाज को यहीं पर काफी विस्तार में और विचार के साथ उसमें जो अमेंडमेंट आएं उनको सरकार देखे और जहां आवश्यकता समझे वहां स्वीकार करे। जहां इस तरह की आवश्यकता हो कि यह केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखता है वहां इस सदन की आवाज को लेबर मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में या अलग से केन्द्रीय सरकार के सामने जाना चाहिए ताकि केन्द्रीय सरकार आगे चल कर इसमें जो संशोधन करे उसमें हमारी भावनाओं का भी ख्याल रखे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी]

अध्यक्ष महोदय, हमसे पहले हमारे कुछ मित्रों ने जिस विषय पर अपने विचार जाहिर किये हैं पहले मैं उसी विषय को लेता हूं। इस सदन में बराबर यह एक धारणा सी रही है कि मजदूरों के संबंध में हम सब लोग चाहे वह सरकार के पक्ष के हों, चाहे वह विरोधी दल के रहे हों एक ही राय रखते थे। लेकिन मैंने यह देखा कि बावजूद इसके कि हम लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं हमारे मित्र जब कभी मौका पाते हैं तो कोई न कोई ऐसी बात जरूर उठायेंगे जो कि मजदूर आन्दोलन में एकता लाने के बजाय उसमें कुछ अलगाव सा हो जाता है। अभी-अभी हमारे मित्र ने यह बताया कि वर्क्स कमेटियां क्यों नहीं चल पायीं और उसमें आई० एन० टी० यू० सी० की मान्यता कैसे टूट गयी। उन्होंने आधी बात तो कही और आधी बात नहीं बतायी। किन्हीं कारणों से सही, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। विजय प्राप्त करके आये और बटवारे का सवाल आया। अध्यक्ष महोदय, किसी चीज को प्राप्त करना आसान है लेकिन सत्ता रखना मुश्किल है। उस बटवारे के समय उन वर्क्स कमेटियों में किस दल के कितने आदमी जायं इसमें झगड़ा हुआ और वह झगड़ा आज तक नहीं निबटा और बराबर चला जा रहा है। यही कारण था कि इस प्रांत की वर्क्स कमेटियां इस समय तक काम न कर सकीं। उस बात को न कह कर, अपनी कमजोरी को न बतला कर केवल सरकार पर इस तरीके का लांछन लगाना मेरी समझ में उचित नहीं। उसका कारण क्या है यह एक ऐसी प्रचलित बात है कि रास्ते चलने वाला मजदूर जिसने मजदूर आंदोलन का क, ख, ग, घ भी नहीं पढ़ा है वह जानता है कि किन कारणों से वर्क्स कमेटियां काम नहीं कर रही हैं। इसलिये बार-बार उसका दोहराना उचित नहीं मालूम पड़ता है।

सूती मिल मजदूर सभा के संबंध में माननीय श्रम मंत्री जी बात करेंगे। लेकिन इस समय जब कि उन्हें मालूम है कि ६ यूनियनें मिल कर एक संस्था बनाती हैं वह अपने नियम बनाती हैं उन नियमों के अंदर वह निश्चित करती हैं कि हमारा चुनाव फलां-फलां तारीख तक हो जायगा, हमारे यह नियम होंगे। जो उन नियमों को नहीं मानता उसको नोटिस दी जाती है और फिर भी उन नियमों को न माना जाय तो फिर क्या कारण है कि ऐसी संस्थाओं को भी चलने दिया जाय जिनके जरिये नियमों के मानने में दूसरी संस्थाओं पर भी असर पड़ रहा हो।

इसमें शक नहीं है कि इस तरीके की इस विधेयक में भी एक धारा आयी है। वास्तव में वह धारा बहुत ही सोच-समझ कर लायी गयी है। लेकिन साथ ही साथ उस धारा से कई फायदे और कई नुकसान भी होंगे। ट्रेड यूनियन ऐक्ट में कमी है और वह यह है कि कोई भी सात व्यक्ति बैठ कर कोई भी ट्रेड यूनियन बना सकते हैं और उसे रजिस्टर करा सकते हैं। आज हालत यह हो गयी है कि हमारे श्रम विभाग की अगर रिपोर्ट देखी जाय तो ट्रेड यूनियनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। उसका कारण यह है कि हम चार आदमी एक साथ काम कर रहे हैं। किसी मामूली सी बात पर मतभेद हुआ और हमने दूसरी संस्था बनायी और सात आदमी मिल जाना कोई ऐसी बात नहीं है और दूसरी संस्था बना कर के हमने अपना काम शुरू किया। अध्यक्ष महोदय, यदि कोई रचनात्मक कार्य किया गया होता, कोई वेलफेयर का कार्य किया गया होता तो मैं इस तरह की संस्थाओं का स्वागत करता। लेकिन इस तरह की संस्थायें केवल इसलिये बनती हैं कि वे मुकदमेबाजी करें, अधिक से अधिक मुकदमों में मजदूरों को फंसायें और स्वयं लाभ उठायें।

ऐसी दशा में आवश्यकता इस बात की है कि ट्रेड यूनियन ऐक्ट में अमेंडमेंट किया जाय। लेकिन वह सेंट्रल सब्जेक्ट है। कई बार आपकी अध्यक्षता में मैंने यहां विचार प्रकट किये कि प्रांत की सरकार को उसके संबंध में एक बिल लाना चाहिये। पता नहीं प्रांतीय सरकार किन कारणों से उसका अमेंडमेंट नहीं कर सकी। लेकिन इस समय इससे यह हो गया कि कम से कम

जो संस्थायें केवल मुकदमेबाजी के लिये बनती हैं उन संस्थाओं का बनना बन्द हो जायगा। लेकिन साथ ही साथ उनके किसी कार्य में रुक.वट नहीं पड़ती। मान लीजिये जगन्नाथ मल्ल जी ने कहा, एक फैक्ट्री खुलती है उसकी यूनियन बनती है वह यूनियन कैसे अपने केसेज को कोर्टों के सामने ले जायगी ? दो साल से कम है और चूंकि दो साल से पहले फैक्ट्री कायम नहीं हुई ऐसी दशा में यूनियन कार्य नहीं कर सकती। मेरे मित्र को मालूम होना चाहिये यदि उस व्यवसाय की कोई फेडरेशन है तो वह उस मजदूर के केस को ले सकती है और अदालतों के सामने रख सकती है, ऐसी दशा में उसकी कोई हानि नहीं है। कहीं अगर उसकी रोक हुई तो मुकदमे में जाने के लिये बाकी सारा का सारा कार्य वह यूनियन कर सकेगी।

इसी तरह से एक दिक्कत और है। ट्रेड यूनियन में कार्य करने वाले मित्रों ने सरकार का ध्यान यदि उस तरफ आकर्षित किया होता तो शायद ज्यादा हित हुआ होता। उसी क्लाज में आगे चल कर यह कहा गया है कि उन मजदूरों को सुरक्षित मजदूर समझा जायगा जो किसी ट्रेड यूनियन के आफिस बेयरर्स होंगे। और उसी के साथ-साथ यह भी कहा गया ऐसी संख्या १०० तक हो सकती है। आगे और कहा गया कि १०० आदमी पर एक आदमी। अध्यक्ष महोदय, एक दिक्कत हमारे सामने है और वह यह है कि अभी तक हमारी सरकार का एक नारा था। हमारे श्रम मंत्रियों ने यह बराबर कहा कि एक इंडस्ट्री में एक ही यूनियन होनी चाहिये। बात भी ठीक थी लेकिन आज हर मिल में जिन ५ आफिस बियरर्स को आप ऐग्जेम्पट करने जा रहे हैं वे एक मिल के तो नहीं होंगे। नतीजा यह है कि वे आफिस बीयरर एक मिल में सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। नतीजा यह होगा जिसके लिये आप यह करने जा रहे हैं कि ट्रेड यूनियन्स ज्यादा न फैलें और ऐसी ट्रेड यूनियन्स न फैलें जिनका कोई अस्तित्व ही न हो, वे बढ़ेंगी। इसलिये कि इस ऐक्ट के अनुसार हमको हर मिल में एक यूनियन बनानी पड़ेगी और उसके आफ़िस बीयरर्स को ऐगजेम्प्ट कराना पड़ेगा। इसलिये जरूरत इस बात की है .....

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है। पांचवीं बार कोरम का अभाव है। आप से प्रार्थना करूंगा कि आप सदन स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष---बस अब की दफ़ा देखेंगे। अगर फिर गड़बड़ हुई तो मैं सदन का कार्य स्थगित कर दूंगा।

(घंटी बजायी गई और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष---इस बात का विचार रहे कि अब अगर घंटी बजाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उठ जायंगे।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस बिल की इस धारा से ट्रेड यूनियन्स अधिक बनानी पड़ेंगी। मैं यह भी बता रहा था कि हर मिल में यदि हमारे आफिस बीयर्स ऐगजेम्प्ट किये गये तो हमें हर मिल की यूनियन बनानी पड़ेगी और हर मिल की यूनियन बनाने से संख्या बढ़ जायगी। फिर सरकार की वह नीति कि एक इंडस्ट्री में एक यूनियन, सफल नहीं होगी। इसलिये ऐसी दशा में यदि इस प्रकार का कोई संशोधन आये तो सरकार को उसे स्वीकार करना चाहिये कि कोई सेंट्रल आर्गेनाइजेशन, यदि कोई एक इंडस्ट्री की एक यूनियन है तो वह यूनियन उन कारखानों में, उस इंडस्ट्री में अपना रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर कर सके और वह रिप्रेजेंटेटिव आफ़िस बेयरर समझा जाय ताकि तमाम यूनियन्स न बनके हर मिल में वह रिप्रेजेंटेटिव रहे और वह सुरक्षित मजदूर समझें जायं।

इसी तरीके की एक दूसरी बात मुझे जो कहनी है वह यह कि इस ऐक्ट के द्वारा सरकार ने बहुत सी चीजें हमें दीं लेकिन बहुत सी चीजें हमारे हाथ से छिन भी गयीं। इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल उद्योगीकरण का जमाना है और उद्योगीकरण के समय मजदूरों के सम्बन्ध में

[श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी]

चाहे जितने ऐक्ट बनाये जायं कुछ न कुछ कमी उसमें रह ही जाती है और उसी तरीके से इस ऐक्ट में भी कमी रह गयी है। इस ऐक्ट में जहां हम यह अधिकार देते हैं कि लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनें, उनके जो अधिकारी हों वे जजेज हों, वहीं पर हम यह भी अधिकार देते हैं हमारे जो कंसीलिएशन आफिसर्स हैं उनको भी वही अधिकार मिलने चाहिए। बात बिलकुल ठीक है लेकिन एक चीज का खयाल हमेशा रखना चाहिये कि इसके जो सभापति होंगे वह हाई कोर्ट के जज होंगे या जुडिशियल कार्य करने वाले होंगे और उसी के साथ-साथ हमारे जो कंसीलिएशन आफिसर्स होंगे वह हमारे लेबर सर्विसेज के आदमी होंगे, उन लोगों को भी वही अधिकार दिये जायेंगे जो उन जजेज को दिये जायेंगे। ऐसी दशा में एक बात का ध्यान सरकार को रखना चाहिए कि उनका वेतन और उनकी सुविधायें भी उसी प्रकार की उन्हें कर देनी चाहिए जैसा कि जजेज को हों ताकि वह अपना कार्य सुचारु रूप से, सुविधाजनक और निष्पक्ष ढंग से कर सकें जिससे कि मजदूरों को लाभ हो। यदि यह न किया गया तो मुझे शक है कि मजदूरों का हित कहां तक हो सकेगा।

इस के बाद जो एक सुविधा दी गई है वह यह दी गई है कि यदि मजदूर बीमार हो या किसी दुर्घटना में उस को चोट लग गयी हो या उस हड़ताल में वह शरीक हो जो कि कानूनी है या लाक अप कर दिया गया हो तो उस मजदूर की सर्विस खंडित नहीं समझी जायगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, उसी के बाद एक और पैरा जोड़ दिया गया और वह यह कि कुछ मिलों में, खासतौर से कानपुर की बात मैं अगर कहूं कि कानपुर में परमानेंट वर्कर के साथ-साथ एवजी में काम करने वालों की संख्या भी काफी है और उस एवजी में काम करने वालों को इम्प्लायर्स बराबर इस बात की कोशिश करते हैं कि २४० दिन काम उनको न मिलने पाये। इस ऐक्ट में यह कहा गया है कि उनको २४० दिन काम किया हुआ हो। तो जहां इम्प्लायर्स का यह रवैया हो कि उनको २४० दिन काम करने का मौका ही नहीं देते हैं वहां हजारों मजदूरों पर इसका असर ठीक नहीं पड़ेगा। इसलिये ज्यादा अच्छा हो कि माननीय श्रम मंत्री जी इसकी दो तीन लाइन्स को जो नीचे की हैं उनको निकाल दें तो यह बड़ी अच्छी धारा होगी और वास्तव में इससे मजदूरों का हित होगा।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—कौन सी धारा है?

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—यह है धारा २३ (२) अनवरत सेवा और किसी ऐसे मजदूर के सम्बन्ध में जिसने १२ महीने के अवधि में २४० दिन तक वास्तव में काम किया हो तो परमानेंट के लिये तो आप कह सकेंगे लेकिन टेम्पोरेरी मजदूर के लिये जिसको काम देने का अधिकार मालिक को हो, उसको इससे बड़ी हानि होगी।

इसी प्रकार से काम बंदी का प्रश्न है। इसके लिये आप यह कह रहे हैं कोयले की कमी, कच्चे माल की कमी होने पर अथवा स्टाक जमा हो जाने पर या मशीन के टूट जाने पर काम बन्द हो सकता है तो यह आप का कहना ठीक है लेकिन आगे आपने कहा है कि मिल मालिक अन्य कारणों से काम देने में असमर्थ रहे तो यह एक ऐसा कारण है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मालिक कुछ भी कारण कह सकता है। इससे ज्यादा अच्छा हो और हमें यदि मालिक और मजदूरों के झगड़ों को कम करना है तो अधिक विस्तार के साथ परिभाषायें करनी चाहिये और जितने विस्तार के साथ परिभाषायें की जायंगी उतनी ही सहूलियत होगी और मुकद्दमे बाजी कम होगी और मिल मालिक तथा मजदूरों के संबंध अच्छे होंगे। इन नीचे की लाइनों को निकाल देने से मजदूरों का हित होगा और नहीं तो बड़ा अहित होगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप आम उसूल को ही कहें। हर एक खंड को न लें।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—अध्यक्ष महोदय, मैं जनरल डिसकशन ही कर रहा हूं। लेकिन आपके आने से पहले इन सब चीजों पर बहस हुई है इसलिये मैं ले रहा था, लेकिन अब आपकी आज्ञानुसार नहीं लूंगा ।

एक जगह पर आता है कि जो भी मुकद्दमे जायंगे उनको भेजने का अधिकार श्रम विभाग के अधिकारियों को होगा। अभी तक हम सब लोगों के चाहे किसी दल के हों हमारे मुकद्दमे साधारण कोर्ट में नहीं जाते हैं बल्कि श्रम विभाग में उन पर विचार किया जाता है और अगर वह उचित समझता है तो भेजे जाते हैं। मैं समझता हूं कि इस ऐक्ट के बाद यह चीज खत्म होनी चाहिये। इसकी वजह यह है कि जो मुकद्दमे जाते हैं उनकी अपील ट्रिब्यूनल को होती है, कांसीलियेटरी बोर्ड और उसके बाद ऐडजूडिकेटर और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास हो सकती है और यदि लड़ाई खत्म न हुई तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जायं। लेकिन इस ऐक्ट में यह अधिकार दिया है कि एक ही कोर्ट जिसे वह चाहेंगे ले जायेंगे और उसका जो भी फैसला होगा वह अंतिम होगा। मेरा खयाल यह है कि आपको मजदूरों को अधिकार देना चाहिये कि वह इस अदालत में अपने मुकद्दमें ले जा कर न्याय पा सकें और जो भी फैसला हो वह माना जाय।

आगे चल कर आप कहते हैं कि फैसले पर भी सरकार का अधिकार होगा कि जिस फैसले को वाहे सरकार कार्य रूप में परिणत करने देगी और जिसको चाहेगा नहीं करने देगी। यह ठीक है कि बहुत सी ऐसी मिसालें हो सकती हैं जो हमारे हित में हों और बहुत सी मालिकों के हित में हो सकती हैं। हमारे श्रम मंत्री जी ने कहा कि दो मामले ऐसे आये जिसको सरकार ने माडीफाई किया जो मजदूरों के हित में थे। मैं पूछूंगा कि वह बतलायें कि मिल मालिकों के कितने मामले ऐसे आये जिनको आपने लागू नहीं किया। मेरे खयाल से ऐसे मामले हमारे सामने नहीं आयेंगे और मैं आशा करता हूं कि यदि श्रम मंत्री जी उनकी संख्या बतलाने की कृपा करें तो ज्यादा अच्छा है।

इसके साथ-साथ मालिक को यह अधिकार है कि यदि वह अपनी मिल किसी दूसरे मालिक को दे देता है तो वह जो भी ऐग्रीमेंट करे उसके अनुसार मजदूर को मानना होगा। आप उसी में यह भी कहते हैं कि उस मजदूर को अगर वह मालिक बराबर रखे तब तो प्ले आफ का पैसा देगा और अगर न रखे तो उसको छटनी पर जो मिलना चाहिये वह दे। लेकिन कहीं इसमें यह नहीं आया कि जब एक मालिक दूसरे मालिक को उस फैक्टरी को दे तो उसमें एक शर्त यह जरूर होनी चाहिये कि उस मजदूर का जो भी पिछला लेना देना है वह मालिक उसको देने का जिम्मेदार होगा। इसमें एक शंका है और वह बहुत बड़ी शंका है। मान लीजिये कि एक मालिक एक फैक्ट्री लेता है, दो तीन वर्ष तक वह बराबर उन्हीं मजदूरों को रखे रहता है और उनके ऊपर कोई ऐक्शन नहीं लेता। तीन वर्ष बाद वह कहता है कि अब इन मजदूरों को हम अलग करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मजदूर यह मांग करेंगे कि हमको छटनी का पैसा मिलना चाहिये। मालिक यह कहेगा कि तीन वर्ष का तुम्हारा कार्य है इसलिये तीन वर्ष का पैसा हम देते हैं लेकिन जो तीन वर्ष तुमने कार्य किया है उसका जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं पिछले मालिक से लो। लेकिन पिछले मालिक का कहीं पता नहीं है तो ऐसी अवस्था में आवश्यकता इस बात की है कि इसमें आप एक क्लाज यह जरूर जोड़ें कि कोई भी मालिक अपनी फैक्ट्री को दूसरे मालिक को हस्तान्तरित करते समय मजदूरों के अधिकारों को सुरक्षित रखेगा और उनकी सारी जिम्मेदारियां दूसरे मालिक पर उसी तरह होंगी जैसे कि पहले मिल मालिक पर थीं। यदि आप इसे जोड़ देंगे तो मजदूरों को बड़ी भारी सुविधा हो जायगी।

इसके अलावा प्ले आफ में ४५ दिन का पैसा आप देते हैं। अगर किसी फैक्ट्री में काम नहीं है और वह उस आदमी को प्ले आफ करे तो ४५ दिन का पैसा देगा। लेकिन ४५ दिन के पैसे देने के बाद आप उसको इशारा करते हैं इसी विधेयक में—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन पड़ने वाले किसी मामले में किसी भी मालिक के लिये यह बंध होगा कि कामबन्दी के प्रथम पैंतालीस दिनों की

[श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी]

समाप्ति के पश्चात् धारा ६–ढ में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार किसी भी समय मजदूर की छटनी कर दे ।"

अब इतना तो मालिक समझता ही है। आप इसको रख कर उसे यह बताते हैं कि अगर तुम्हारे दिमाग में यह न आ सके तो हम तुमको बतलायें देते हैं कि ४५ दिन तक दो और उसके बाद निकाल दो। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को ऐसी धारा को जोड़ने की क्या आवश्यकता थी ? जरूरत तो यह थी कि आप कहते कि ४५ दिन के बाद यदि वह बराबर मजदूरों को एक दिन काम पर लगा कर पांच दिन के लिये बेकार करता है तो यह नहीं हो सकता। ४५ दिन के बाद मालिक का यह फर्ज हो जायगा कि जिन कारणों से मजदूरों को हटाना पड़ रहा है, उन कारणों को देखे और उसकी पूर्ति करे और अगर पूर्ति नहीं करता है तब इस बात के सोचने की जरूरत है कि राज्य सरकार मजदूरों और फैक्ट्री के हित में क्या करे। यह तो हमारी मंशा नहीं है कि इंडस्ट्री को खत्म करके हम जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री भी रहे और उसके साथ उसके चलाने वाले मजदूर भी रहें। ऐसी दशा में मेरी यह राय है कि मिल मालिक को इस तरह का क्लाज लिख कर बतायें। यह जरा उचित नहीं मालूम होता कि इस तरीके से आप इसमें लिखें।

आप इसमें यह कहते हैं कि कोई भी आदमी जब कोई मामला लेबर कोर्ट में ले जायगा तो लेबर कोर्ट का उस पर विचार करने और उसके बाद उस पर कार्यवाही करने का अधिकार होगा। अब तक पिछले ऐक्ट में यह था कि ३० दिन के अन्दर उनको उस पर विचार करना ही पड़ेगा, लेकिन अब आप अविलम्ब कह रहे हैं, कोई समय निर्धारित नहीं कर रहे हैं, इतने बड़े ऐक्ट को बना कर। आवश्यकता इस बात की है कि आप यह कहें कि जब कोई भी मजदूर अपना केस ले जाता है तो इतने समय के अन्दर उस पर फैसला होगा। सरकार ने तो यह कह दिया कि हम तो ३० दिन के अन्दर विचार करेंगे लेकिन उसने एक अधिकार ले लिया उसके साथ कि ३० दिन के अन्दर अगर कोई फरीक यह कहे कि इसमें ये ये त्रुटियां रह गयी हैं, नतीजा यह होगा कि यह फैसला किसी तरह से बिना समय का निर्णय किये हुये हुआ। उसके बाद वह हमारे भी और मिल मालिकों के भी विरोध में गया। हमने या मिल मालिकों ने यह ऐप्लीकेशन दी कि इसमें यह त्रुटियां रह गई हैं और इसमें यह-यह गलत बातें बता करके गलत फैसला कराया था तो कोर्ट फिर उस पर विचार कर ले। उस पर विचार करने के बाद गवर्नमेंट को भेजे और गवर्नमेंट फिर तीस से साठ दिन के भीतर जैसा गवर्नमेंट कहेगी उन-उन धाराओं को लागू किया जाय। मैं समझता हूं कि यह भी मजदूरों के हित में नहीं है। एक बात यह कि पहले से निश्चय हो और दूसरे यह कि यदि जो फैसला होता है उसको आप तीस दिन के बजाय एक सप्ताह रख दें और उसके अन्दर आप विचार करें कि उसको लागू करना है या नहीं करना है और अगर नहीं करना है तो कारण बतावें और सदन के समक्ष उसको रखें कि किन कारणों से आप उसको नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सदन को यह भी अधिकार दिलावें कि उस पर विचार किया जाय। दो बार इस प्रकार की बातें आयीं, अध्यक्ष महोदय, लेकिन उस पर बहस करने का मौका नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि सदन इस पर विचार करे कि किन कारणों से उसको वापस किया गया था।

एक सवाल और आता है जो मजदूरों के हित में नहीं है। अभी तक यह नियम था कि यदि किसी मिल के खिलाफ कोई मुकदमा अदालत में चलता है तो उस मिल के मजदूर को निकालने के लिये कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन अब आपने यह कह दिया कि नहीं जिस मजदूर पर मुकदमा अदालत में पेश है उसको तो नहीं निकाला जा सकता, लेकिन दूसरे मजदूरों को निकाला जा सकता है। यह हमारे माननीय श्रम मंत्री जी जानते ही हैं कि किसी मुकदमे में सफलता तभी होती है जब कि उसके गवाह जो सामने आवें वह ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ अपने बयान दें। जिस मजदूर के ऊपर मुकदमा चलेगा उसको निकालेंगे नहीं,

लेकिन जो गवाह आते हैं या जो उसके सपोर्ट में आते हैं उसको आप यह कह सकते हैं कि उन्होंने यह कार्य गलत किया। जो मिल मालिकों ने अपने आर्डर्स को सर्टीफाई कराया है उसमें एक स्थान पर है "काम से लापरवाही व गफलत की आदत"। किसी भी आदमी पर यह चार्ज लगाकर आप उसको अलग कर सकते हैं। इसी तरह से "अलग या दूसरे के साथ मिल कर एक आफिसर के उचित या जायज हुकुम को न मानना या गुस्ताखी करना।" अब कोई आदमी कहता है कि मैं जा रहा हूं और वह चला जाय, उससे कहा जा सकता है कि नहीं, तुमने गुस्ताखी की। यह एम्प्लायर्स असोसियेशन के जो स्टैंडिंग आर्डर्स हैं, जो लेबर कमिश्नर ने सरटीफाई किया है और यह रूल्स हैं जिनके जरिये से मजदूर आसानी से निकाला जा सकता है। तो मैं यह कह रहा था कि उस मजदूर का केस सफल नहीं हो सकता जब तक उसको समर्थक उस फैक्टरी में न मिले। इसलिये जरूरत इस बात की है कि इस क्लाज को आप उसी जगह पर रखें कि यदि किसी मजदूर का मुकदमा कोर्ट में है तो उसके सहायक या समर्थक न आ जायं तो आप इतना बढ़ा जा सकते हैं। सेंट्रल ऐक्ट के साथ उनको भी वहीं प्रोटेक्शन मिलना चाहिये जिस तरह से उसको मिलता है जिसका मसला कोर्ट में है।

अभी श्रम मन्त्री जी ने यह कहा कि यह जितनी बातें की गई हैं वह केन्द्रीय सरकार ने कोई कान्फ्रेंस की थी। उसमें सभी तरह के चाहे आई० एन० टी० यू० सी० हो, चाहे हिन्द मजदूर सभा हो और चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो---कहा जाता है कि सभी लोग बैठे और उन्होंने बैठ कर यह एग्रीमेंट किया और उसी आधार पर यह ऐक्ट बनाया गया है। चूंकि वह कागज, वह फाइल हम लोगों के सामने नहीं है इसलिये हम नहीं कह सकते कि उसमें कहां-कहां, क्या-क्या लिखा हुआ है और किस तरह से लिखा हुआ है। लेकिन यदि ऐसा हुआ भी हो तो मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारे प्रान्त में जहां हमें रोजाना इन प्रश्नों पर विचार करना है, वहां आप अपनी रोजाना की दिक्कतों को देखें और देखें कि वास्तव में उनसे मजदूरों का हित होता है या अहित। दूसरे प्रान्तों के लोगों में और हमारे प्रान्त के लोगों में कुछ फर्क है। फर्क यह है कि हमारे यहां ट्रेड यूनियन मूवमेंट चला तो तेजी से लेकिन दुर्भाग्य से वह सब का सब मर गया। उसमें आज चेतना नहीं है लेकिन दूसरे प्रान्तों में ऐक्टों के द्वारा, सरकार के द्वारा उन संस्थाओं को मान्यता दी गई कि जिनकी की सदस्य संख्या कुछ सीमा तक थी।

हम देखते हैं कि हमारे राजनारायण जी ने उस ओर इशारा किया, हम भी चाहते हैं कि इस तरह की संस्थाओं को मान्यता दी जाय और इस तरह की संस्थाओं को मान्यता दे कर ट्रेड यूनियन आन्दोलन को बढ़ाया जाय, लेकिन साथ-साथ इस बात की भी जरूरत है कि केवल सदस्य संख्या पर ही यदि आपने कार्य किया तो बड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत इस माने में होगी अध्यक्ष महोदय, कि जो लोग ट्रेड यूनियन में काम करते हैं वह अवश्य इस बात को जानते होंगे कि किसी मजदूर का झगड़ा हो गया। सुबह वह एक ट्रेड यूनियन का सदस्य बना, लेकिन शाम को समझ में आया कि दूसरी यूनियन उसका झगड़ा आसानी से निबटा सकती है और वह जा कर दूसरी संस्था का सदस्य बन गया। फिर उसने सोचा कि एक तीसरा आदमी जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है वह हमारा मुकदमा बहुत अच्छी तरह से लड़ सकेगा, वह यह सोच कर तीसरी संस्था का सदस्य बन गया। इस तरह की बातें चलती हैं और हर इंडस्ट्री में एक ही नहीं कई ट्रेड यूनियन्स होती हैं। आप केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ही ले लीजिये। उसमें १०,१२ यूनियन्स हैं। तो केवल मेम्बरशिप को ही आप को नहीं देखना होगा और ऐसे नियम बनाने होंगे कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट के लिए किन-किन बातों की आवश्यकता है और वह ट्रेड यूनियन उन बातों को पूरा करती है या नहीं। अगर वह उन बातों को पूरा करती है तो उसको आपको रिकगनाइज करना चाहिये और उसको देखना चाहिये। मैं इसके विस्तार में जाने को तैयार हूं कि किन-किन बातों की ओर ध्यान देना इस सिलसिले में हमारे लिये आवश्यक है, लेकिन चूंकि अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि यह बाद में आयेगा इसलिये मैं उसके लिये बाद में ही कहूंगा।

[श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी]

इसी तरीके से इस ऐक्ट में यह भी कहा गया है कि इस झगड़े के संबंध में किसी भी दुर्व्यवहार, तो दुर्व्यवहार शब्द की व्याख्या मैंने कर दी। यह एक ऐसा शब्द है कि यदि आप इसको यहां से निकाल देंगे और उसके स्थान पर "केवल ऊपर लिखे झगड़े के संबंध" आदि शब्दों को रखेंगे तो जिस झगड़े से उस मजदूर का संबंध है उसी को लेकर एक आदमी निकाला जा सकेगा या उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। मसलन मैं निकाला गया, इसलिये कि मैंने एक अफसर का कहा नहीं माना, तो मेरे खिलाफ उस कसूर के अलावा और कोई कार्यवाही न हो सके, जैसे जो बोनस मुझे मिलने वाला है या जो दूसरे अधिकार मुझे मिलने वाले हैं वह सब खत्म नहीं होने चाहिये। बोनस मिलना चाहिये, दूसरे अधिकार मुझे मिलने चाहिये। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस कार्य के लिये मैं निकाला गया उसके लिये तो मेरे ऊपर कार्यवाही हो लेकिन मेरे जो पुराने किये हुए कार्य हैं उन पर कोई आंच न आनी चाहिये।

यह मेरे थोड़े से सुझाव हैं कि जिनको मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी मान लेंगे और इतना समय जरूर देंगे ताकि हम लोग अपने सुझावों को उनके सामने रख सकें और मुझे आशा है कि यह जो शंका माननीय मंत्री जी ने कर दी कि आप लोग जो अमेंडमेंट दें वह इस बात का खयाल रख कर दें कि केन्द्रीय सरकार का यह ऐक्ट है, यदि वह उसके अनुसार न हुए तो मानने में दिक्कत पड़ेगी। मैं समझता हूं कि अगर केन्द्रीय सरकार के ऐक्ट द्वारा उत्तर प्रदेश के ऐक्ट में संशोधन किया जा सकता है, इन अमेंडमेंटों को बढ़ाया जा सकता है——जो कि प्रान्तीय सरकार कर रही है तो प्रान्तीय सरकार भी अपने सुझाव उसको दे सकती है। अपने यहां की परिस्थिति आदि को देखकर और उसके सुझाव के अनुसार केन्द्रीय ऐक्ट में भी सुधार हो सकते हैं और इसलिये प्रान्तीय सरकार इन चीजों को अपने ऐक्ट में जरूर रखे

प्रान्तीय सरकार ने अध्यक्ष महोदय, बड़ी ही आसानी से इसमें एक बात को कुछ छिपाया और वह यह है कि सारे ऐक्ट को बना डाला और इसके खिलाफ अगर मजदूर जाता है तो वह तो नौकरी से निकाल दिया जायगा लेकिन अगर इसको मिल मालिक नहीं मानता है तो उसके लिये इसमें कहीं कुछ नहीं किया गया है कि उसको क्या किया जायगा। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं सरकार से कि मिल मालिक अगर इसको नहीं मानता है तो आप उसको कहिये कि तुम्हारी फैक्टरी छीन ली जायगी, तुम को सजा दी जायगी, तुमको जुर्माना किया जायगा। उनके लिये भी आप कुछ कहें। मुझे आश्चर्य है इस ऐक्ट को देख कर कि आचार्य जी जैसे विद्वान् श्रम मंत्री ने, जिन्होंने लेबर इन्क्वायरी कमेटी में रह कर जाना है कि मालिक किस तरह से व्यवहार करते हैं, मिल मालिक के लिये कुछ नहीं किया कि उन पर हम क्या कार्यवाही करेंगे यदि वह इस ऐक्ट को नहीं मानते हैं। मैं समझता हूं कि यह अधूरा ऐक्ट है और इस को पास करना उचित नहीं होगा। ऐसी हालत में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसके लिये दो दिन के समय को और बढ़ाया जाय ताकि इसमें अच्छी तरह से अमेंडमेंट किये जा सकें।

*श्री परिपूर्णानन्द वर्मा——मान्यवर, इस सदन में जो विधेयक माननीय श्रम मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरा कुछ ऐसा ख्याल है कि जहां तक श्रमिकों की सेवा का संबंध है सम्भवतः सब से अधिक हममें से अधिकारपूर्ण माननीय सूर्य प्रसाद अवस्थी जी कुछ कह सकते हैं, मगर मैं भी थोड़ा बहुत तो इस विषय में कह ही सकता हूं इसलिये कि मेरा भी, और कुछ नहीं तो आई० एन०टी० यू० सी० से थोड़ा संबंध है और उसके एकाध यूनियन का मैं भी कुछ अध्यक्ष तो हूं ही। इस विधेयक की मूल वस्तु यह है कि भारत सरकार ने एक विधेयक बनाया और उसे मानना हमारे लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनिवार्य है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमेशा से श्रम के मामले में अपनी कुछ ऐसी नीति रखी है जो भारत के और प्रदेशों के मुकाबले में प्रगतिशील कही जा सकती है। अभी उत्तर प्रदेश में एक फैक्ट्स फाइंडिन्ग कमेटी बैठी थी। उसकी कार्यवाहियों में दर्ज है कि मिल मालिकों की तरफ से इस बात की चर्चा की गई, इस बात की शिकायत थी, कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक प्रगति इसलिये नहीं हो पाती है कि यहां के नियम श्रमिकों के लिये बहुत ही सुविधाजनक हैं और उद्योगपतियों के लिये बहुत ही कठोर हैं, उसकी रिपोर्ट सदन के सामने आ भी चुकी है। उत्तर प्रदेश श्रम विभाग के सामने भी यही समस्या रहती है। दूसरे यह है कि शायद ही उत्तर प्रदेश सरकार का कोई विभाग रोज इतनी संकटमय परिस्थिति से गुजरता होगा जितना कि श्रम विभाग, उसका श्रम कमिश्नर, कर्मचारीगण और उसके मंत्री महोदय गुजरते हैं।

जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट का ऐक्ट हमारे सामने आया तो हमारी सरकार ने चेष्टा की, सेन्ट्रल गवर्नमेंट से बातें कीं और कहा कि हमारे प्रदेश में कुछ परम्पराओं के कारण हमें अमुक चीजों में कुछ परिवर्तन करने दीजिये। यदि हम उनके ऐक्ट में स्वतः कुछ परिवर्तन करना चाहें तो हमारे पास इसका अधिकार नहीं है। उनसे पूछ कर यदि कुछ परिवर्तन सदन के सामने रखे गये तो हमारे सामने केवल वे परिवर्तन की चीजें ही विचार के लिये हैं और केवल उन्हीं के बारे में ही हम इस समय यहां आलोचना या प्रत्यालोचन कर भी सकते हैं। सदन को विदित है कि अप्रैल, १९४६ में जब डिफेंस आफ इंडिया रूल्स समाप्त हुये उस समय जरूरत महसूस हुई कि इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स एक्ट बने। पहले आर्डिनेन्स बना और फिर इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट की पूरी रूप-रेखा सन् १९४७ में रखी गई। सन् १९५० में और १९५३ में संशोधन हुए। इसके उपरांत आज भी यह संशोधन आया है जो हमारे सामने है। केन्द्रीय सरकार से जब हमारी सरकार ने कहा कि हमारे लिये ये ये चीजें दी जावें तो केन्द्रीय सरकार ने भी इस चीज को महसूस किया होगा कि हमारे कुछ सुझाव बहुत ही अच्छे थे।

केन्द्रीय ऐक्ट में कुछ चीजें छूट गयीं, मुझे आश्चर्य है कि माननीय अवस्थी जी से पूर्व के वक्ता महोदय ने उनको समझा नहीं। जैसे अप्रेन्टिस का शब्द है। अप्रेन्टिस कौन होगा। आज की स्थिति यह है कि श्रम कमिश्नर के पास इस बात की रिपोर्ट जाती है कि आठ नौ साल से मजदूर काम कर कर रहा है, उस मजदूर की रक्षा किस प्रकार से होगी। बात ऐसी है कि श्रमिक लोग पढ़े-लिखे नहीं होते। सुबह मजदूर को एक आदमी मिलता है वह कहता है कि तुम हमारे पास आ जाओ, दुपहर को दूसरा आदमी मिलता है और शाम को तीसरा। मजदूर यह सोचता है कि मुझे कहां ज्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार से छै सात आदमी मिल कर यूनियन बना लेते हैं और झगड़ा खड़ा कर देते हैं। जो लोग ट्रेड यूनियन के इतिहास को जानते होंगे वे इस बात को भी जानते होंगे और मानते होंगे कि देश के लिये मजदूर आन्दोलन सब से ज्यादा हानिकारक चीज है और उसकी रोक के लिये छोटे-छोटे ट्रेड यूनियन्स को डेवलप नहीं होना चाहिये। श्रीमन्, कलकत्ते की एक मशहूर बात है कि एक मिल में झगड़ा चल रहा था। मिल के मजदूरों का एक नेता वहां के मालिकों से बात कर रहा था। उन्होंने टेलिफोन पर डिक्टाफोन लगा दिया। वह कह रहा था कि आप हमारी बात तो मानते नहीं हैं फिर किस प्रकार से समझौता हो सकता है, आदि-आदि। जब ट्रिब्युनल में केस गया तो गवाही में मिल मालिकों की ओर से वही प्रोड्यूस कर दिया गया। इसलिये यह रक्खा गया कि जो संस्था होनी चाहिये उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिये। तो इस बिल में रजिस्ट्री और अप्रेन्टिस यह दो चीजें नयी रक्खी गयी हैं।

बिल में इस बात का भी प्रावीजन कर दिया गया कि जो आदमी हटाया जाता है वह क्यों हटाया जाता है। उसके बहुत से कारण हो सकते है। इस बिल में एक बड़ा भारी प्रबंध इस बात का भी किया गया है कि एक मजदूर कुछ दिनों तक बीमार रहता है और वह कोई लाभ नहीं उठा सकता है तो उसके लिये इसमें लिखा गया है कि अगर उसकी कंटीन्यूड इलनेस होगी तो उसको मुआविजा देना होगा।

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने पहले प्वाइंट आउट किया कि इस पर सिद्धान्त की बात होनी चाहिये लेकिन जब आप इस सदन में पधारे थे तो बनारस की काटन मिल के संबंध में जिक्र किया जा रहा था लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की ओर से उसको चलाने का बार-बार प्रयत्न किया गया, चेष्टा की गयी कि काटन मिल चल जाय लेकिन किसी को भी हाईकोर्ट में जाकर रिट लाने से सरकार रोक नहीं सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं भी बनारस का रहने वाला हूं और मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि बनारस में काटन मिल को चलवाने के लिये गवर्नमेंट ने मिल मालिकों की खशामद तक की। जब कभी गवर्नमेंट नें किसी पार्टी को इसके लिये राजी किया, दूसरी पार्टी हाईकोर्ट से जाकर रिट ले आयी। मजदूर आन्दोलन को ही ले लीजिये। गवर्नमेंट मजदूरों के लिये नये-नये कार्य करना चाहती है लेकिन जो अड़चनें उसके मार्ग में उपस्थित की जाती हैं उनके कारण मजदूरों का बड़ा अकल्याण हो रहा है। गवर्नमेंट चाहती है कि बनारस के श्रमिकों के लिये मकान बनवायें। मकानों के बनाने के लिये भूमि चाहिये, लेकिन जिस जगह गवर्नमेंट जमीन लेकर मकान बनावाने का प्रयत्न करती है, वहीं पर झगड़ा खड़ा हो जाता है। चार-पांच साल हो गए केन्द्रीय सरकार से रुपया मिलता है और डूब जाता है और एक भी मकान बन नहीं पाता है।

जहां तक इस बिल की धाराओं का संबंध है अगर हम लोग केवल इस दिशा में सोचें कि केन्द्रीय सरकार क्या चाहती है तो बहुत सी ऐसे चीजें हैं जिनको ध्यान में रखकर उधर बैठने वाले माननीय सदस्य बहुत से अच्छे सुझाव भी दे सकते हैं और मैं समझता हूं माननीय तिवारी जी को भी मजदूरों से अवश्य ऐसी रुचि होगी। चाहते हैं श्रम-कल्याण करना तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वे जरा इस बिल की बातें तो देखें। एक अहम चीज जिसकी हमें आवश्यकता हुई वह ट्रिब्यूनल का मामला था और ट्रिब्यूनल के लिये केन्द्रीय सरकार ने जज रखने की बात कही थी। हाईकोर्ट के जजेज की उम्र ६० वर्ष होती है और सुप्रीम कोर्ट के जजेज की उम्र ६५ वर्ष मानी जाती है। हाईकोर्ट के जज तो रिटायरमेंट होने के बाद चाहेंगे कि ६० वर्ष के बाद पांच वर्ष और उनको समय दूसरे रूप में जजी करने का मिल जाय। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें अपने प्रदेश की बातों को भी देखना है। हमारे यहां तो रिटायरमेंट की उम्र ५५ और ६० वर्ष होती है। अगर हाईकोर्ट के जज की बात मानी जाय कि उसका जो ट्रिब्यूनल एक आदमी का होगा वह सर्वमान्य होगा, इसको तो कोई उचित नहीं समझ सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो इसी के संशोधन के लिये यह विधेयक उपस्थित किया है कि हमारे यहां जो ट्रिब्यूनल हो, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें एक ही आदमी हो, और उसी का फैसला सर्वमान्य हो बल्कि हम कहते हैं कि तीन आदमियों का ट्रिब्यूनल हो। और यह जो ट्रिब्यूनल होगा वही महत्वपूर्ण फैसला दे सकेगा और उससे श्रम विभाग का बहुत लाभ होगा। मिल मालिकों को भी लाभ होगा। फिर उसके साथ ही साथ यह बात भी है कि केवल हाईकोर्ट के जज ही को ट्रिब्यूनल में होने का अधिकार हो, इसको हम नहीं मानते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जज नहीं हैं लेकिन श्रम विभाग के ऐडमिनिस्ट्रेशन में बहुत काबिल हैं। दूसरी बात यह भी है कि उनकी नियुक्ति एक पेनल के द्वारा होगी। एक माननीय सदस्य ने पेनल का विरोध किया लेकिन शायद उन्होंने पेनल के स्वरूप को नहीं समझा। पेनल का अध्यक्ष होगा हाईकोर्ट का जज, और उसमें चीफ सेक्रेटरी और लेबर विभाग के सेक्रेटरी होंगे। इन तीन आदमियों का पेनल बैठेगा और वह तीन आदमियों का नाम तय करेगा। फिर यह जो ट्रिब्यूनल बैठेगा, उसमें पक्षपात की बात कौन सी हो गयी।

इसके साथ ही साथ यह बात भी सोचने की है कि किसी विधेयक के पास होने से ही कोई चीज कार्यान्वित नहीं हो जाती। उसके लिये नियम बनाये जाते हैं और नियम में जो चीज तय की जाती है वही अप्लाई भी होती है। जहां तक मेरा ख्याल है, उत्तर प्रदेश का श्रम विभाग काफी प्रगति कर रहा है। उत्तर प्रदेश को इस बात के लिये गर्व है। वेस्ट बंगाल या बम्बई आदि दूसरे प्रदेशों में भी यू० पी० की इस मामले में प्रशंसा की जाती है कि वहां का श्रम विभाग मजदूरों के हित के लिये बहुत कुछ कर रहा है।

कहीं भी जाकर आप पूछें, सभी यही कहते हुए पाये जायेंगे कि उत्तर प्रदेश का श्रम विभाग काफी स्वतंत्रता के साथ काम करता है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में भी इस बात की शिकायत की गई थी कि लेबर लेजिस्लेशन में इस बात का सम्मान किया जाय जिससे उद्योगपतियों का कुछ अधिक संरक्षण हो। यह जो विधेयक है वह उसी के संबंध में है। जहां तक ऐक्ट की बात है उसमें संरक्षण की बात कैसे आ सकती है? जब उसके लिये रूल्स बनेंगे तभी वह चीज पूरी हो सकती है। फिलहाल जो सूरत है वह ऐसी ही है। इसलिये मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जब यह विधेयक बन जायगा और इसके नियम बन जायंगे तो उसमें इस बात का ख्याल रखा जायगा, जिससे सब की परेशानियां दूर हो जायंगी।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, २९ अक्तूबर, १९५६ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२५ अक्तूबर, १९५६।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७६ पर)

स्थान जहां अलीगढ़ में "गीता" के कथित जलाने के सम्बन्ध में हड़तालें हुई

१—मुगल सराय भदोही, रामनगर और वाराणसी	११—कानपुर
२—लखनऊ	१२—गोंडा
३—आजमगढ़ और मऊ	१३—भदरसा और फैजाबाद
४—सादात और गाजीपुर	१४—प्रतापगढ़
५—देवरिया	१५—बांदा
६—मदथाना और इटावा	१६—रायबरेली
७—जौनपुर	१७—गोरखपुर
८—शाहजहांपुर	१८—बरेली
९—बहराइच	१९—सीतापुर
१०—चुनार और मिर्जापुर	

संसद भवन पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७८ पर)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ५ से सम्बन्धित सूची

क्रम संख्या	जिले का नाम	अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में हुई वर्षा का औसत (इंचों में)	अक्तूबर के द्वितीय सप्ताह में हुई वर्षा का औतस (इंचों में)
१	देहरादून	०.१५	१५.१४
२	सहारनपुर	०.३०	१२.२४
३	मुजफ्फरनगर ..	१.४३	११.११
४	मेरठ	१.८२	१२.२५
५	बुलन्दशहर	३.३९५	७.३४
६	अलीगढ़	०.८७	५.३५
७	मथुरा	०.९९	५.४०
८	आगरा	१.५	४.५५
९	मैनपुरी	१.०९	४.८४
१०	एटा	१.९५	८.६६
११	बरेली	१.७२	८.६८
१२	बिजनौर	०.२८	१०.२८
१३	बदायूं	०.७५	१२.५१
१४	मुरादाबाद ..	१.८७	७.३०
१५	शाहजहांपुर ..	०.६८	७.३०
१६	पीलीभीत	०.२८	७.३८
१७	रामपुर	२.१५	११.६३

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८७ पर)

उत्तर प्रदेश में सन् १९५१ से १९५६ तक जनता पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने का विवरण

वर्ष	गोली चलाने का स्थान	कितनी बार गोली चलायी गई
१९५१—इलाहाबाद	.. ..	१
	जालौन (सीकरी रहमानपुर) ..	१
	झांसी	१
	बहराइच	२
	मेरठ (बागपत)	१
१९५२—आगरा	.. ..	१
	प्रतापगढ़	२
	गोरखपुर	२
१९५३—लखनऊ	.. ..	५
	सीतापुर (महमूदाबाद)	१
	पीलीभीत	१
	प्रतापगढ़ (लालगंज)	१
	हमीरपुर (नैकपुर)	१
१९५४—अलीगढ़	.. ..	१
	बदायूं	१
	पीलीभीत (अर्जुनपुर)	१
	रामपुर	१
	गोरखपुर	१
	खीरी (लोकाही)	१
१९५५—उन्नाव (विकरम खेड़ा)	.. ..	१
	बाराबंकी	१
	हरदोई (पाली)	१
	आजमगढ़ (मऊ)	१
१९५६—बलिया	.. ..	१
	योग ..	३१

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८९ पर)

कस्बा खैर में २६ अगस्त, ५६ को मरने तथा घायल होने वालों की सूची

मरे	घायल हुये
१—शंकर	१—ओम प्रकाश
२—निरमला	२—गंगा देवी
३—कृपा	३—ओमवती देवी
४—बांके लाल	४—देवी
५—राम सहाय	५—रामश्री
	६—प्रतिमा देवी
	७—सीताराम
	८—श्रीराम
	९—राजेन्द्र
	१०—कान्ती
	११—गिरदेवी
	१२—धर्मजीत

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२–४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९३ पर)

जिला सीतापुर में सन् १९५५ व १ जनवरी, १९५६ से २६ अगस्त, १९५६ तक हुए अपराधों का विवरण

सन् १९५५

अपराध	रिपोर्ट हुई	पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या	बरामद किये गये असलाहों (शस्त्रों) की संख्या		
१—डकैती ..	४८	४३७	देशी पिस्तौल ..	..	२२
२—लूट ..	२१	३७			
३—हत्या (कत्ल) ..	४०	९८	बंदूक ..	..	५
४—नकबजनी ..	५३५	१९९	..	..	..

सन् १९५६ (१ जनवरी, ५६ से २६ अगस्त, ५६ तक)

१—डकैती ..	२१	१३१			
२—लूट ..	१४	१२	देशी पिस्तौल ..	..	४३
३—हत्या (कत्ल) ..	३५	७८	..	..	
४—नकबज ..	३८५	१०७	अंग्रेजी बन्दूक ..	..	४

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९३ पर)

जौनपुर जिले में जनवरी सन् १९५६ से अगस्त सन् १९५६ तक हुए डकैती, चोरी तथा राहजनी के मामलों का थानेवार विवरण

क्र० संख्या	थाना	डकैती	अपराधों की संख्या (चोरी)	राहजनी
१	कोतवाली		४६	२
२	रामपुर		१	..
३	मीरगंज		१७	..
४	मड़ियाहूं		७	..
५	मछलीशहर		१०	..
६	बादशाहपुर		१	..
७	सुजानगंज		६	..
८	सरायखाजा		१६	२
९	शाहगंज		१७	२
१०	सरपतहा	१	१७	..
११	बक्सा		१७	१
१२	बदलापुर		१६	..
१३	केराकत		१४	..
१४	चंदवक		१२	..
१५	जलालपुर		६	..
	योग ..	१	१९४	७

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९६ पर)

कामदार

(१) श्री स्वामी दयाल
(२) ,, अब्दुल गफूर
(३) ,, राम प्रसाद
(४) ,, अयोध्याप्रसाद
(५) [illegible]म रसूल
(६) ,, राजनारायण
(७) ,, भगवान दीन
(८) ,, जंग बहादुर
(९) श्री पुत्तू लाल
(१०) ,, श्यामसुन्दर
(११) ,, गया प्रसाद
(१२) ,, जानकी प्रसाद
(१३) ,, छोटे खां
(१४) ,, बेलन्द सिंह
(१५) ,, राम राज
(१६) ,, मैकूलाल

सुपरवाइजर

(१) श्री श्यामसुन्दर बाजपेई
(२) ,, साबिर हुसैन
(३) ,, मुहम्मद शाफी खां
(४) ,, रामदेव प्रसाद दुबे
(५) ,, काजिम अली
(६) श्री सादिक हसन
(७) ,, मुहम्मद अमीनुल्ला
(८) ,, चन्द्र शेखर सिंह
(९) ,, प्रभू दयाल
(१०) ,, ओमकार नाथ

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९८ पर)

डी० वाई० एस० पी० कम्पलेन्ट द्वारा ३१-७-१९५६ तक विभिन्न विभागों में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सही पाई गई भ्रष्टाचार, रिश्वत की शिकायतों की जिलेवार सूची।

क्रम संख्या	जिला	विभाग	शिकायतों की संख्या जो आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सही पाई गई	जिले में सही पाई गई शिकायतों का योग
१	२	३	४	५
१	आगरा	पुलिस ..	२	
	,,	आबकारी ..	३	
	,,	माल ..	१	६
२	अलीगढ़	पुलिस ..	२	
	,,	जूडिशियरी ..	१	
	,,	माल ..	१	४
३	बुलन्दशहर	पुलिस	१९	
	,,	कस्टोडियन आफीसर	४	
	,,	जेल	१	
	,,	माल .	४	२८
४	देहरादून	पुलिस ..	४	
	,,	डिस्ट्रिक्ट तथा सिटी बोर्डस्	१	५
५	एटा	पुलिस ..	६	
	,,	माल ..	२	८
६	मैनपुरी	पुलिस ..	५	
	,,	माल ..	३	
	,,	पंचायत ..	३	
	,,	लाइव स्टाक ..	१	
	,,	आबकारी ..	१	
	,,	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ..	१	
	,,	हाइड्रो एलेक्ट्रिक ..	१	१५
७	मेरठ	पुलिस ..	११	
	,,	माल ..	५	
	,,	इम्पलायइमेंट एक्सचेन्ज	१	
	,,	रिलीफ तथा रिहेबिलीटेशन	१	१८
८	मथुरा	पुलिस ..	८	
	,,	माल ..	२	
	,,	मेडिकल तथा हेल्थ ..	१	११

१	२	३		४	५
९	मुजफ्फरनगर	पुलिस	..	२	
	,,	माल	..	१	
	,,	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड	..	१	४
१०	सहारनपुर	पुलिस	..	५	
	,,	माल	..	३	८
११	टेहरी गढ़वाल	—	—	—	—
१२	इलाहाबाद	पुलिस	..	७	
	,,	माल	..	२	९
१३	बांदा	माल	..	१	१
१४	कानपुर	पुलिस	..	२०	
	,,	नगरपालिका	..	१	
	,,	पंचायत	..	१	
	,,	नहर	..	१	
	,,	जंगल	..	२	
	,,	माल	..	१	२६
१५	इटावा	पुलिस	..	१	१
१६	फतेहपुर	पुलिस	..	३	
	,,	पंचायत	..	१	
	,,	माल	..	१	५
१७	खाबाद	पुलिस	..	५	
	,,	माल	..	३	८
१८	हमीरपुर	पुलिस	..	६	
१९	जालौन	पुलिस	..	५	
	,,	नहर	..	१	६
२०	झांसी	पुलिस	..	१३	
	,,	माल	..	३	
	,,	नगरपालिका	..	१	१७
२१	बरेली	पुलिस	..	६	
	,,	माल	..	३	
	,,	सेटिलमेन्ट तथा रेहैबिलिटेशन		१	
	,,	नहर	..	१	११
२२	बिजनौर	पुलिस	..	३	
	,,	ट्यूबवेल	..	१	
	,,	रजिस्ट्रेशन	..	१	
	,,	माल	..	५	१०
२३	बदायूं	पुलिस	..	१०	
	,,	माल	..	३	
	,,	ट्यूबवेल	..	२	१५

१	२	३		४	५
२४	खीरी	पुलिस	..	५	५
२५	नैनीताल	पुलिस	..	५	
	,,	रिहैबिलिटेशन	..	१	६
२६	मुरादाबाद	पुलिस	..	१३	
	,,	आबकारी	..	१	
	,,	पंचायत	..	१	
	,,	ट्यूबवेल	..	२	
	,,	सप्लाई	..	१	
	,,	माल	..	४	
	,,	कैन डेवलपमेंट	..	१	२३
२७	पीलीभीत	—	..	..	..
२८	शाहजहांपुर	पुलिस	..	७	७
२९	पौड़ी गढ़वाल	पुलिस	..	१	१
३०	रामपुर	पुलिस	..	१०	
	,,	सिंचाई	..	१	
	,,	माल	..	१	
	,,	सप्लाई	..	१	
	,,	मेडिकल तथा हेल्थ	..	१	१४
३१	बहराइच	पुलिस	..	१४	
	,,	माल	..	६	
	,,	पंचायत	..	१	२१
३२	बाराबंकी	माल	..	१	१
३३	फैजाबाद	पुलिस	..	१०	
	,,	माल	..	१	११
३४	गोंडा	पुलिस	..	१६	
	,,	माल	..	५	२१
३५	हरदोई	पुलिस	..	१०	
	,,	माल	..	४	
	,,	सप्लाई	..	१	
	,,	पंचायत एलेक्शन	..	१	
	,,	टाउन एरिया	..	१	१७
३६	लखनऊ	पुलिस	..	९	९
३७	प्रतापगढ़	पुलिस	..	४	
	,,	माल	..	२	
	,,	कोआपरेटिव	..	१	७

१	२	३	४	५
३८	रायबरेली	पुलिस ..	१२	
	,,	माल ..	१	१३
३९	सीतापुर	पुलिस ..	२९	
	,,	माल ..	१२	
	,,	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ..	१	
	,,	पंचायत राज ..	१	४३
४०	सुल्तानपुर	पुलिस ..	७	
	,,	माल ..	३	१०
४१	उन्नाव	पुलिस ..	१६	
	,,	प्लानिंग ..	२	
	,,	सप्लाई ..	१	
	,,	माल ..	८	२८
४२	आजमगढ़	पुलिस ..	१४	
	,,	मेडिकल तथा हेल्थ ..	१	
	,,	पंचायत राज ..	१	
	,,	माल ..	१०	२६
४३	बलिया	पुलिस ..	१४	
	,,	माल ..	२	
	,,	प्लानिंग ..	१	
	,,	मेडिकल तथा हेल्थ ..	१	
	,,	सप्लाई ..	३	
	,,	पंचायत राज ..	४	२६
४४	बस्ती	पुलिस ..	६	६
४५	वाराणसी	पुलिस ..	२	
	,,	सेल्स टैक्स ..	१	३
४६	गाजीपुर	पुलिस ..	२	
	,,	माल ..	१	
	,,	मेडिकल ..	१	४
४७	गोरखपुर	पुलिस ..	९	९
४८	देवरिया	पुलिस ..	१०	
	,,	माल ..	३	१३
४९	जौनपुर	पुलिस ..	७	७
५०	मिर्जापुर	पुलिस ..	७	
	,,	मेडिकल तथा हेल्थ ..	१	
	,,	पंचायत ..	१	
	,,	माल ..	१	१०
५१	अल्मोड़ा	— ..	..	..

नत्थी "झ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९९ पर)

देवरिया कोतवाली के उन ग्रामों का नाम जहां १ जनवरी से १५ अगस्त, ५६ तक चोरियां हुई

१—गंडल पार
२—भरौली बाजार
३— " "
४—मुढेरा मित्र
५—भरौली बाजार
६— " "
७—देवरिया राम नाथ
८—पुरवा खास
९—फुलवरिया करन
१०—भरौली बाजार
११—गडुल पार
१२—देवरिया राननाथ
१३—देवरिया खास
१४—गडुल पार
१५—देवरिया रामनाथ
१६—बैकुंठपुर
१७—देवरिया रामनाथ
१८—भरोली बाजार
१९—गडुल पार
२०—जटगल पुर
२१—भरोली बाजार
२२— " "
२३— " "
२४—देवरिया रामनाथ
२५—पिपरा देवड़ार
२६—जंगल ठकुरही
२७— अमंवा
२८— " "
२९—मुडेरा बुजुर्ग
३०—भिखम पुरा
३१—अहिलवार
३२—पिपरा चन्द्रभान
३३—दानीपुर
३४—गडुल पार

नत्थी "ञ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९९ पर)

जिला झांसी में १९५४ से मार्च, १९५६ तक डकैतियों में हुई हत्याओं के अलावा जो हत्यायें हुईं उनमें आहत व्यक्तियों के नाम तथा निवासस्थान

क्रम संख्या	नाम	ग्राम या निवास स्थान	थाना
१	२	३	४
		१९५४	
१	श्रीमती विमला देवी	सिपरी बाजार	नई झांसी
२	श्री बल्लू खातिक	इतवारी गंज	कोतवाली
३	श्रीमती जैनाब कुंजरा	इतवारी गंज	,,
४	श्री पंचम लाल कच्ची	उन्नाव गेट	,,
५	श्री हरी सिंह कच्ची	लक्ष्मी गेट	,,
६	श्रीमती सुमित्रा देवी	कचीर	गरोथा
७	श्री लली खांगर	केरोखार	,,
८	श्री चिप्ता	सगोली	एरिच
९	श्री मल्लू कछ्छी	बारवार	गुरसराए
१०	श्रीमती फतेहपुरवाली	सरसेंडा	,,
११	श्री राम दास	कछनेऊ	कतेरा
१२	श्री मताई कोरी	गुडा	लहिचुरा
१३	श्री चिन्ता कछ्छी	सरपुरा	,,
१४	श्रीमती खेरावाली	खेराडांग	जाखौरा
१५	श्री छलोने	अरजुनखेरिया	नरहट
१६	श्री बाबू लाल	मेहरौनी	मेहरौनी
१७	श्री बलदेव सिंह	खेरादंग	बार
१८	श्री रामसिंह	उदैयपुरा	वानपुर
१९	श्री बाला	पिपारिया	मनदौरा
२०	श्री प्रसादी	माठकारी	ललितपुर
२१	श्री शिव प्रसाद	पिपौरी	वानपुर
२२	श्री दोंदी	मंदौरा	मंदौरा
२३	श्रीमती कंधीवाली	बृधा	तालबेहत
२४	श्री धाना राम लोधी	तलोर	मोथ
२५	श्री हर नारायण	सोंजना	,,
२६	श्री मुलू	रसीना	बबीना
२७	श्री सुरतन	रसीना	,,
२८	श्री छिदिया	बांद्रा	,,
२९	श्री तिजू	खंदेशवार	बारवासागर
३०	श्री बाबूराम	बारवासागर	,,
३१	श्री सोभा राम	भरथरी	सामथार

१	२	३	४
३२	श्री चतुर सिंह गुजार	लकेरा	राक्सा
३३	श्री कामता	धिकोली	,,
		१९५५	
३४	श्री लम्थू कोरी	बन्गला घाट	कोतवाली झांसी
३५	एक नवजात शिशु सड़क के किनारे मृत पाया गया	,,	सदर बाजार
३६	श्रीमती बुधिया एक पागल औरत का नवजात शिशु	,,	,,
३७	एक अज्ञात तरुण लड़की का शव सड़क के किनारे पाया गया	हसारी	नई झांसी
३८	श्री धनीराम यादव	मेरो	,,
३९	श्रीमती तोरी वाली	सेमरी	उलदान
४०	श्रीमती ठकुरानी	पिपरा	तअरौली
४१	श्री जै सिंह	पादरा	कटेरा
४२	श्री किशोरी चमार	धमना	मऊ
४३	श्रीमती रमा की पुत्री (२वर्ष)	बामोरी	एरिच
४४	श्री विजे सिंह ठाकुर	मोमाई	गुरसराय
४५	श्री विन्द्रावन बढ़ई	रामपुरा	गरोथा
४६	कुमारी परबतिया	पालरा	उलदन
४७	श्री केशरदास मंत्री अदालत पंचायत	मंदौरा	मंदौरा
४८	श्री सुरेश कुमार	मुराही	ललितपुर
४९	श्री बाबू बक्स मुसलमान	ललितपुर	पाखलौन
५०	श्री तुन्दा	सागर	मंदौरा
५१	श्री नन्ना गूजर	खरकोरा	मेहरौनी
५२	श्री मुनियां	चौरापुर	तालबेहत
५३	श्रीमती सील कुमारी	कसवा मोथ	मोथ
५४	श्रीमती सवरानी	पनारी	,,
५५	श्री काशी राम	बारल	चिरगांव
५६	श्री बेनी यादव	मवाई	बारागांव
५७	श्री रत्तू	लेवा	,,
५८	श्री हर प्रसाद	बारागांव	,,
५९	श्री नारका	बान्द्रा	बबीना
६०	श्रीमती गैंदारानी की पुत्री (१ वर्ष)	अंबाबाई	राक्सा
६१	श्री गंगा घंसुआ चमार	रानीजू	,,
६२	श्री ललनजी	हसारकला	तालबेहत
		१९५६	
६३	श्री हजारी सिंह ठाकुर	भान्डेर	मोथ
६४	श्री राधे लाल	करगांव	चिरगांव

ए० पी० २३९ एल० ए०—१९५६—७९६ ।